विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	**परिचायक टिप्पणी**	(iii)
2.	**प्राप्तियों का सार**	1
3.	**कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमानों का सारांश**	
	I. कर राजस्व	2-5
	II. कर-भिन्न राजस्व	6-12
	III. पूंजीगत प्राप्तियां	13-19

अनुबन्धः

1.	प्राप्तियों की प्रवृत्तियां	20
2.	अनुबंध 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	21
3.	व्यय की प्रवृत्तियां	22
4.	वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान	23
5.	भारत सरकार के ऋण की स्थिति	24
	(i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण	25
	(ii) परिसम्पत्तियों का विवरण	26
	(iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां	27-28
	(iv) परिसम्पत्ति रजिस्टर	29
6.	केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा	30-32
6क.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	33
6ख.	मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड	33
6ग.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां	34
6घ.	पोलिफ का प्रतिभूतिकरण	34
6ड़.	तेल विपणन कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	34
6च.	उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	35
6छ.	भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	35
6ज-ट.	विभिन्न संस्थाओं को जारी विशेष बांड	35

		पृष्ठ संख्या
7क.	31 मार्च, 2015 को राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग	36
7ख.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	37-38
8.	वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी	39-41
9.	विदेशी सहायता - देश/संगठनवार प्राप्तियां तथा वापसी-अदायगियां	42-44
10.	ब.अ. 2016-2017 हेतु केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	45
10क.	सं.अ. 2015-2016 हेतु केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	46
10ख.	वास्तविक 2014-2015 हेतु केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	47
11.	जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)	48
12.	कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि	49
13.	2016-2017 के दौरान देय बाजार ऋण और विशेष प्रतिभूतियां	50
14.	रेलवे प्रारक्षित निधियां	51
15.	केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव : वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16	51-74

परिचायक टिप्पणी

इस दस्तावेज में आरम्भ में ही प्राप्तियों का सार दिया गया है जिसके बाद कर-राजस्व, कर-भिन्न राजस्व और पूंजी प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं।

पंचाट अवधि के दौरान केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का 42 प्रतिशत राज्यों को अंतरित किया जाएगा। सरकार ने 14 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्यों के हिस्से का क्षैतिज वितरण भी स्वीकार कर लिया है। बजट अनुमान 2016-17 के कर राजस्व और केंद्रीय करों व शुल्कों की निवल प्राप्तियों के राज्यवार वितरण को ब्यौरों के विवरण (अनुबंध -10) में यह दर्शाया गया है।

अनुबंधः

अनुबंध 1 में प्राप्तियों की प्रवृत्तियां दर्शायी गई हैं। कर और कर-भिन्न प्राप्तियों का विश्लेषण अनुबंध 2 में किया गया है। अनुबंध 3 में व्यय की प्रवृत्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं, जबकि अनुबंध 4 में मिलान के ब्यौरे दिए गए हैं। अनुबंध 5 ऋण स्थिति से संबंधित है तथा इसके निम्न उप भाग हैं - अनुबंध 5(i) - देनदारियों का विवरण, अनुबंध 5(ii) - परिसम्पत्तियों का विवरण, अनुबंध 5(iii) - गारंटियों का विवरण और अनुबंध 5(iv) -परिसम्पत्ति रजिस्टर।

अनुबंध 6 में केन्द्र सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा है, जबकि अनुबंध 6क और 6ख में बाजार ऋणों का ब्यौरा है और अनुबन्ध 6ग में भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी की गई विशेष सरकारी प्रतिभूतियों के ब्यौरे दिए गए हैं। अनुबंध 6घ से अनुबंध 6ट में लोक लेखा से निर्गमित बाजार ऋणों के संबंध में पीओएलआईएफ के प्रतिभूतीकरण सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई सब्सिडी और विशेष बांडों के स्थान पर जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के ब्यौरों को दर्शाया गया है। अनुबंध 7क में राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग दर्शाए गए हैं जबकि अनुबंध 7ख राष्ट्रीय लघु बचत निधि का एक वित्तीय विवरण है। अनुबंध 8 में वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारियों का ब्यौरा है।

अनुबंध 9 में विदेशी सहायता संबंधी विवरण है, जबकि अनुबन्ध 10, 10क और 10ख क्रमशः ब.अ. 2016-17, सं. अ. 2015-16 तथा 2014-15 के वास्तविक आंकड़े संघीय करों तथा प्रशुल्कों की निवल प्राप्तियों में राज्यवार वितरण का ब्यौरा देते हैं। अनुबंध 11 में जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर-राजस्वों का विवरण है और अनुबंध 12 कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि का विवरण है। अनुबंध 13 में 2016-17 के दौरान उन्मोचन के लिए बकाया बाजार ऋणों का ब्यौरा है जबकि अनुबंध 14 में रेलवे प्रारक्षित निधियों का ब्यौरा दिया गया है।

अनुबंध 15 केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव को दर्शाता हैः वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16।

प्राप्तियों का सार

(करोड़ रुपए)

	2014-2015 वास्तविक	2015-2016 बजट अनुमान	2015-2016 संशोधित अनुमान	2016-2017 बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तियां				
1. कर राजस्व				
सकल कर राजस्व	**1244884.53**	**1449490.56**	**1459611.09**	**1630887.81**
निगम कर	428924.74	470628.00	452969.68	493923.55
आय कर	265732.91	327367.00	299051.24	353173.68
धन कर	1086.21	...	...	...
सीमा शुल्क	188016.19	208336.00	209500.00	230000.00
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	189951.69	229808.54	284142.34	318669.50
सेवा कर	167969.04	209774.00	210000.00	231000.00
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	3203.75	3577.02	3947.83	4121.08
घटाइए - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी	**3460.88**	**5690.00**	**5910.00**	**6450.00**
घटाइए - राज्यों का हिस्सा	**337808.45**	**523958.24**	**506192.97**#	**570336.59**
केन्द्र का निवल कर राजस्व	**903615.20**	**919842.32**	**947508.12**	**1054101.22**
2. कर-भिन्न राजस्व				
ब्याज प्राप्तियां	23803.91	23599.33	23142.16+	29620.43
लाभांश तथा लाभ	89833.04	100651.14	118271.38	123780.05
अन्य कर-भिन्न राजस्व	82858.17	96186.30	115873.06	168181.29
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	1362.26	1295.82	1288.94	1339.33
जोड़ कर-भिन्न राजस्व	**197857.38**	**221732.59**	**258575.54**	**322921.10**
जोड़ राजस्व प्राप्तियां	**1101472.58**	**1141574.91**	**1206083.66**	**1377022.32**
3. पूंजी प्राप्तियां				
क. ऋण-भिन्न प्राप्तियां				
1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां@	13738.22	10752.83	18904.86&	10634.31
2. विविध पूंजी प्राप्तियां	37736.85	69500.00	25312.60	56500.00
जोड़	*51475.07*	*80252.83*	*44217.46*	*67134.31*
ख. ऋण प्राप्तियां *				
3. बाजार ऋण	453075.32	456405.46	440608.06	425180.87
4. अल्पावधिक उधार	9179.32	30062.55	68665.25	16648.84
5. विदेशी सहायता (निवल)	12933.03	11173.35	11484.65	19094.42
6. अल्प बचतों के लिए जारी प्रतिभूतियां	32225.82	22407.52	53417.95	22107.91
7. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	11919.67	10000.00	11000.00	12000.00
8. प्रतिभूतियों का अंतरण/वापसी खरीद	-7937.44	...	-38678.98	...
9. अन्य प्राप्तियां (निवल)	-78422.71	13558.98	10677.14	25676.70
जोड़	*432973.01*	*543607.86*	*557174.07*	*520708.74*
जोड़ पूंजी प्राप्तियां (क+ख)	**484448.08**	**623860.69**	**601644.52**	**587843.05**
4. नकदी शेष का कम आहरण	**77752.39**	**12041.44**	**-22084.17**	**13195.08**
जोड़ प्राप्तियां (1+2+3+4)	**1585920.66**	**1777477.04**	**1807475.19**	**1964865.37**
एमएसएस के अधीन प्राप्तियां (निवल)	**...**	**20000.00**	**...**	**20000.00**
@ राज्यों से अल्पावधिक ऋण और अग्रिम, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋणों की वसूलियां शामिल नहीं हैं।	12808.48	11961.04	22011.04	11861.04

* *ये प्राप्तियां अदायगियों का निवल है।*

\# *यह 2014-15 में केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के अधिक भुगतान के कारण 8464 करोड़ रुपए डेबिट करने के पश्चात् निवल आंकड़ है।*

\+ *एनटीपीसी बोनस डिबेंचर पर ब्याज प्राप्तियों से 620.90 करोड़ रुपए शामिल हैं।*

& *एनटीपीसी बोनस डिबेंचर की बिक्री से 8151.80 करोड़ रुपए शामिल हैं।*

कर राजस्व

		कर राजस्व					(□□□□ रु□□)
कर राजस्व			मुख्य शीष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
1.	***निगम कर***						
	1.01.	संग्रहण	0020	367633.19	415382.00	392657.49	428158.42
	1.02.	अधिभार	0020	14302.09	41538.00	47118.90	51379.01
	1.03.	शिक्षा उपकर	0020	12211.66	13708.00	13193.29	14386.12
	1.04.	विविध प्राप्तियां	0020	34777.80	...	...	...
□□□-□□□□ □□				428924.74	470628.00	452969.68	493923.55
2.	***आय पर कर***						
	2.01.	संग्रहण	0021	238074.04	303991.00	275761.29	328463.08
	2.02.	अधिभार	0021	1343.06	7500.00	7500.00	7650.00
	2.03.	शिक्षा उपकर	0021	7581.47	9345.00	8391.95	9662.60
	2.04.	विविध प्राप्तियां	0021	11327.08	...	...	...
	2.05.	बैंकिग नकद लेन-देन कर	0036	...	...	...	...
	2.06.	प्रतिभूति लेन-देन कर	0034	7398.15	6531.00	7398.00	7398.00
	2.07.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.94	...	...	...
	2.08.	ब्याज कर	0024	5.58	...	...	...
	2.09.	अनुषंगी लाभ कर	0026	-8.27	...	...	...
	2.10.	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0028	10.86	...	...	...
□□□-□□ □□ □□				265732.91	327367.00	299051.24	353173.68
3.	***धन कर***						
	3.01.	संपदा शुल्क	0031	0.22	...	...	...
	3.02.	धन पर कर	0032	1085.50	...	...	...
	3.03.	उपहार कर	0033	0.49	...	...	...
□□□-□□ □□				1086.21	...	...	...
4.	***सीमा शुल्क***						
	4.01.	आयात शुल्क					
	4.01.01.	बुनियादी शुल्क	0037	52643.90	60000.00	57179.00	64729.00
	4.01.02.	अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी)	0037	93244.56	101921.00	107603.00	116700.00
	4.01.03.	विशेष सीवी शुल्क	0037	29298.31	32400.00	31329.00	34000.00
	4.01.04.	मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	17.68	...	12.00	...
	4.01.05.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	0.02	...	1.00	...
	4.01.06.	मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	53.04	...	12.00	...
	4.01.07.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0037	976.83	1640.00	1410.00	1550.00
	4.01.08.	शिक्षा उपकर	0037	3432.27	3624.00	3700.00	4150.00
	4.01.09.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	1603.45	1812.00	1850.00	2075.00
	□□□-□ □□□ □□□			181270.06	201397.00	203096.00	223204.00
	4.02.	नियात शुल्क	0037	667.35	1050.00	790.00	850.00
	4.03.	नियात पर उपकर	0037	39.31	44.00	114.00	120.00
	4.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	6039.47	5845.00	5500.00	5826.00
□□□-□□□□ □□□				188016.19	208336.00	209500.00	230000.00
5.	***केंद्रीय उत्पाद शुल्क***						
	5.01.	बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर को छोड़कर	0038	115792.11	128087.00	157710.00	173161.00
	5.02.	मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	5978.46	10500.00	18000.00	19500.00
	5.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	19143.53	32600.00	55000.00	58500.00

		कर राजस्व					(□□□□ रु□□)
कर राजस्व			मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
	5.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	2484.05	4050.00	4500.00	4900.00
	5.05.	मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	15090.17	15600.00	17500.00	19000.00
	5.06.	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	1090.89	1060.00	1100.00	1190.00
	5.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
	5.07.01.	शिक्षा उपकर	0038	4282.95	...	44.00	...
	5.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	2144.68	...	22.00	...
	5.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	14655.05	...	14962.19	10303.03
	5.07.04.	बीडी पर उपकर	0038	150.21	...	154.18	159.96
	5.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	564.96	...	579.90	601.65
	5.07.06.	आटोमोबिल पर उपकर	0038	370.35	...	380.14	394.40
	5.07.07.	अन्य	0038	89.17	23141.96	-75.74	141.76
	5.07.08.	स्वच्छ पयावरण उपकर (पूववर्ती स्वच्छ ऊर्जा उपकर)	0038	5393.46	13118.04	12623.33	26148.20
	5.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	...	...	...	3000.00
	□□□-□□□□ □□□□□ द्वारा प्र□□□□□ □□□□			27650.83	36260.00	28690.00	40749.00
	5.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
	5.08.01.	कोयला और कोक	0038	597.23	580.00	530.00	580.00
	5.08.02.	नमक	0038	4.25	4.10	5.00	...
	5.08.03.	रबड़	0038	104.99	105.00	110.00	110.00
	5.08.04.	अभ्रक	0038	2.54	2.73	2.73	...
	5.08.05.	लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क	0038	15.14	16.70	16.70	...
	5.08.06.	लाइम स्टोन व डोलोमाइट	0038	14.46	15.98	15.98	...
	5.08.07.	सिने कमकार	0038	1.73	1.93	1.93	...
	5.08.08.	प्रदूषण (वायु एवं जल) से बचाव व नियंत्रण	0045	251.22	250.00	200.00	250.00
	5.08.08.01.	घटाएं - व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0045	-251.22	-250.00	-200.00	-250.00
	□□□□			...	...	...	...
	5.08.09.	अनुसंधान और विकास	0045	654.09	750.00	780.00	800.00
	5.08.10.	बीड़ी निधि	0038	155.93	170.00	170.00	170.00
	5.08.11.	अन्य लेखों के अंतगत उपकर	0045	5.57	4.50	9.00	9.50
	5.08.12.	टेक्सटाइल्स और टेक्स्टाइल मशीनरी पर उपकर का संग्रहण	0038	1.29	0.60	1.00	...
	□□□□-□□□ □□□□□□ द्वारा प्र□□□□□ □□□□			1557.22	1651.54	1642.34	1669.50
□□□□-केंद्रीय □□□□□ □□□				188787.26	229808.54	284142.34	318669.50
6.	*सेवा कर*						
	6.01.		0044	163248.42	208856.00	205080.00	216000.00
	6.02.	शिक्षा उपकर	0044	3170.19	612.00	786.00	...
	6.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	1550.43	306.00	384.00	...
	6.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	...	...	3750.00	10000.00
	6.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	...	...	...	5000.00
□□□-□□□ □□				167969.04	209774.00	210000.00	231000.00
7.	*वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क*						
	7.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040	0.85	...	...	...
	7.02.	अन्य कर	0045	1163.58	...	...	...
□□□-वस्तुओं □□ □□□ओं □□ □□□ □□ □□□ □□□				1164.43	...	...	...
8.	*संघ राज्य क्षेत्रों के कर*						
	8.01.	भू-राजस्व	0710	2.97	6.25	7.40	7.45

		कर राजस्व					([illegible] रु[illegible])
कर राजस्व			मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
	8.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	158.52	180.65	165.10	174.10
	8.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	531.82	540.00	563.00	602.00
	8.04.	बिक्री कर	0710	2284.68	2605.00	2980.00	3094.00
	8.05.	वाहनों पर कर	0710	166.78	183.05	179.85	185.20
	8.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	9.09	8.42	8.42	9.17
	8.07.	बिजली पर कर और शुल्क	0710	22.07	19.50	15.00	18.00
	8.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	27.82	34.15	29.06	31.16
[illegible] क्षेत्रों [illegible]				3203.75	3577.02	3947.83	4121.08
9.	**जोड़-कर राजस्व** **घटाएं - राष्ट्रीय निधि को अंतरित एनसीसीडी**			**1244884.53**	**1449490.56**	**145611.09**	**1630887.81**
	9.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-976.83	-1640.00	-1410.00	-1550.00
	9.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-2484.05	-4050.00	-4500.00	-4900.00
[illegible]				-3460.88	-5690.00	-5910.00	-6450.00
10.	**घटाएं राज्यों का हिस्सा**		0710	-337808.45	-523958.24	-514657.19	-570336.59
11.	घटाएं-वास्तविक के अनुसार राज्य के हिस्से का समायोजन		0710	...	...	8464.22	...
कुल जोड़				*903615.20*	*919842.32*	*947508.12*	*1054101.22*

उपर्युक्त विवरण में मोटे तौर पर 2016-17 के लिए कर प्राप्तियों के अनुमानों का सार है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है। इसके अतिरिक्त खण्डों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे के साथ-साथ बजट और संशोधित अनुमान, 2015-16 के बीच अन्तर तथा 2016-17 के बजट अनुमान नीचे दिए गए हैं। संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार, जिसे 1.4.1996 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया, क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित शुल्कों और करों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत विशेष उद्देश्य से लगाए गए किसी उपकर को छोड़कर, संघीय सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए और संगृहीत किए जाएंगे और केन्द्र और राज्यों के बीच इस प्रकार संवितरित किए जाएंगे जैसाकि वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2015-2020 तक की अवधि के लिए, केन्द्र और राज्यों के बीच संवितरण का तरीका चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अपनाया गया है।

1. निगम कर : यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2015-16 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 470628 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 452969.68 करोड़ रुपए है। 2016-17 का बजट अनुमान 493923.55 करोड़ रुपए है।

2. आयकर : यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2015-2016 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 327367 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 299051.24 करोड़ रुपए है। 2016-17 के लिए बजट अनुमान 353173.68 करोड़ रुपए है।

3. धन कर : धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है।

4. सीमा शुल्क : 2015-2016 के लिए सीमा शुल्कों का संशोधित अनुमान, 208336 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 209500 करोड़ रुपए है। 2016-17 का बजट अनुमान 230000 करोड़ रुपए है।

4.01.01 बुनियादी शुल्क : सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क का बुनियादी शुल्क आयातित माल पर लगाया जाता है।

4.01.02 सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) : सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत, सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क ऐसे घरेलू विनिर्मित माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की औसत सेनवैट दर 27.02.2010 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है तथा 17.03.2012 से यह 10% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को 01.03.2015 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क में सम्मिलित किया गया है तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मानक सैनवेट दर को उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर 12.5% पर तर्कसंगत किया गया था। तथापि, आयातीत वस्तुओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर जारी रहेगा।

4.01.03 विशेष सीवी शुल्क : सभी आयातित माल पर बिक्री कर, वैट, स्थानीय कर या अन्यथा को प्रतिसंतुलित करने के लिए विशेष सीवी शुल्क कुछ अपवादों के साथ 4 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहणीय है।

4.01.04 मोटर स्प्रिट पर सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क : मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2), 1998 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।

4.01.05 हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क : हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।

4.01.06 मोटर स्प्रिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क : मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

4.01.07 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क : वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 134 के तहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क आयातित बहु-प्रयोजन वाहन, पोलीस्टर फिलामेन्ट यार्न, दुपहियों पर लगाया जाता था । बाद में, यह कर मोटर कारों, पेट्रोलियम क्रूड, मोबाइल फोन आदि जैसी कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर भी लगा दिया गया । राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क पोलियस्टर फिलामेंट यार्न से हटा दिया गया है और बजट 2008-09 से मोबाइल फोनों पर 1 प्रतिशत की दर से लगा दिया गया है।

4.01.08 शिक्षा उपकर : कुल सीमा शुल्क पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर उद्ग्रहणीय है (सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और 8ग धारा 9 के तहत सीवीडी और धारा 9क के तहत डम्पिंग-रोधी शुल्क के तहत संरक्षण शुल्क को छोड़कर)। अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के तहत आबद्ध दरों पर सीमा शुल्क लगाई जाने वाली वस्तुओं को इस उपकर से मुक्त रखा गया है।

4.01.09 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर : कुल सीमा शुल्कों पर 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर उद्ग्रहणीय है।

4.02 निर्यात शुल्क : कुछ विनिर्दिष्ट मदों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है।

बकाया संग्रहण : 2014-15 में बकाया सीमा-शुल्कों का वास्तविक संग्रहण 950.86 करोड़ रुपए था। संशोधित अनुमान 2015-16 तथा बजट अनुमान 2016-17 के लिए बकाया सीमा शुल्कों के संग्रहण के लिए क्रमशः 2500 करोड़ तथा 1000 करोड़ रुपए है।

5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 2015-2016 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान, 229808.54 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 284142.34 करोड़ रुपए है। 2016-167 का बजट अनुमान 318669.50 करोड़ रुपए है।

5.01 बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क : केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। औसत सेनवैट दर को 27.02.2010 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा 17.03.2012 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को 01.03.2015 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क में सम्मिलित किया गया है तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मानक सैनवेट दर को उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर 12.5% पर तर्कसंगत किया गया था।

5.02 मोटर स्प्रिट पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क : मोटर स्पिरिट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर कहा जाता है।

5.03 हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क : हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाया जाता है। इसे समान्यतः सड़क उपकर कहा जाता है।

5.04 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क : राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, पान मसाला तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर वित्त विधेयक, 2001 के तहत लगाया जाता था। वित्त विधेयक, 2003 में उस लेवी को : (क) पोलिस्टर फिलामेंट यार्न, मोटर कार, दुपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन पर 1 प्रतिशत की दर से, और (ख) कच्चे पेट्रोलियम तेल पर 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन से लगाया जा रहा है ।

5.05 मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क : यह वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

5.06 पान मसाला तथा तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार : सिगरेट, पान मसाला, तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बजट 2005-06 में विनिर्दिष्ट दरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया। बीड़ी पर यह नहीं लगाया जाता है।

5.07. स्वच्छ पर्यावपण उपकर (पूर्ववर्ती स्वच्छ ऊर्जा उपकर) : इसे वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 80 के तहत भारत में निर्मित कच्चा कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाया गया था। यह उपकर 1.7.2010 से प्रवृत्त हुआ है और इसे उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहित किया जाता है।

बकाया संग्रहण *:* 2014-15 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बकायों का वास्तविक संग्रहण 1615.88 करोड़ रुपए रहा । इसके संग्रहण के लिए संशोधित अनुमान 2015-16 और बजट अनुमान 2016-17 में क्रमशः 2000 करोड़ रुपए और 2000 करोड़ रुपए का है।

6. सेवा कर : वर्ष 2015-16 हेतु सेवा कर का संशोधित अनुमान, 209774 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, 210000 करोड़ रुपए है। 2016-17 के लिए बजट अनुमान 231000 करोड़ रुपए का है।

कर योग्य सेवाओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को सेवा कर से समाहित किया गया था जिसे 1.6.2015 से 14% पर तर्कसंगत बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, 15.11.2015 से उन सभी सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत की दर से स्वच्छ भारत उपकर लगाया गया है जिन्हें सेवाकर से छूट प्राप्त नहीं है अथवा अन्यथा सेवाकर योग्य नहीं है।

नकारात्मक सूची : 01.07.2012 से सेवाओं के कराधान की एक "नकारात्मक एप्रोच लिस्ट" शुरू की गई है। इस सूची में निर्दिष्ट सेवाएं टैक्स नेट से बाहर रहेंगी। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93(1) में यथानिहित शक्तियों द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी सेवाएं सेवा कर के दायरे में होंगी अर्थात उन पर सेवाकर वसूला जाएगा।

बकाया संग्रहण : 2014-15 में सेवाकर बकायों का वास्तविक संग्रहण रु. 900.70 करोड़ था। सेवाकर के बकाया संग्रहण के लिए संशोधित अनुमान 2015-16 तथा बजट अनुमान 2016-17 क्रमशः 2500 करोड़ तथा 1000 करोड़ रुपए हैं।

□□-□□न्न □□□स्व

(□□□□ रु□□)

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
ब□□□ प्राप्ति, □□□□□ □□□□□						
1.	*ब्याज प्राप्ति*					
1.01.	राज्य	0049	8316.80	7759.97	7271.44	7743.90
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त)	0049	49.95	379.72	374.70	374.72
1.03.	रेलवे द्वारा देय ब्याज					
1.03.01.	लगी पूंजी पर लाभांश (सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता को घटाकर)	0049	5100.24	6058.91	4751.35	5407.37
1.03.02.	सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता	0049	4024.46	4728.71	3720.97	4300.80
1.03.03.	रेल यात्री किराए पर कर के एवज़ म रेलवे द्वारा अदायगी	0049	23.12	23.12	23.12	23.12
□□□-□□□□द्वारा □□ □□□			9147.82	10810.74	8495.44	9731.29
1.04.	अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	30470.62	25713.02	26859.54	27970.52
1.04.01.	घटाइए-व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-24181.28	-21064.12	-19858.96	-16200.00
□□□□-□□□□ प्राप्ति			23803.91	23599.33	23142.16	29620.43
2.	*लाभांश और लाभ*					
2.01.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	31691.91	36174.14	44365.83	53883.05
2.02.	भारतीय रिजव बक, राष्ट्रीयकृत बकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/अधिशेष लाभ	0050	58141.13	64477.00	73905.55	69897.00
□□□-□□□□□ □□ □□□			89833.04	100651.14	118271.38	123780.05
□□□-ब□□□ प्रा□से, □□□□□ □□□□□			113636.95	124250.47	141413.54	153400.48
□□□□□□□□ □□□□						
3.	*राजकोषीय सेवाएं*					
3.01.	करसी, सिक्का निमाण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ	0046	1296.72	600.00	600.00	600.00
3.02.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	96.87	155.00	103.00	103.00
□□□-□□□□□□□□ □□□□			1393.59	755.00	703.00	703.00
□□□-□□□□□□□□ □□□□			1393.59	755.00	703.00	703.00
□□□□□ □□□□						
4.	*सामान्य सेवाएं*					
4.01.	प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01.	लोक सेवा आयोग	0051	75.99	183.00	147.00	168.00
4.01.02.	पुलिस	0055	4806.75	4622.00	5752.50	5552.60
4.01.03.	पूर्ति और निपटान					
4.01.03.01.	पूर्ति और निपटान	0057	152.55	138.00	144.00	165.00
4.01.03.02.	घटाइए-प्राप्तियां	0057	...	...	...	...
□□□□			152.55	138.00	144.00	165.00
4.01.04.	लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	22.69	19.00	18.78	19.00
4.01.05.	लोक निमाण काय	0059	129.48	130.92	131.12	131.12
4.01.06.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	5462.93	5853.55	5451.33	5737.39
□□□□-प्र□□□□□□ □□□□			10650.39	10946.47	11644.73	11773.11
4.02.	पशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध म अंशदान और वसूलियां					
4.02.01.	पशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध म अंशदान और वसूलियां	0071	1348.13	2268.55	2572.51	2483.50
4.02.02.	घटाइए प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
□□□□-□□□ □□ □□ □□□□□□□त्ति □□□ □□□□□ □ □□□□□ □□ □□□□□□			1348.13	1268.55	1572.51	1483.50
4.03.	विविध सामान्य सेवाएं	0075	14982.72	16476.12	15923.56	16782.16
4.03.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - कटीन स्टोस विभाग को प्राप्तियां	0075	-13501.72	-14924.62	-14424.62	-15125.00

(□□□□ ₹□□)

	कर-भिन्न राजस्व	मुख्य शीष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
4.03.02.	घटाइए - प्राप्तियां	0075	-7.71	-5.18	-2.53	-45.79
□□□□-□□□□□ □□□□□			1473.29	1546.32	1496.41	1611.37
4.04.	रक्षा सेवाएं					
4.04.01.	रक्षा सेवाएं - सेना	0076	2540.44	2836.88	2908.38	3155.17
4.04.01.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0076	-2540.44	-2836.88	-2908.38	-3155.17
□□□□			...	...	...	...
4.04.02.	रक्षा सेवाएं - नौसेना	0077	673.13	600.00	250.00	400.00
4.04.02.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0077	-673.13	-600.00	-250.00	-400.00
□□□□			...	...	...	...
4.04.03.	रक्षा सेवाएं - वायु सेना	0078	2944.24	1300.00	1300.00	1300.00
4.04.03.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0078	-2944.24	-1300.00	-1300.00	-1300.00
□□□□			...	...	...	...
4.04.04.	रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने	0079	1719.32	1678.93	1951.59	1908.85
4.04.04.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0079	-1719.32	-1678.93	-1951.59	-1908.85
□□□□			...	...	...	...
4.04.05.	रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास	0080	461.62	65.00	300.00	120.00
4.04.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0080	-461.62	-65.00	-300.00	-120.00
□□□□			...	...	...	...
□□□□-□क्ष□ □□□□□			...	...	...	...
□□□□-□□□□□ □□□□□			13471.81	13761.34	14713.65	14867.98
□□□-□□□□□ □□□□□			13471.81	13761.34	14713.65	14867.98
□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□						
5.	***सामाजिक सेवाएं***					
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	109.35	132.96	104.99	108.80
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	320.82	379.83	326.80	349.01
5.03.	परिवार कल्याण	0211	33.02	40.20	18.66	18.68
5.04.	आवास	0216	150.49	169.42	240.26	248.15
5.05.	शहरी विकास	0217	...	0.05	0.05	0.05
5.06.	सूचना और प्रचार-प्रसार	0220	209.05	5141.76	4490.05	6057.96
5.07.	प्रसारण	0221	836.52	...	5684.34	...
5.07.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0221	...	...	-5684.34	...
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	14.84	14.17	14.18	14.18
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	0.78	0.42	0.52	1500.55
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	...	...	...	...
□□□□-□□□□□□ □□□□□			1674.87	5878.81	5195.51	8297.38
□□□-□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□			1674.87	5878.81	5195.51	8297.38
□f□□ □□□□□						
6.	***आर्थिक सेवाएं***					
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01.	फसल काय	0401	207.89	195.06	200.01	200.01
6.01.01.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0401	...	...	...	...
□□□□			207.89	195.06	200.01	200.01
6.01.02.	पशु पालन	0403	19.64	28.75	17.45	17.45
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	393.74	550.73	460.28	550.41
6.01.03.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - दिल्ली दुग्ध योजना को प्राप्तियां	0404	-393.49	-550.73	-460.00	-550.00
□□□□			0.25	...	0.28	0.41
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	3.49	6.14	5.63	5.63
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	15.95	26.00	31.00	31.00

([illegible])

	कर-भिन्न राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
6.01.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0406	-2.31	-6.00	-6.00	-6.00
[illegible]			13.64	20.00	25.00	25.00
6.01.06.	बागान	0407	...	...	...	...
6.01.07.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	3.15	8.73	7.03	7.03
6.01.08.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	0.06	0.01	0.05	0.01
6.01.09.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	16.21	19.50	16.00	16.00
[illegible]			264.33	278.19	271.45	271.54
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	17.43	20.00	19.76	21.50
6.02.02.	लघु सिंचाई	0702	0.52	0.21	0.56	0.58
[illegible]			17.95	20.21	20.32	22.08
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	3286.60	3236.98	14435.96	14613.53
6.03.01.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र को प्राप्तियां	0801	-228.88	-208.57	-208.58	-98.28
6.03.01.02.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - ईंधन वस्तु सूची को प्राप्तियां	0801	-2123.74	-2027.65	-2236.89	-2800.00
[illegible]			933.98	1000.76	11990.49	11715.25
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	14480.07	14034.34	10756.06	12401.33
6.03.03.	कोयला और लिग्नाईट	0803	6179.26	0.10	600.00	3551.32
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	0.14	0.18	0.13	0.08
[illegible]			21593.45	15035.38	23346.68	27667.98
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	23.96	28.25	21.91	23.37
6.04.02.	उद्योग	0852	2024.63	2866.87	2396.18	2967.15
6.04.02.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - ईंधन संरचना सुविधाएं को प्राप्तियां	0852	-1816.83	-2593.03	-2130.58	-2680.10
6.04.02.02.	घटाइए - क्षेत्र मे अन्य प्राप्तियां	0852	...	...	...	...
[illegible]			207.80	273.84	265.60	287.05
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	18.21	30.20	26.15	29.17
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	255.94	400.43	312.70	312.70
6.04.04.01.	घटाइए- वाणिज्यिक विभाग - अफीम और अल्कालायड कारखानों को प्राप्तियां	0875	-255.94	-400.43	-312.70	-312.70
[illegible]			...	...	...	...
[illegible]			249.97	332.29	313.66	339.59
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	222.28	251.60	252.01	252.05
6.05.01.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - दीपस्तम्भ तथा दीप पोतों को प्राप्तियां	1051	-220.40	-250.00	-250.00	-250.00
[illegible]			1.88	1.60	2.01	2.05
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	83.69	72.70	97.81	106.34
6.05.03.	नागर विमानन	1053	33.51	37.50	30.45	38.03
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	6102.87	6711.00	6233.00	9480.00
6.05.05.	सड़क परिवहन	1055	...	...	...	...
6.05.06.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	8.01	...	...	...
6.05.07.	अन्य परिवहन सेवाएं	1075	...	...	...	...
6.05.08.	डाक प्राप्तियां	1201	11635.98	12036.87	12614.01	13827.05
6.05.08.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - डाक सेवाओं को प्राप्तियां	1201	-11635.98	-12036.87	-12614.01	-13827.05
[illegible]			...	...	...	...

(□□□□ रु□□)

कर-भिन्न राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
□□□□-□7□□□□		6229.96	6822.80	6363.27	9626.42
6.06. संचार					
6.06.01. अन्य संचार सेवाएं	1275	30624.18	42865.62	57383.89	98994.93
6.06.01.01. घटाइए-प्राप्तियां	1275	...	...	-1349.54	...
□□□□		30624.18	42865.62	56034.35	98994.93
6.07. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	48.73	61.65	60.65	55.28
6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	768.02	868.82	738.35	689.74
□□□-□□ज्ञ□□, प्रौद्यो□□□ □□ □□□□□□		816.75	930.47	799.00	745.02
6.08. सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	137.51	131.50	139.40	139.40
6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	4773.02	7570.91	5004.00	3608.92
6.08.02.01. घटाइए प्राप्तियां	1475	...	...	...	...
□□□□		4773.02	7570.91	5004.00	3608.92
6.08.03. पर्यटन	1452	10.88	30.00	32.00	35.00
6.08.04. नागरिक आपूर्ति	1456	0.02	0.01	0.02	0.02
□□□□-□□□□□ □□□□ □□□□□		4921.43	7732.42	5175.42	3783.34
□□□□-□□□□ □□□□□		64718.02	74017.38	92324.15	141450.90
7. रेल बजट के अनुसार रेल राजस्व					
7.01. भारतीय रेलवे विविध प्राप्तियां	1001	4306.71	4978.71	3970.97	4450.80
7.01.01. घटाइए - विविध प्राप्तियां	1001	-4306.71	-4978.71	-3970.97	-4450.80
7.02. भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइन	1002	155904.05	183578.00	167834.00	184819.84
7.02.01. घटाइए - प्राप्तियां	1002	-155904.05	-183578.00	-167834.00	-184819.84
7.03. भारतीय रेलवे - सामरिक लाइन	1003	806.49	...	...	...
7.03.01. घटाइए - प्राप्तियां	1003	-806.49	...	...	...
□□□□-□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□		...	...	...	...
□□□-□□□□ □□□□□		64718.02	74017.38	92324.15	141450.90
□□□□□□□□□ □□□ □□□□□					
8. सहायतानुदान तथा अंशदान					
8.01. विदेश अनुदान सहायता					
8.01.01. बहुपक्षीय					
8.01.01.01. एशियाई विकास बैंक	1605	2.41	...	...	...
8.01.01.02. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	1605	1.00	...	...	...
8.01.01.03. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	1605	92.00	106.00	72.45	100.21
8.01.01.04. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	1605	7.00	...	...	...
□□□-□हु□क्ष□□		102.41	106.00	72.45	100.21
8.01.02. द्विपक्षीय					
8.01.02.01. जर्मनी	1605	23.00	32.00	38.50	41.00
8.01.02.02. जापान	1605	...	...	20.00	...
8.01.02.03. यूनाइटेड किंगडम (डीएफआईडी)	1605	601.33	400.00	257.39	...
8.01.02.04. ईईसी	1605	...	332.77	301.32	...
8.01.02.05. यूएसएआईडी	1605	...	8.50	78.20	101.00
□□□-द्वि□क्ष□□		624.33	773.27	695.41	142.00
8.01.03. अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01. वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	679.10	890.00	1717.00	1880.00
8.01.03.02. यूएनडीपी	1605	35.00	4.50	20.50	52.00
8.01.03.03. यूएनपीएफ	1605	1.00	...	1.00	1.00
□□□-अंतर्राष्ट्रीय □□□□□		715.10	894.50	1738.50	1933.00
□□□-□□□□ □□□□□ □□□□□□		1441.84	1773.77	2506.36	2175.21

(□□□□ ₹□□)

कर-भिन्न राजस्व	मुख्य शीष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
8.02. सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	158.04	...	430.39	686.82
□□□-□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□		1599.88	1773.77	2936.75	2862.03
□□□-□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□		1599.88	1773.77	2936.75	2862.03
□□ □□□ क्षेत्रों □□ □□ □□न □□□स					
9. संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व	1710	1362.26	1295.82	1288.94	1339.33
□□□-□□ □□□ क्षेत्रों □□ □□ □□न □□□स		1362.26	1295.82	1288.94	1339.33
कुल जोड़		*197857.38*	*221732.59*	*258575.54*	*322921.10*

उपर्युक्त विवरण में 2016-2017 की कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सार दिया गया है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अनुमान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं जैसे परिसंपत्तियों पर लाभांश और लाभ के रूप में प्रतिलाभ, सरकारी कार्य, विनियामक प्रभारों तथा लाइसेंस शुल्क और मुहैया कराई गई सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में संग्रहित ब्याज, शुल्क, दंड और विविध प्राप्तियां ।

1.01 राज्यों को दिए गए ऋणों पर ब्याज : ब्याज प्राप्तियां संशोधित अनुमान 2015-16 में 77430.90 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2015-2016 में 7743.90करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

1.02 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दिए गए ऋणों पर ब्याज : ब्याज प्राप्तियां संशोधित अनुमान 2015-2016 में 374.70करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2016-2017 में 374.72 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

1.03 रेलवे द्वारा देय ब्याज : वर्ष 2016-17 के लिए अनुमान 2015-16 हेतु अपनाई गई व्यवस्थाओं के आधार पर लगाए गए हैं। ये व्यवस्थाएं हैं (i) रिहायशी भवनों की पूंजीगत लागत जिसपर 3.5 प्रतिशत का लाभांश है, को छोड़कर रेलवे निवेश के वर्ष को ध्यान में रखे बिना, लाभांश देने वाली पूरी पूंजी पर 4 प्रतिशत का लाभांश अदा करता है (राज्यों को यात्री भाड़ा कर के स्थान पर भुगतान करने के लिए 31.3.1964 तक निवेशित सब्सिडी पूंजी घटाकर लाभांश देने वाली पूंजी पर 1.5 प्रतिशत शामिल है); (ii) रेलवे इनके संबंध में पूंजी पर लाभांश अदा नहीं करता; (क) महत्वपूर्ण लाइनें, (ख) अ-लाभकारी ब्रांच लाइनें, पूंजी पर लाभांश भुगतान से किसी खास ब्रांच लाइन की छूट लाइन की लाभदायकता की वार्षिक समीक्षा पर आधारित होती है, लाभदायता "मार्जिनल लागत" के सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित की जा रही है, (ग) नौकावहन, कल्याण भवन (अस्पताल, औषधालय, स्वास्थ्य इकाइयां, क्लब, संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास तथा अन्य कल्याण केंद्र) और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे लाइनों नॉन स्ट्रेटेजिक हिस्सा, (घ) अयस्क लाइनें (किरिबुरू - बिमलागढ़ और संभलपुर - टिटलागढ़ लाईनें जिनमें अयस्क के वहन के लिए भाड़े की रियायती दरें लगती हैं) बशर्ते वे लाभकारी न हों, लाभदायकता मार्जिनल लागत के सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित की जा रही है, (ङ) 1 अप्रैल, 1955 को अथवा उसके बाद की 28 नई लाइनों पर वित्तीय विचार के अलावा ध्यान दिया जाएगा सिवाय उन लाइनों को छोड़कर जो मार्जिनल लागत के सिद्धान्त को अपनाए गए वर्ष के दौरान लाभकारी बनी है। यह व्यवस्था जम्मू-कठुआ और तिरुनेवल्ली-त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी लाईनें जिन्हें राष्ट्रीय निवेश के नाम से जाना जाता है, पर भी लागू होती है। (च) सामरिक विचार कर गेज परिवर्तन कार्य हाथ में लिया गया । (छ) वर्ष में परिव्यय का 50 प्रतिशत भाग पूंजी निर्माण कार्य प्रगति पर लगाया गया (जो अन्यथा लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है तीन वर्षों की अवधि के लिए लाभांश भुगतान से छूट प्राप्त है। उक्त लाभांश रियायतें रेलवे को सामान्य राजस्व से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। (iii) 2005-06 तक सामरिक लाइनों पर हुए नुकसान को देय लाभांश से घटाया गया। तथापि, 2006-07 से इन नुकसानों की प्रतिपूर्ति आर्थिक कार्य विभाग की मांग के तहत किए गए प्रावधान के जरिए की जा रही है। (iv) जिन वर्षों में रेलवे का निवल राजस्व मौजूदा लाभांश देयता से पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है, मौजूदा लाभांश के भुगतान में सभी को आस्थगित लाभांश देयता के रूप में समझा जाता है (जिस पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जाता है) और जिसे रेलवे द्वारा भावी वर्षों में अधिशेष से उन्मोचित किया जाएगा। (v) उपर्युक्त वर्णित सिद्धान्तों के आधार पर, रेलवे द्वारा 2015-16 के संशोधित अनुमान और 2016-17 के बजट अनुमानों में देय लाभांश के अनुमानों से तैयार किया गया है। (vi) 1964-65 से पहले रेलवे द्वारा भुगतान किए गए 1.5 प्रतिशत लाभांश में से 23.12 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान रेलवे द्वारा किया जाता है जो राज्यों को अनुदान के रूप में रेलवे यात्री किराया पर निरसित कर के बदले देने हेतु है और शेष राशि जो अब तक 2001-2002 से रेलवे सुरक्षा निर्माण निधि में अंशदान की जाती थी, उसे रेलवे द्वारा सीधे वित्त मंत्रालय और आरसीसी के अनुमोदन से रेलवे रक्षा निर्माण कार्यों में क्रेडिट किया जाता है।

1.04 अन्य ब्याज प्राप्तियां : "अन्य ब्याज प्राप्तियों" के तहत अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए अग्रिम ऋणों पर ब्याज के सम्बन्ध में और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय हैं।

2. लाभांश तथा लाभ : इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।

3.02 अन्य राजकोषीय सेवाएं : ये प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि के अंशदानों से सम्बन्धित हैं।

4.01.01 "लोक सेवा आयोग" की प्राप्तियां मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को प्रदर्शित करती हैं।

4.01.02 "पुलिस" की प्राप्तियां राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को सप्लाई किए गए केन्द्रीय पुलिस बल के कारण हैं। इन प्राप्तियों में दिल्ली पुलिस की प्राप्तियां भी शामिल हैं।

4.01.03 "पूर्ति तथा निपटान" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों, और अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए निपटान की बिक्री आय से सम्बन्धित हैं।

4.01.04 "स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्तियां सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री आदि से सम्बन्धित हैं।

4.01.06 "अन्य प्रशासनिक सेवाओं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।

4.03.01 वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां रक्षा सेवा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमैंट से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

5.01 "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।

5.02 "चिकित्सा" प्राप्तियों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्तियों में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्तियां आदि शामिल हैं।

5.03 "परिवार कल्याण" प्राप्तियां मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्तियों से सम्बन्धित हैं।

5.04 "आवासन" प्राप्तियां मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।

5.06 "सूचना तथा प्रचार" प्राप्तियों में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार, प्रकाशन बिक्री, फिल्म किराया तथा फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन (एफएम) - चरण-III में किए जाने वाली और नीलामी से डीटीएच आपरेटरों से लाइसेंस शुल्क की प्राप्तियां शामिल हैं।

5.08 "श्रम और रोजगार" प्राप्तियां मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।

5.09 "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्तियां मुख्तया केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित है।

6.01 **कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां :** इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियन्त्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।

6.02 **सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण :** इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्तियां आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।

6.03 **ऊर्जा :** इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनों से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है। "विद्युत" शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां दर्ज होती हैं। "पेट्रोलियम" शीर्ष के अधीन अनुमानों में अपतटीय कच्चे तेल और गैस उत्पादन लाभ पेट्रोलियम पर रॉयल्टी और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं।

6.03.02 पेट्रोलियम : (क) रॉयल्टी : पीएनजी नियमावली, 1959 की धारा 14 के अंतर्गत रॉयल्टी राज्य सरकार को भू-तटीय तेल और प्राकृतिक गैस ब्लाकों के लिए और केंद्र सरकार को अपतटीय तेल और प्राकृतिक गैस ब्लाकों के लिए देय है। कच्चे तेल पर रॉयल्टी आयलफिल्ड (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 की धारा 6क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 2003 द्वारा विनियमित की जाती है। इन सांविधियों और संबंधित अधिसूचनाओं के अनुसार कच्चे तेल सहित किसी भी खनिज तेल के संबंध में रॉयल्टी की दर आयल फिल्ड अथवा वेल ऐड पर खनिज तेल के बिक्री मूल्य से अधिक नहीं होगी। वर्तमान रॉयल्टी दरें दिनांक 16 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना में निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं: एनईएलपी ब्लॉक-कच्चा तेल/कंडेन्सेट-रॉयल्टी आधार पर तटीय हेतु 12.5 प्रतिशत, रॉयल्टी आधार पर अपतटीय हेतु 10 प्रतिशत, रॉयल्टी आधार पर गहरे पानी के लिए पहले 7 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत तथा 7 वर्ष पश्चात् 10 प्रतिशत। गैस-तटीय और अपतटीय रॉयल्टी आधार पर 10 प्रतिशत, रॉयल्टी आधार पर गहरे पानी के लिए पहले 7 वर्षों हेतु 5 प्रतिशत और 7 वर्ष पश्चात् 10 प्रतिशत (400 मीटर आइसोबाथ से अधिक) (ii) नामांकन ब्लाक :- कच्चा तेल/कंडेन्सेन्ट - रॉयल्टी आधार पर तटीय के लिए 20 प्रतिशत, अपतटीय के लिए 10 प्रतिशत/गैसः तटीय और अपतटीय ऑन कम रॉयल्टी आधार पर 10 प्रतिशत (iii) पूर्व-एनईएलपी खोजी फिल्ड :-कच्चा तेल/कंडेन्सेट, तटीय आन कम रॉयल्टी के लिए 20 प्रतिशत/लाइसेंसी पीएसपी के तहत निर्धारित प्रति मी.टन 481 रुपये/528 की विशिष्ट दर पर अदा करता है और केंद्र द्वारा दर का अंतर राज्यों को अदा किया जाता है। अपतटीय के लिए पीएससी के अनुसार प्रति मी.टन 481/528 रुपए विशिष्ट दर । गैसः रॉयल्टी आधार पर तटीय और अपतटीय हेतु 10 प्रतिशत (iv) पूर्व एनईएलपी खोजी ब्लॉक :- तटीय ब्लॉकों के लिए आन कम रॉयल्टी आधार पर 20 प्रतिशत, अपतटीय ब्लॉकों के लिए आन कम आधार 10 प्रतिशत ।

गैस : तटीय और अपतटीय के लिए रॉयल्टी आधार पर 10 प्रतिशत ।

(ख) लाभ पेट्रोलियम : लाभ पेट्रोलियम संविदागत क्षेत्र से उत्पादित कच्चा तेल, कन्डनसेट और प्राकृतिक गैस के मूल्य में से लागत पेट्रोलियम घटाने पर मिलता है और इसका निर्धारण तत्संबंधी पीएससी के उपबंधों के अनुसार होता है। राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा नामित फील्डों से उत्पादन पर कोई लाभ पेट्रोलियम देय नहीं है। लाभ पेट्रोलियम उगाही भी कच्चे तेल और गैस के प्रचलित मूल्य के अनुसार भिन्न होती है। महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन (डीजीएच) इन पीएससी के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करते हैं। लाभ पेट्रोलियम तिमाही आधार पर देय है ।

(ग) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्क : पीईएल शुल्क का भुगतान प्रचालक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित पीएंडएनजी नियम, 1959 के अनुसार, अग्रिम रूप से वार्षिक आधार पर किया जाता है। अपतट फील्डों के मामले में, पीईएल शुल्क केंद्र सरकार के पास जाता है जबकि अभितट फील्डों के मामले में यह संबंधित राज्य सरकार को देय है। शुल्क की राशि लाइसेंसधारी से अपतट क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा इसको प्रदान किए गए क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा इसको प्रदान किए गए क्षेत्र के लिए राज्य सरकार से । पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम 2009 द्वारा

दिनांक 25/11/2009 को यथा संशोधित 16/12/2009 से प्रभावी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अनुसार, लाइसेंस धारक को शुल्क अदा/जमा कराना होता है।

(घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी) : यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संचालक जिस दिन से उत्पादन शुरू करता है उस दिन से सीबीएम के उत्पादन पर सरकार के साथ राजस्व साझा करता है। उत्पादन स्तर भुगतान प्रणाली अधिक पारदर्शी है और इसमें संचालन समिति या सरकार द्वारा में मामूली हस्तेक्षेप की अपेक्षा होती है। क्योंकि उत्पाद की लागत का निर्धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

6.04.01 'ग्रामीण और लघु उद्योग' शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती है।

6.04.02 'उद्योग' के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

6.04.03 'गैर अयस्क खनन और धात्विक उद्योग' शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

6.05.02 'पोत परिवहन' शीर्ष में जहाजों और नौका सेवाओं के सर्वेक्षण और पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.05.04 'सड़क और पुलः शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग के मद में प्राप्तियां शामिल हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थाई पुलों के प्रयोग हेतु शुल्क तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकार तथा अन्य निकायों से वसूले गए विभागीय प्रभार भी शामिल हैं।

6.06.01 'अन्य संचार सेवाओं' के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः ट्राई की सिफारिशों के अनुसार लगाए जाने वाले एक बारगी स्पेक्ट्रम प्रभारों, 1800 मे. ह. और 900 मे. ह. स्पेकट्रम तथा 800 मे.ह. स्पेकट्रम की नीलामी की प्राप्तियों से संबंधित है । दूरसंचार विभाग इसके द्वारा दिए गए विभिन्न टेलीकॉम आपरेटरों से आवर्ती लाइसेंस शुल्क संग्रहित करता है। यह नए आपरेटरों से एकबारगी प्रविष्टि शुल्क भी संग्रहित करता है। मुख्य सेवा श्रेणियों में सेल्युलर मोबाइल सेवा, बुनियादी सेवा, यूनिफाइड एक्सेस सेवा, वी-सैट सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवाएं, अवसंरचना प्रदाता, इंटरनेट सेवाएं, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा और कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा शामिल है। कुछेक सेवाओं को छोड़कर, लाइसेंस शुल्क आपरेटरों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत हिस्से के आधार पर संग्रहित किया जाता है और इसमें यूनिवर्सल एक्सेस लेवी का घटक शामिल है। इसके बदले, एजीआर टैरिफ, ग्राहक आधार, प्रतिस्पर्धा आदि जैसे कारकों द्वारा प्रभावित होता है। लाइसेंस फीस से होने वाले संग्रह लाइसेंस फीस की दरों, प्रशुल्कों तथा देश में दूरसंचार सेवाओं की वृद्धि की दरों पर निर्भर करता है। स्पैक्ट्रम प्रभारों की वसूली विभाग द्वारा सेवा प्रदायकों द्वारा स्पैक्ट्रम के उपयोग पर की जाएगी तथा इसका परिकलन या तो उनके नेटवर्क (सीएमटीएस बेसिक, यूएएस तथा वाणिज्यिक वी सैट लाइसेंसों के लिए) के लिए निर्दिष्ट स्पैक्ट्रम प्रमात्रा पर निर्भर उनकी समायोजित सकल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में किया जाएगा या किसी समान दर पर अथवा किसी फार्मूले (अन्यों के लिए) के आधार पर किया जाएगा।

6.07.01 "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा बिक्री से सम्बधित हैं।

6.07.02 'अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित है।

6.08.01 "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां है ।

6.08.02 "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल राजस्व - रेल बजट के अनुसार प्राप्तियों में i) विविध प्राप्तियाँ ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

8. सहायता-अनुदान अंशदानः ये अनुमान बाहरी स्रोतों से नकद तथा अन्य प्रकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में हैं। बाह्य सहायता का ब्यौरा अनुबंध 9 में दिया गया है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व : (विधान मण्डलों रहित) संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी तथा वनोत्पाद की बिक्री, चण्डीगढ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन से प्राप्त प्राप्तियां, पर्यटन तथा विद्युत आदि शामिल हैं।

कर-भिन्न राजस्व का बकाया : राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुपालन में कर-भिन्न राजस्वों के बकाया के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण विवरण अनुबंध 12 में देखा जा सकता है।

पूंजी प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
ऋण-भिन्न प्राप्तियां					
1. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां					
1.01. राज्य सरकारें					
1.01.01. सकल प्राप्तियां	7601	10582.32	8917.46	8748.53	9127.98
1.01.02. वसूलियां	7601	...	-100.00	-100.00	-100.00
निवल-राज्य सरकारें		*10582.32*	*8817.46*	*8648.53*	*9027.98*
1.02. संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)	7602	75.33	454.53	444.52	444.52
1.03. विदेशी सरकारें	7605	722.05	358.42	406.94	376.57
1.04. अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)					
1.04.01. सकल प्राप्तियां	9001	15167.00	12983.46	31315.91	12546.28
1.04.02. वसूलियां	9001	-12808.48	-11861.04	-21911.04	-11761.04
निवल-अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)		*2358.52*	*1122.42*	*9404.87*	*785.24*
निवल-ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां		*13738.22*	*10752.83*	*18904.86*	*10634.31*
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां					
2.01. विनिवेश प्राप्तियां	4000	32620.46	41000.00	25312.60	36000.00
2.02. गैर-सरकारी कंपनियों में सरकारी हिस्से का विनिवेश	4000	...	...	...	...
2.03. एएमसी के पास राशियों को पुनरांकित करना	4000	...	...	...	...
2.04. अन्य	4000	5119.39	...	...	...
2.05. कार्यनीतिक विनिवेश	4000	...	28500.00	...	20500.00
2.06. घटाइए : बोनस शेयर निर्गम	4000	-3.00	...	...	...
निवल-विविध पूंजीगत प्राप्तियां		*37736.85*	*69500.00*	*25312.60*	*56500.00*
जोड़-ऋण-भिन्न प्राप्तियां		**51475.07**	**80252.83**	**44217.46**	**67134.31**
ऋण प्राप्तियां					
3. उधार					
3.01. बाजार ऋण					
3.01.01. सकल उधार	6001	592000.00	600000.00	585000.00	600000.00
3.01.02. पुनर्संदाय	6001	-138924.68	-143594.54	-144391.94	-174819.13
निवल-बाजार ऋण		*453075.32*	*456405.46*	*440608.06*	*425180.87*
3.02. प्रतिभूतियों का अंतरण					
3.02.01. सकल उधार	6001	37373.75	50000.00	36321.02	75000.00
3.02.02. पुनर्संदाय	6001	-39028.31	-50000.00	-36321.02	-75000.00
निवल-प्रतिभूतियों का अंतरण		*-1654.56*	*...*	*...*	*...*
3.03. वापसी खरीद					
3.03.01. सकल उधार	6001	...	...	...	...
3.03.02. पुनर्संदाय	6001	-6282.88	...	-38678.98	...
निवल-वापसी खरीद		*-6282.88*	*...*	*-38678.98*	*...*
3.04. अल्पकालिक उधार					
3.04.01. 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.04.01.01. सकल उधार	6001	2216124.48	2378006.28	2217262.00	2438988.00
3.04.01.02. पुनर्संदाय	6001	-2217261.88	-2378006.28	-2217262.00	-2438988.00
निवल		*-1137.40*	*...*	*...*	*...*
3.04.02. 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.04.02.01. सकल उधार	6001	670312.98	735410.60	730323.31	770219.27
3.04.02.02. पुनर्संदाय	6001	-667112.12	-717473.45	-682773.48	-753570.43
निवल		*3200.86*	*17937.15*	*47549.83*	*16648.84*
3.04.03. 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.04.03.01. सकल उधार	6001	147608.18	160874.14	171953.88	175145.98

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
3.04.03.02. पुनर्संदाय	6001	-146688.24	-156874.14	-161719.01	-175145.98
निवल		*919.94*	*4000.00*	*10234.87*	*...*
3.04.04. 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.04.04.01. सकल उधार	6001	149200.68	163425.05	154032.73	154032.73
3.04.04.02. पुनर्संदाय	6001	-143004.76	-155299.65	-143152.18	-154032.73
निवल		*6195.92*	*8125.40*	*10880.55*	*...*
3.04.05. नकदी प्रबंधन बिल					
3.04.05.01. सकल उधार	6001	10000.00	100000.00	...	100000.00
3.04.05.02. पुनर्संदाय	6001	-10000.00	-100000.00	...	-100000.00
निवल		*...*	*...*	*...*	*...*
3.04.06. अर्थोपाय अग्रिम					
3.04.06.01. सकल उधार	6001	316116.00	500000.00	83843.00	500000.00
3.04.06.02. पुनर्संदाय	6001	-316116.00	-500000.00	-83843.00	-500000.00
निवल		*...*	*...*	*...*	*...*
निवल-अल्पकालिक उधार		*9179.32*	*30062.55*	*68665.25*	*16648.84*
निवल-उधार		*454317.20*	*486468.01*	*470594.33*	*441829.71*
4. लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां					
4.01. प्राप्तियां	6001	33528.31	23835.00	55190.47	25375.25
4.02. पुनर्संदाय	6001	-1302.49	-1427.48	-1772.52	-3267.34
निवल-लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां		*32225.82*	*22407.52*	*53417.95*	*22107.91*
5. राज्य भविष्य निधियां					
5.01. प्राप्तियां	8009	49850.30	46000.00	51000.00	54000.00
5.02. संवितरण	8009	-37930.63	-36000.00	-40000.00	-42000.00
निवल-राज्य भविष्य निधियां		*11919.67*	*10000.00*	*11000.00*	*12000.00*
6. अन्य प्राप्तियां (आंतरिक कर्ज और लोक लेखा)					
6.01. राहत बांड					
6.01.01. प्राप्तियां	6001	0.46	...	...	...
6.01.02. संवितरण	6001	-22.76	-33.18	-40.31	-30.57
निवल-राहत बांड		*-22.30*	*-33.18*	*-40.31*	*-30.57*
6.02. बचत बांड					
6.02.01. प्राप्तियां	6001	424.82	288.30	1299.00	1616.00
6.02.02. संवितरण	6001	-595.93	-5733.17	-5822.43	-5281.40
निवल-बचत बांड		*-171.11*	*-5444.87*	*-4523.43*	*-3665.40*
6.03. स्वर्ण बांड और अन्य					
6.03.01. प्राप्तियां	6001	...	...	1029.37	10000.00
6.03.02. संवितरण	6001	...	...	...	...
निवल-स्वर्ण बांड और अन्य		*...*	*...*	*1029.37*	*10000.00*
6.04. डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)					
6.04.01. प्राप्तियां	6001	...	...	...	...
6.04.02. संवितरण	6001	...	...	...	...
निवल-डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)		*...*	*...*	*...*	*...*
6.05. अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधियों को छोड़कर लोक लेखा)					
6.05.01. प्राप्तियां	9002	791917.41	713950.76	847933.98	907310.71
6.05.02. संवितरण	9002	-876230.10	-693327.84	-832883.13	-887337.12
6.05.03. घटाइए - प्राप्तियां	9002	...	...	...	...
कुल-अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधियों को छोड़कर लोक लेखा)		*-84312.69*	*20622.92*	*15050.85*	*19973.59*
6.06. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं					
6.06.01. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष					
6.06.01.01. प्राप्तियां	6001	11236.70	0.02	52920.01	0.02
6.06.01.02. पुनर्संदाय	6001	-635.13	-1500.00	-500.00	-500.00

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
6.06.01.03. घटाइए - प्राप्तियां	6001	-5130.62	-505.37	-53453.62	-498.90
निवल		*5470.95*	*-2005.35*	*-1033.61*	*-998.88*
6.06.02. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक					
6.06.02.01. प्राप्तियां	6001	...	...	...	...
6.06.02.02. पुनर्संदाय	6001	...	...	...	...
निवल		...	...	...	...
6.06.03. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ					
6.06.03.01. प्राप्तियां	6001	417.98	419.96	446.69	446.69
6.06.03.02. पुनर्संदाय	6001	...	...	...	...
निवल		*417.98*	*419.96*	*446.69*	*446.69*
6.06.04. एशियाई विकास बैंक और निधि					
6.06.04.01. प्राप्तियां	6001	248.64	48.02	48.09	49.52
6.06.04.02. पुनर्संदाय	6001	-65.90	-67.44	-67.90	-82.77
निवल		*182.74*	*-19.42*	*-19.81*	*-33.25*
6.06.05. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
6.06.05.01. प्राप्तियां	6001	...	...	...	...
6.06.05.02. पुनर्संदाय	6001	-1.53	...	...	...
निवल		*-1.53*	...	...	...
6.06.06. अफ्रीकी विकास निधि एवं बैंक					
6.06.06.01. प्राप्तियां	6001	69.43	37.37	38.83	2.67
6.06.06.02. पुनर्संदाय	6001	-56.18	-18.45	-18.45	-18.15
निवल		*13.25*	*18.92*	*20.38*	*-15.48*
निवल-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं		*6083.39*	*-1585.89*	*-586.35*	*-600.92*
निवल-अन्य प्राप्तियां (आंतरिक कर्ज और लोक लेखा)		*-78422.71*	*13558.98*	*10930.13*	*25676.70*
7. विदेशी कर्ज					
7.01. बहुपक्षीय					
7.01.01. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक					
7.01.01.01. प्राप्तियां	6002	5634.81	6285.00	6085.00	7954.00
7.01.01.02. पुनर्संदाय	6002	-4149.82	-4843.45	-4972.04	-5688.42
निवल		*1484.99*	*1441.55*	*1112.96*	*2265.58*
7.01.02. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ					
7.01.02.01. प्राप्तियां	6002	8425.28	8550.00	9136.00	9878.00
7.01.02.02. पुनर्संदाय	6002	-7936.62	-9373.20	-9391.36	-10371.95
निवल		*488.66*	*-823.20*	*-255.36*	*-493.95*
7.01.03. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
7.01.03.01. प्राप्तियां	6002	191.74	395.70	332.00	431.00
7.01.03.02. पुनर्संदाय	6002	-78.12	-78.73	-77.41	-90.40
निवल		*113.62*	*316.97*	*254.59*	*340.60*
7.01.04. एशियाई विकास बैंक					
7.01.04.01. प्राप्तियां	6002	6561.66	7929.18	7845.00	9760.00
7.01.04.02. पुनर्संदाय	6002	-2249.55	-2649.67	-2758.02	-3306.96
निवल		*4312.11*	*5279.51*	*5086.98*	*6453.04*
7.01.05. पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी)					
7.01.05.01. प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.01.05.02. पुनर्संदाय	6002	-9.09	-9.34	-8.37	-8.46
निवल		*-9.09*	*-9.34*	*-8.37*	*-8.46*
7.01.06. पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन					
7.01.06.01. प्राप्तियां	6002	54.50	50.00	60.00	...
7.01.06.02. पुनर्संदाय	6002	-18.44	-18.46	-19.85	-20.01
निवल		*36.06*	*31.54*	*40.15*	*-20.01*
निवल-बहुपक्षीय		*6426.35*	*6237.03*	*6230.95*	*8536.80*

(करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
7.02. द्विपक्षीय					
7.02.01. जर्मनी					
7.02.01.01. प्राप्तियां	6002	498.86	462.00	971.00	1268.00
7.02.01.02. पुनर्संदाय	6002	-1189.65	-1193.64	-1098.38	-1103.87
निवल		*-690.79*	*-731.64*	*-127.38*	*164.13*
7.02.02. फ्रांस					
7.02.02.01. प्राप्तियां	6002	1468.75	462.00	663.00	1248.00
7.02.02.02. पुनर्संदाय	6002	-239.17	-120.82	-111.25	-111.90
निवल		*1229.58*	*341.18*	*551.75*	*1136.10*
7.02.03. इटली					
7.02.03.01. प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.02.03.02. पुनर्संदाय	6002	...	...	...	...
निवल		...	...	...	...
7.02.04. जापान					
7.02.04.01. प्राप्तियां	6002	10416.78	10189.47	9236.00	12250.00
7.02.04.02. पुनर्संदाय	6002	-3717.80	-4034.38	-3745.32	-4055.52
निवल		*6698.98*	*6155.09*	*5490.68*	*8194.48*
7.02.05. स्विटजरलैंड					
7.02.05.01. प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.02.05.02. पुनर्संदाय	6002	-4.75	-4.47	-4.67	-2.37
निवल		*-4.75*	*-4.47*	*-4.67*	*-2.37*
7.02.06. संयुक्त राज्य अमरीका					
7.02.06.01. प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.02.06.02. पुनर्संदाय	6002	-177.99	-182.74	-194.92	-179.66
निवल		*-177.99*	*-182.74*	*-194.92*	*-179.66*
7.02.07. रूसी परिसंघ					
7.02.07.01. प्राप्तियां	6002	281.51	50.00	252.00	2000.00
7.02.07.02. पुनर्संदाय	6002	-829.86	-691.10	-713.76	-755.06
निवल		*-548.35*	*-641.10*	*-461.76*	*1244.94*
7.02.08. कुवैत					
7.02.08.01. प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.02.08.02. पुनर्संदाय	6002	...	...	...	...
निवल		...	...	...	...
7.02.09. स्वीडन					
7.02.09.01. प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.02.09.02. पुनर्संदाय	6002	...	...	...	...
निवल		...	...	...	...
निवल-द्विपक्षीय		*6506.68*	*4936.32*	*5253.70*	*10557.62*
निवल-विदेशी कर्ज		*12933.03*	*11173.35*	*11484.65*	*19094.42*
जोड़-ऋण प्राप्तियां		**432973.01**	**543607.86**	**557427.06**	**520708.74**
8. नकदी अधिशेष आहरण					
8.01. प्राप्तियां	9003	...	12041.44	...	13195.08
8.02. संवितरण	9003	-9773.55	...	-22084.17	...
निवल-नकदी अधिशेष आहरण		*-9773.55*	*12041.44*	*-22084.17*	*13195.08*
9. बाजार स्थिरीकरण योजना					
9.01. प्राप्तियां	6001	...	20000.00	...	20000.00
9.02. पुनर्संदाय	6001	...	...	...	...
निवल-बाजार स्थिरीकरण योजना		...	*20000.00*	...	*20000.00*
कुल जोड़		***474674.53***	***655902.13***	***579560.35***	***621038.13***

1. उपर्युक्त विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार-ऋण-भिन्न और ऋण प्राप्तियों दोनों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2015-16 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ ब्यौरा और सं.अ. 2015-16 और बजट अनुमान 2016-17 के बीच अंतर नीचे दी गई टिप्पणियों में दिया गया है।

1.01 राज्य सरकारों से वसूलियां: राज्य सरकारों से प्राप्तियों का अनुमान सं.अ. 2015-16 में ₹8648.53 करोड़ तथा ब.अ. 2016-17 में ₹9027.98 करोड़ लगाया गया है। सं.अ. 2015-16 में प्राप्तियों में राज्य सरकारों की ऋण माफी शामिल है जिसे समतुल्य व्यय से प्रतिसंतुलित किया जाता है।

1.02 संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) से वसूलियां: ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

1.03 और 1.04 अन्य द्वारा अदायगी: इनमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को छोड़कर अन्य पक्षों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि द्वारा ऋणों की अदायगियां आदि शामिल हैं।

2. विविध पूंजी प्राप्तियां : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी के भाग के विनिवेश के कारण प्राप्तियां शामिल हैं।

सीपीएसई विनिमय व्यापार कोष (सीपीएसई ईटीएफ) भी आरम्भ किया गया है ताकि इन सीपीएसई में वित्त वर्ष 2015-16 में ईटीएफ वॉस्केट के भाग के रुप में शेयरधारिता को मौद्रिक रुप दिया जा सके।

सरकार ने "राष्ट्रीय निवेश कोष" (एनआईएफ) नाम से एक कोष स्थापित किया है जिसमें चुनिंदा सीपीएसईएस में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से मिलने वाले आगमों को चैनलाइज किया जाएगा। इस प्रकार एनआईएफ में जमा इन निधियों को आहरित किया जाएगा और वर्ष 2015-16 में पूजीं व्यय के संबंध में इनका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण तथा भारतीय रेल में निवेश के लिए किया जाएगा।

3.01 बाजार ऋण : भारत सरकार वर्ष 1992-93 से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार ने फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) जारी किए जिनपर अर्ध-वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित विस्तार 'स्प्रेड' को जोड़कर अर्धवार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है। वर्ष 2002-03 से, केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक निर्देशात्मक बाजार उधार कैलेन्डर की घोषणा करती रही है। 2015-16 में अदायगियों का ब्यौरा अनुबंध-13 में दिया गया है। विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण पुनःपूंजीकरण बॉण्ड : भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण पूरा कर लिया है। रुपांतरित कर जारी की गई विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे अनुबंध 6क में दिए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ पुनःपूंजीकरण बॉण्डों को एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा किया है (अनुबंध 6ख में ब्यौरा देखें)।

3.03 अल्पावधिक उधार (364/182/91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां) : ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधिक निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतः इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और ये अप्रतिस्पर्द्धी बोलियों के लिए विकल्प भी प्रदान करती हैं। 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी और 182 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की पाक्षिक नीलामी निर्देशात्मक त्रैमासिक कलैन्डर में निर्दिष्ट की जाती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा अल्पावधिक के नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुडियां भी जारी करती है।

3.03.05 नकदी प्रबन्धन हुंडियां : नकदी प्रबंधन हुंडिया सरकार के अस्थाई नकदी प्रवाह असंतुलनों को दूर करने के लिए जारी की जाती हैं। नकदी प्रबन्धन हुंडियां जारी किए गए गैर-मानक, बट्टा लिखत हैं, 91 दिन से कम की परिपक्वता अवधि के लिए, और जब आवश्यक हो, तब जारी की जाती हैं।

4. राष्ट्रीय लघु बचत निधि: लघु बचत योजनाएं: इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, डाकघर सवधिक जमा (1,2,3 तथा 5 वर्ष), डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय स्कीम खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) तथा लोक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि खाता।

लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर समान परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति दरों के, कतिपय लघु बचत स्कीमों के स्प्रैड के साथ, समनुरुप कर दी गई है। डाकघर सावधि जमा (5 वर्ष), डाकघर मासिक आय स्कीम खाता 5 वर्ष, 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) लोक भविष्य निधि 25 बीपीएस, सुकन्या समृद्धि खाता 75 बीपीएस तथा का स्प्रैड वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 100 बीपीएस समतुल्य परिपक्वता की सामान्य प्रतिभूति दर पर होगा। ब्याज दरें मासिक आधर पर अधिसूचित की जाएंगी।

4.01 लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : वित्त वर्ष के दौरान आहरणों को घटाकर, विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अधीन संग्रहण राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के लिए निधियों का स्रोत बनते हैं। यह निवल संग्रहण केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है जो एनएसएसएफ के अंतर्गत निधियों का अनुप्रयोग बनता है। वर्तमान में, केंद्रीय और राज्य सरकार प्रतिभूतियों की अवधि 10 वर्ष है और 9.5 प्रतिशत ब्याज दर पर कोई भुगतान स्थगन काल नहीं है। राज्य का हिस्सा राज्य के भीतर निवल संग्रहण का 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत है, जैसा कि राज्य विकल्प दे। एनएसएसएफ में इन प्रतिभूतियों के उन्मोचन को ब्याज की विद्यमान दरों पर 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में पुनर्निवेशित किया जाता है।

निधि से होने वाले व्यय के अंतर्गत अभिदाताओं को ब्याज अदायगी और प्रबन्धन लागत शामिल हैं और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज इस निधि को होने वाली आय है।

एनएसएसएफ के साधन स्रोत तथा उपयोजन अनुबंध 7क में दिए गए हैं और एनएसएसएफ के विविध घटकों का ब्यौरा अनुबंध 7ख में दिया गया है।

6.02 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2003 : 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2003 की शुरुआत 21 अप्रैल, 2003 से की गई थी ताकि निवासी नागरिक/धर्मार्थ संस्थाएं/विश्वविद्यालय आदि, बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के, अपनी बचत का निवेश इन कर योग्य बांडों में कर सकें। इन बांडों की परिपक्वता अवधि छः वर्ष होगी। इन पर प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज दिया जाएगा जो छमाही संदेय होगा। संचयी और असंचयी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ये

बांड अंतरणीय नहीं हैं। इनका द्वितीयक बाजार में कारोबार भी नहीं हो सकता है। तथापि, 19 अगस्त, 2008 से वे अनुसूचित बैंकों से ऋण लेने के लिए सहवर्ती प्रतिभूति के रूप में पात्र हैं। इन बांडों को जारी करने की तारीख से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार न्यूनतम लॉक-इन पीरियड के पश्चात 60 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह वाले निवेशक के लिए, भारत सरकार की तारीख 29 जुलाई, 2013 की अधिसूचना द्वारा परिपक्वता अवधि पूर्व नकदीकरण की अनुमति दी गयी है:

(क) 60 से 70 वर्ष की आयु समूह वाले निवेशकों के लिए लॉक-इन पीरियड, बांड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष होगी;

(ख) 70 से 80 वर्ष की आयु समूह वाले निवेशकों के लिए लॉक-इन पीरियड, बांड जारी करने की तारीख से 4 वर्ष होगी; और

(ग) 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग वाले निवेशकों के लिए लॉक इन पीरियड, बांड जारी करने की तारीख से 3 वर्ष होगी।

6.03 6.5 प्रतिशत बचत (कर योग्य-भिन्न) बांड, 2003 : 6.5 प्रतिशत बचत (कर योग्य-भिन्न) बांड, 2003 की शुरुआत निवासी नागरिकों को, किन्हीं मौद्रिक उच्चतम सीमाओं के बिना, कर-मुक्त बांडों में अपनी बचत का निवेश करने में समर्थ बनाने के लिए 24 मार्च, 2003 को की गई थी। इस स्कीम को 9 जुलाई, 2004 को कारोबार समाप्त होने के साथ ही बंद कर दिया गया है। इन बचत बॉन्डों का मोचन किया जाने वाला है और वापसी अदायगी के लिए इनकी परिपक्वता 24 मार्च 2008 से आरंभ हो गई थी।

6.04 अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधि के अतिरिक्त लोक लेखा) : रेलवे प्रारक्षित निधियां : रेलवे प्रारक्षित निधियों का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध-14 पर देखा जा सकता है। उनमें से प्रत्येक का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(क) *रेलवे पेंशन निधिः* रेलवे कर्मचारियों के पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तरित की जाती है और यह रकम राजस्व और पूंजी व्यय शीर्षों के नामे डाल दी जाती है। पेंशन संबंधी प्रभारों को शुरु में राजस्व शीर्ष के भाग के रूप में पूरा किया जाता है और बाद में निधि से उसकी भरपाई की जाती है।

(ख) *रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधिः* इस निधि में सुधारात्मक कार्यो सहित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है।

(ग) *रेलवे विकास निधिः* रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों और रेलों का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले खर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी खर्च, अलाभकारी प्रचालन सुधार एवं सुरक्षा कार्यो का खर्च पूरा करना है। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था रेलों के आधिक्य, यदि कोई हो, के उस भाग के विनियोग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है। यदि रेलवे आधिक्य के एक भाग की रकम निधि में अंतरित करने के बाद इस निधि में इकठ्ठी होने वाली रकम उन कार्यो के खर्चो को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका खर्च इस निधि से पूरा किया जाता है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर ऋण लिए जाते हैं।

(घ) *रेलवे पूंजी निधिः* इसे 1992-93 में इसलिए सृजित किया गया था कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए रेलवे आन्तरिक रूप से सृजित संसाधनों के एक भाग का उपयोग कर सके। पूंजीगत निधि का वित्तपोषण करने में रेलवे राजस्वों के कम पड़ने की स्थिति में निधि में क्रेडिट करने हेतु सामान्य राजस्व से सब्याज ऋण लिया जाता है।

(ङ) ऋण शोधन निधिः इस निधि को 2013-14 से सृजित किए जाने का प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य लिए गए ऋणों के लिए ऋण शोधन भुगतान, भावी वेतन आयोग/पुरस्कारों आदि जैसी भविष्य की वचनबद्ध देयताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान करना है। जब भी ये देयताएं देय होंगी, तो इस निधि से निकासी की जाएगी।

(च) *रेलवे सुरक्षा निधिः* इसका सृजन मानव रहित लेवल क्रासिंग के परिवर्तन और व्यस्त लेवल क्रासिंग पर रेलवे उपरि/अंडर सेतु के निर्माण से संबंधित सुरक्षा कार्यो के वित्तपोषण के लिये दिनांक 1.4.2001 से किया गया है। इस निधि का वित्तपोषण मुख्यतया केन्द्रीय सड़क निधि से सरकार द्वारा निधियों के अंतरण और सामान्य राजस्वों को भुगतान किये जा रहे लाभांश से रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यो के लिए इस समय किये जा रहे अंशदान से किया जाता है। यह निर्ब्याज निधि है।

6.06 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं : यह अनुमान (क) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग अंतर्निहित है, से संबद्ध हैं। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

6.06.01. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ): भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, जिसकी स्थापना एक सहयोगी और स्थायी मौद्रिक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, का एक संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में, 188 राष्ट्र आईएमएफ के सदस्य हैं। आईएमएफ की स्थापना से, इसके उद्देश्य अपरिवर्तित रहे हैं किन्तु इसके कार्यों-जिनमें निगरानी, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता शामिल हैं—को विकसित वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके सदस्य राष्ट्रों की बदलती जरुरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। आईएमएफ के बोर्ड आफ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर शामिल है। भारत के संदर्भ में, वित्त मंत्री, आईएमएफ के बोर्ड आफ गवर्नर्स में पदेन गवर्नर होते हैं। आईएमएफ में भारत के संसदीय क्षेत्र में बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वैकल्पिक गवर्नर हैं।

2010 आईएमएफ कोटा और अभिशासन सुधार : (कोटा के 14वें सामान्य सुधार) 26 जनवरी, 2016 को प्रभावी हुए। परिणामतः आईएमएफ में भारत का कोटा 2.75% की शेयरधारिता के साथ 13,114.4 मिलियन एसडीआर है। आईएमएफ में कोटाधारिता की दृष्टि से भारत का स्थान आठवां है। आईएमएफ में इस कोटा वृद्धि के परिणामस्वरुप, भारत ने निर्ब्याज अपरिक्राम्य भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों के निर्गमन के जरिए स्थानीय मुद्रा अंश (कोटावृद्धि का 75%) के लिए प्रारक्षित आस्ति अंश (कोटावृद्धि का 25%) और एसडीआर 5,469,675.000 हेतु भारत की एसडीआर धारिता के माध्यम से एसडीआर 1,823,225.000 के रुप में कोटों की 14वें सामान्य समीक्षा के अंतर्गत एसडीआर 7292.9 मिलियन की कोटावृद्धि का प्रावधान किया है।

6.06.04 एशियाई विकास बैंक (एडीबी): एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनको समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए खर्चे को पूरा करने के लिए भुनाया जा सकता है।

6.06.05 अफ्रीकी विकास निधि (एएफडीएफ) और अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी): एएफडीएफ और एएफडीबी की स्थापना मुख्यतया इस उद्देश्य से की गई है कि उदार शर्तो पर वित्तीय सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ निकट आर्थिक सहयोग बढ़ाने हेतु निधि तथा बैंक दोनो में प्रवेश किया है।

7. विदेशी ऋण : बजट 2016-17 में सकल प्राप्तियां ₹44789.00 करोड़ और वापसी अदायगी ₹25694.58 करोड़ आंकी गई है। इसके फलस्वरुप निवल विदेशी ऋण ₹19094.42 करोड़ होगा।

7.01 बहुपक्षीय एजेंसियां : ब.अ. 2016-17 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, एशियाई विकास बैंक, पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी) तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹8536.80 करोड़ रहने का अनुमान है।

7.02 द्विपक्षीय एजेंसियां : ब.अ. 2016-17 में जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विटजरलैंड, यूएसए और रुसी संघ से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹10557.62 करोड़ रहने का अनुमान है।

9. बाजार स्थिरीकरण योजना : सरकार के अनुमोदित व्यय को पूरा करने के लिए सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के भाग के रुप में एमएसएस नकद खाते की राशि के एक भाग को सामान्य नकद खाते में अंतरित करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच आपसी सहमति से बाजार स्थिरीकरण योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन को संशोधित किया गया है। एमएसएस के तहत जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों की समतुल्य राशि भारत सरकार के सामान्य बाजार उधार का हिस्सा होगी। 2016-17 में एमएसएस के तहत निवल प्राप्तियां ₹20,000 करोड़ होने का अनुमान है।

अनुबंध - 1

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2007-2008	वास्तविक 2008-2009	वास्तविक 2009-2010	वास्तविक 2010-2011	वास्तविक 2011-12	वास्तविक 2012-13	वास्तविक 2013-2014	वास्तविक 2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
राजस्व प्राप्तियां	**541864**	**540259**	**572811**	**788471**	**751437**	**879232**	**1014724**	**1101473**	**1206084**	**1377022**
क. कर राजस्व										
(राज्यों के हिस्से को घटाकर)										
(ब्यौरा अनुबंध 2 में)	439547	443319	456536	569869	629765	741877	815854	903615	947508	1054101
ख. कर-भिन्न राजस्व										
(ब्यौरा अनुबंध 2 में)	102317	96940	116275	218602	121672	137355	198870	197858	258576	322921
पूंजी प्राप्तियां	**197978**	**299863**	**453063**	**402428**	**568918**	**582152**	**563894**	**484448**	**601645**	**587843**
1. आंतरिक ऋण-बाजार										
उधार (निवल)	***131768***	***233630***	***398424***	***325414***	***436211***	***467356***	***453550***	***445138***	***401929***	***425181***
1.01 सकल बाजार उधार	168101	273000	451000	437000	509796	558000	564147	590345	585000	600000
1.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	36333	39370	52576	111586	73585	90644	110597	145208	183071	174819
2. विदेशी सहायता (निवल)	***9315***	***11015***	**11038**	***23556***	***12448***	***7201***	***7292***	***12933***	***11485***	***19094***
2.01 सकल विदेशी उधार	16808	21022	22177	35330	26034	23309	25416	33534	34580	44789
2.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	7493	10007	11139	11774	13586	16108	18124	20601	23095	25695
3. ऋणों की वसूली*	***5100***	***6139***	**8613**	***12420***	***18850***	***15060***	***12497***	***13738***	***18905***	***10634***
4. अल्प बचतें (निवल)	***-11302***	***-1302***	**13256**	***11233***	***-10302***	***8626***	***12357***	***32226***	***53418***	***22108***
5. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	***3897***	***8041***	**16056**	***12514***	***10804***	***10920***	***9753***	***11920***	***11000***	***12000***
6. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों										
में इक्विटी का विनिवेश	***38795***	***566***	**24581**	***22846***	***18088***	***25890***	***29368***	***37737***	***25313***	***56500***
7. पूंजी प्राप्तियों की अन्य										
मदें (निवल)#	***20405***	***41774***	**-18905**	***-5555***	***82819***	***47099***	***39077***	***8508***	***57258***	***99737***
जोड़-प्राप्तियां	***739842***	***840122***	***1025874***	***1190899***	***1320355***	***1461384***	***1578618***	***1663673***	***1785392***	***1978060***
राजस्व खाते पर घाटा	**52569**	**253539**	**338998**	**252252**	**394348**	**364282**	**357048**	**365519**	**341589**	**354015**
प्राथमिक घाटा	**-44118**	**144788**	**205389**	**139569**	**242840**	**177020**	**128604**	**108281**	**92469**	**41233**
बजट घाटा/नकद का कम आहरण*	*-27171*	*43834*	-1386	*6430*	*-15990*	*-51012*	-19171	*77752*	-22084	13195
राजकोषीय घाटा	...	336992	418482	373592	515990	490190	502858	510725	535090	533904
* *अर्थोपाय अग्रिमों की वसूली*										
घटाकर	...	...	...	...	*10000*	*10000*	*10000*	*10000*	*20000*	10000
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	479	479	469	433	398	349	*316*	276	275	275
# इसमें ये प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं										
(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को जारी की गई प्रतिभूतियां जिन्हें दुतरफा पूंजी व्यय से हटा दिया गया है।	...	...	*3654*	*9051*	*1613*	*4323*	*367*	*4619*	*52920*	...
(ख) एसबीआई को जारी की गई प्रतिभूतियां	*9996*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
(ग) तेल कंपनियों को जारी प्रतिभूतियां	*20554*	*75942*	*10306*	...	...	...	...	...	...	...
(घ) उर्वरक कम्पनियों को जारी प्रतिभूतियां	*7500*	*20000*	...	...	...	...	...	...	...	...
(ड.) आईडीबीआई के एसएएसएफ निधि के लिए परिसंपत्ति प्रबंध न्यास	...	*1225*	...	...	...	...	...	...	...	...
(च) आईडीबीआई की भारग्रस्त आस्तियों की वसूली	...	...	*300*	*300*	*300*	*300*	*250*	*105*	*150*	...

अनुबंध - 2

अनुबंध - 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(*करोड़ रुपए*)

	वास्तविक 2007-08	वास्तविक 2008-09	वास्तविक 2009-10	वास्तविक 2010-11	वास्तविक 2011-12	वास्तविक 2012-13	वास्तविक 2013-14^	वास्तविक 2014-15	संशोधित 2015-16	बजट 2016-17
क. कर राजस्व										
सकल कर राजस्व	**593147**	**605299**	**624528**	**793072**	**889177**	**1036235**	**1138733**	**1244886**	**1459611**	**1630889**
1. निगम कर	192911	213395	244725	298688	322816	356326	394678	428925	452970	493924
2. निगम कर से भिन्न आय पर कर	102644	106046	122475	139069	164485	196512	237817	258326	291653	345776
3. ब्याज कर	3	9	4	4	3	6	8	6	...	...
4. आय और व्यय पर अन्य कर	38	18	-62	29	21	15	9	11	...	...
5. सीमा-शुल्क	104119	99879	83324	135813	149328	165346	172085	188016	209500	230000
6. संघ उत्पाद शुल्क	123611	108613	102991	137701	144901	175845	169455	188128	283353	317860
7. सेवा कर	51301	60941	58422	71016	97509	132601	154778	167969	210000	231000
8. सम्पदा शुल्क	...	1	...	...	...	1	...	...	...	...
9. धन कर	340	389	505	687	787	844	1007	1086	...	...
10. उपहार कर	2	1	1	...	1	1	1	...	...	...
11. अन्य कर और शुल्क	16854	14519	10529	8083	6541	5644	5765	9215	8187	8208
12. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	1324	1488	1614	1982	2785	3094	3130	3204	3948	4121
13.घटाइए—राज्यों का हिस्सा	151800	160179	164832	219303	255414	291547	318230	337808	506193	570337
14.घटाइए —राष्ट्रीय आ.आ. निधि व्यय प्राप्तियों से घटाकर	1800	1800	3160	3900	3998	2810	4650	3461	5910	6450
निवल-केन्द्र का कर राजस्व	**439547**	**443320**	**456536**	**569869**	**629765**	**741878**	**815853**	**903617**	**947508**	**1054102**
1. राजकोषीय सेवाएं	87	59	113	84	129	786	884	1394	703	703
2. ब्याज प्राप्तियां	21060	20717	21784	19734	20252	20761	21868	23804	23142	29620
2.01 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज प्राप्तियां	12174	12184	11242	10363	10040	9406	8985	8367	7646	8119
2.02 रेलवे पूंजी पर ब्याज प्राप्तियां	4221	4692	5543	3906	5630	5349	7983	9148	8495	9731
2.03 ब्याज प्राप्तियां अन्य ब्याज प्राप्तियां	4665	3841	4963	5465	4582	6006	4900	6289	7001	11771
3. लाभांश और लाभ	34499	38607	50250	47992	50608	53761	90435	89833	118271	123780
4. अन्य सामान्य सेवाएं	5164	7350	9153	9530	7049	10160	11670	13472	14714	14868
5. सामाजिक सेवाएं	595	503	676	771	948	4766	1264	1675	5196	8297
6. आर्थिक सेवाएं	37378	26113	29977	136722	38708	43693	67657*	64718	92324	141451
7. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	811	797	1218	1097	1015	1117	1474	1362	1289	1339
8. सहायता अनुदान तथा अंशदान	2723	2794	3141	2673	2962	2311	3618	1600	2937	2862
जोड़-कर-भिन्न राजस्व**	**102317**	**96940**	**116276**	**218603**	**121671**	**137355**	**198870**	**197857**	**258576**	**322921**
जोड़-राजस्व प्राप्तियां	**541864**	**540260**	**572812**	**788472**	**751436**	**879233**	**1014723**	**1101475**	**1206084**	**1377023**

** *वाणिज्यिक विभागों की निम्नलिखित प्राप्तियों को घटाकर ।*

(क) सामान्य सेवाएं	5505	6870	8730	9550	9729	10111	11695	13502	14425	15125
(ख) आर्थिक सेवाएं	81498	90377	98355	107342	118646	139981	158737	177693	190018	209789
जोड़	**87003**	**97247**	**107085**	**116892**	**128375**	**150092**	**170432**	**191195**	**204443**	**224914**

अनुबन्ध - 3

व्यय की प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2007-08	वास्तविक 2008-09	वास्तविक 2009-10	वास्तविक 2010-11	वास्तविक 2011-12	वास्तविक 2012-13	वास्तविक 2013-14	वास्तविक 2014-15	संशोधित 2015-16	बजट 2016-17
(क) आयोजना-भिन्न व्यय	**507589**	**608721**	**721096**	**818299**	**891990**	**996747**	**1106120**	**1201029**	**1308194**	**1428050**
1. ब्याज अदायगियाँ	171030	192204	213093	234022	273150	313170	374254	402444	442620	492670
2. रक्षा व्यय	91681	114223	141781	154117	170913	181776	203499	218694	224636	249099
3. सब्सिडी	70926	129708	141351	173420	217941	257079	254632	258258	257801	250433
4. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान	35769	38161	45946	49790	51523	47995	60551	77125	108233	118356
5. विदेशी सरकारों को अनुदान	1355	1442	1561	2256	2163	3228	4013	3820	4293	4530
6. पेंशन	24261	32940	56149	57405	61166	69479	74896	93611	95731	123368
7. पुलिस	13924	19904	25999	27339	33106	37285	42095	47767	52681	59796
8. अन्य आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय	47103	68241	79823	86423	66136	70524	79648	84729	102964	109820
9. आयोजना-भिन्न पूंजी व्यय (रक्षा को छोड़कर)	47891	7271	10952	23619	11478	7644	7430	8180	13187	13448
10. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ऋण तथा अग्रिम	86	86	83	85	72	3406	80	73	79	81
11. विदेशी सरकारों को ऋण	42	833	124	...	248	700	156	...	158	...
12. अन्य ऋण	1465	790	936	6308	311	299	288	1401	707	776
13. विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों का आयोजना-भिन्न व्यय	2056	2918	3298	3515	3783	4162	4578	4927	5104	5673
राजस्व	2274	3119	3334	3775	3853	4269	4577	4833	5109	5677
पूंजी	-218	-201	-36	-260	-70	-107	1	94	-5	-4
(ख) आयोजना व्यय	**205082**	**275235**	**303391**	**379029**	**412375**	**413625**	**453327**	**462644**	**477197**	**550010**
राजस्व	173572	234774	253884	314232	333736	329208	352732	357597	335004	403628
पूंजी	31510	40461	49507	64797	78639	84417	100595	105047	142193	146382
कुल व्यय (क)+(ख)	**712671**	**883956**	**1024487**	**1197328**	**1304365**	**1410372**	**1559447**	**1663673**	**1785391**	**1978060**
राजस्व	594433	793798	911809	1040723	1145785	1243514	1371772	1466992	1547673	1731037
पूंजी	118238	90158	112678	156605	158580	166858	187675	196681	237718	247023

अनुबंध - 4

वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2014-2015	बजट अनुमान 2015-2016	संशोधित अनुमान 2015-2016	बजट अनुमान 2016-2017
क. राजस्व प्राप्तियां				
वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाई गई				
राजस्व प्राप्तियां	1328908.96	1397619.63	1451247.35	1632771.90
घटाइए:				
रेलवे की राजस्व प्राप्तियां	-161017.25	-188556.71	-171804.97	-189270.64
डाक की राजस्व प्राप्तियां	-11635.98	-12036.87	-12614.01	-13827.05
रक्षा की राजस्व प्राप्तियां	-8338.75	-6480.81	-6709.97	-6884.02
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की				
राजस्व प्राप्तियां	-19661.00	-22075.03	-21223.36	-23016.08
प्रसार भारती की पूंजी संरचना	...	...	-11116.76	...
चिड़ियाघर के प्रवेश के संबंध में प्राप्तियां	-2.31	-6.00	-6.00	-6.00
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली से अपने कर्मचारियों				
की पेंशन के लिए प्राप्तियां	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
आनुषंगी बाजार उधारों से प्राप्तियां	-22654.12	-19944.12	-14820.11	-15000.00
राज्य/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जल				
उपकर की प्रतिपूर्ति	-251.22	-250.00	-200.00	-250.00
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ब्याज/गारंटी शुल्क की माफी, ऋणों को बट्टे खाते डालना आदि के रूप में उपलब्ध कराई गई राहत। (ब्यौरा व्यय बजट खंड 1 के अनुबंध 2क में दिया गया है)	-414.87	-5.18	-2.53	-45.79
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण/				
प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित	-3460.88	-5690.00	-5910.00	-6450.00
बट्टे खाते डालना/ब्याज का रुपांतरण	...	...	-8.97	...
निवल राजस्व प्राप्तियां	**1101472.58**	**1141574.91**	**1205830.67**	**1377022.32**
ख. पूंजी प्राप्तियां				
भारत की संचित निधि की कुल प्राप्तियां (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां, अर्थोपाय अग्रिम तथा एमएसएस शामिल नहीं हैं)	**1079929.39**	**1225515.08**	**1159088.59**	**1265453.21**
कुल लोक लेखा प्राप्तियां	**841767.71**	**759950.76**	**898933.98**	**961310.71**
14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों और अर्थोपाय अग्रिमों के माध्यम				
से अतिरिक्त वित्तपोषण	2063.46	17937.15	47549.83	16648.84
जोड़	**1923760.56**	**2003402.99**	**2105572.40**	**2243412.76**
घटाइए :				
कुल लोक ऋण संवितरण (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों, अर्थोपाय अग्रिमों की वापसी-अदायगी तथा एमएसएस शामिल नहीं हैं)	**-507209.65**	**-637748.05**	**-555580.09**	**-713872.65**
कुल लोक लेखा संवितरण	**-914160.73**	**-729327.84**	**-872883.13**	**-929337.12**
निवल राशि	**502390.18**	**636327.10**	**677109.18**	**600202.99**
अंतरिक्ष कारपोरेशन लि. द्वारा बोनस शेयरों का निर्गम	-3.00	...	...	...
उधार की नई व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत प्राप्ति	-2427.59	-1486.04	-1486.04	-1486.04
सरकारी कर्मचारियों से ऋणों तथा				
अग्रिमों की वसूलियां	-275.89	-375.00	-275.00	-275.00
भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि को जारी				
प्रतिभूतियों का उन्मोचन	-105.00	...	-150.00	...
एडीबी/एफ,आईएमएफ के लिए जारी प्रतिभूतियां	...	...	...	-0.04
अफ्रीकी विकास निधि/एशियाई विकास				
निधि को जारी प्रतिभूतियां	-511.83	-470.53	-533.61	-52.17
अफ्रीकी विकास निधि/एशियाई विकास				
निधि/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को				
जारी प्रतिभूतियां	...	...	...	-446.69
अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को	-4618.79	-34.84	-52920.01	...
जारी प्रतिभूतियां				
भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	-10000.00	-10000.00	-20000.00	-10000.00
राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम	...	-100.00	-100.00	-100.00
निवल पूंजी प्राप्तियां	**484448.08**	**623860.69**	**601644.52**	**587843.05**
कुल प्राप्तियां	**1585920.66**	**1765435.60**	**1807475.19**	**1964865.37**
कुल व्यय	**1663673.05**	**1777477.04**	**1785391.02**	**1978060.45**
नकद शेष (एमएसएस को छोड़कर)				
वृद्धि (+)/कमी (-)	**-77752.39**	**-12041.44**	**22084.17**	**-13195.08**

अनुबंध - 5

भारत सरकार के ऋण की स्थिति

भारत सरकार के बकाया आंतरिक और विदेशी ऋण और अन्य देनदारियों की राशि 2015-2016 (सं.अ.) के अंत के 68,91,913.58 करोड़ रुपए की तुलना में 2016-17 (सं.अ.) के अंत में 74,38,181.45 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विस्तृत ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2017 को
आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां	66,82,915.16	72,10,088.61
जिसमें से बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत	0.00	20,000.00
विदेशी ऋण	2,08,998.42	2,28,092.84
जोड़	**68,91,913.58**	**74,38,181.45**

आंतरिक कर्ज के अंतर्गत खुले बाजार में जुटाए जाने वाले ऋण, रिजर्व बैंक को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड इत्यादि शामिल हैं। इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य पार्टियों के नाम जारी की गई राजकोषीय हुंडियों सहित राजकोषीय हुंडियां के जरिए उधार तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि, अफ्रीकी विकास निधि/बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गई अपरक्राम्य, निर्ब्याज रुपया प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ में, और वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2013-14 तक के प्रत्येक वर्ष के अंत में तथा 2014-15 और 2015-2016 के अंत तक की सरकारी कर्जों की अनुमानित बकाया रकमों का विश्लेषण देनदारी विवरण में दिया गया है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अप्रैल 2004 से बाजार स्थिरीकरण योजना शुरु की है। इस योजना में महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अन्तर्प्रवाहों से मुख्यतः उत्पन्न अतिरिक्त नकदी को आत्मसात करने के लिए राजकोषीय हुंडियों और/या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने की संकल्पना की गई है। केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार 2012-13 के दौरान किसी एक समय में बकाया देनदारियों की उच्चतम सीमा 50,000 करोड़ रुपए कर दी गई है (दिनांकित प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य सह राजकोषीय हुंडियों का बट्टागत मूल्य)। तथापि ब.अ. 2016-17 में वर्ष के लिए निवल निर्गम 20,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत बाजार ऋणों, 91/182/364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों से संबंधित अनुमानित बकाया देनदारियों को देनदारी विवरण में अलग-अलग दर्शाया जाता है। बाजार स्थिरीकरण योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हस्ताक्षरित एक और समझौता ज्ञापन भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच आपसी सहमति से एमएसएस नकद खाते की जमाराशि के एक हिस्से का अंतरण सरकार का अनुमोदित व्यय पूरा करने के लिए सरकार के बाजार उधारीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सामान्य नकद खाते में करने हेतु समर्थ बनाता है। आंतरिक और विदेशी कर्ज दोनों के अंतर्गत बकाया राशियां सरकार की देनदारी को प्रदर्शित करती है जैसाकि बकाया कर्ज के अंकित मूल्य में दिखाया गया है। विदेशी देनदारियों के बकाया स्टॉक का अंकन परम्परागत विनिमय दरों पर किया जाता है जिस पर देयता का हिसाब चालू विनिमय दरों पर की गई वापसी-अदायगी को घटाने के बाद प्रारंभिक तौर पर लेखा बही में लिया गया है।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न अल्प बचत योजनाओं, भविष्य निधियों तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों, तेल विपणन कम्पनियों, उर्वरक कम्पनियों और भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई प्रतिभूतियों, विशेष जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा रकमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों आदि की मूल्यह्रास और अन्य सब्याज प्रारक्षित निधियों, स्थानीय निधियों की जमा राशि और सिविल जमा रकमों की बकाया राशियों की वापसी-अदायगी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी देनदारियों का ब्यौरा भी देनदारियों के विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2014-15 के अंत में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों की स्थिति जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, गांरटी संबंधी विवरण में दी गयी है।

दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्ति रजिस्टर के विवरण जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, को भी शामिल किया गया है।

परिसम्पत्तियों के विवरण में सरकार द्वारा जुटाई गई उसी धनराशि को दिखाया गया है जो परिसम्पत्ति निर्माण प्रयोजनों हेतु प्रयोग की गई है। इन परिसम्पत्तियों को अंकित मूल्य में भी दिखाया गया है अर्थात् इसमें चालू बाजार दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के मूल्य में ह्रास/वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विवरण में केवल वैसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और इसमें वैसी परिसम्पत्तियां, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदान से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा सृजित किया गया है, शामिल नहीं हैं।

बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत उधारों से प्राप्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास एक अलग व पहचान योग्य खाते में नकद शेष के रूप में रखा जा रहा है। ये प्राप्तियां बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत जारी राजकोषीय हुंडियों/दिनांकित प्रतिभूतियों की वापसी अदायगी के अतिरिक्त सरकार के कोई अन्य खर्च पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। तद्नुसार, एमएसएस के अंतर्गत अनुमानित नकद शेष को परिसंपत्तियों के विवरण में अलग से दर्शाया गया है।

अनुबन्ध - 5 (i)

केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण

(करोड़ रुपए)

के अन्त में :

	लेखे				(अनंतिम)	संशोधित	बजट
	1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
क लोक ऋण	**2054.33**	**3400709.83**	**3941854.81**	**4425347.66**	**4935804.80**	**5520634.63**	**6029868.68**
1. आंतरिक ऋण	**2022.30**	**3230622.22**	**3764566.00**	**4240766.92**	**4738291.03**	**5311636.21**	**5801775.84**
(i) जिसमें बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत	...	...	...	...	...	...	*20000.00*
(क) एमएसएस के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियां	...	...	...	...	...	...	20000.00
(ख) एमएसएस के अंतर्गत 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	...	...	...	...	...	...
(ग) एमएसएस के अंतर्गत 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	...	...	...	...	...	...
(घ) एमएसएस के अंतर्गत 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	...	...	...	...	...	...
(ii) बाजार ऋण (अनुबंध 6+6क+6ख)	1444.95	2516952.54	2984308.55	3441641.37	3891734.04	4296663.12	4723333.27
(iii) विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां (अनुबंध 6ग)	358.02	76817.95	76817.95	72817.95	67817.95	64817.95	64817.95
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक को जारी अन्य विशेष प्रतिभूतियां	...	1489.28	1489.28	1489.28	1489.28	1489.28	...
(v) क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	6.73	18719.06	13836.92	13628.15	13440.43	9906.06	16210.09
(vi) 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	97800.22	118380.19	86815.77	85678.37	85678.37	85678.37
(vii) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	124655.78	105142.03	125760.61	128961.47	176511.30	193160.14
(viii) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	52001.25	64196.08	76417.43	77337.37	87572.24	87572.24
(ix) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	90377.74	130466.89	136956.26	143152.18	154032.73	154032.73
(x) अर्थोपाय अग्रिम	...	...	...	...	...	...	...
(xi) नकद प्रबंधन हुंडियां	...	...	...	...	...	...	...
(xii) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां	212.60	29625.59	32226.11	35181.05	46395.07	99262.34	99160.32
(xiii) लघु बचतों के एवज में प्रतिभूतियां	...	208182.81	216808.32	229165.37	261391.19	314809.14	336917.05
(xiv) पीओएलआईएफ के तहत शेष के प्रतिभूतिकरण के लिए निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां	...	14000.00	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68
2. विदेशी ऋण*	**32.03**	**170087.61**	**177288.81**	**184580.74**	**197513.77**	**208998.42**	**228092.84**
ख. अन्य देनदारियां	**811.07**	**1116542.14**	**1128736.91**	**1244080.82**	**1306716.12**	**1371578.95**	**1408612.77**
1 राष्ट्रीय लघु बचत निधि	336.87	582010.82	597737.05	629183.90	646895.29	676260.34	681320.56
2 राज्य भविष्य निधियां	95.05	122751.22	133671.94	143425.04	155334.26	166334.26	178334.26
3 अन्य खाते	16.10	277903.57	257423.95	315420.76	315629.59	313421.73	312407.06
(i) सब्सिडियों के बदले विशेष प्रतिभूतियां (ओएमसी, उर्वरक कंपनियां और एफसीआई)	...	172090.74	166329.17	166327.90	162827.90	162827.90	162827.90
(ii) अन्य मदें	16.10	105812.83	91094.78	149092.86	152801.69	150593.83	149579.16
4 प्रारक्षित निधियां और जमाराशियां	363.05	133876.53	139903.97	156051.12	188856.98	215562.62	236550.89
(i) सब्याज	260.85	74412.89	83871.32	95479.27	108767.34	119908.77	122480.52
(ii) निर्ब्याज	102.20	59463.64	56032.65	60571.85	80089.64	95653.85	114070.37
जोड़-देनदारियां	**2865.40**	**4517251.97**	**5070591.72**	**5669428.48**	**6242520.92**	**6892213.58**	**7438481.45**
विभाजन-पूर्व ऋण में पाकिस्तान द्वारा देय रकम का हिस्सा (लगभग)	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
केन्द्रीय सरकार की निवल देनदारियां	2565.40	4516951.97	5070291.72	5669128.48	6242220.92	6891913.58	7438181.45
देनदारियों की अपेक्षा पूंजी परिव्यय और ऋणों का आधिक्य							
जोड़ (निवल)	**2565.40**	**4516951.97**	**5070291.72**	**5669128.48**	**6242220.92**	**6891913.58**	**7438181.45**

* *शेष राशियां खाता मूल्य के अनुसार हैं।*

अनुबन्ध - 5 (ii)

परिसम्पत्तियों का विवरण
(केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश और ऋण)

(करोड़ रुपए)

के अन्त में :

	लेखे				(अनंतिम)	संशोधित	बजट
	1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
क. पूंजी परिव्यय							
1. सामान्य सेवाएं	**496.74**	**569010.36**	**648488.91**	**736552.32**	**826737.45**	**919606.82**	**1017344.06**
(i) रक्षा सेवाएं	260.93	513627.52	584126.64	663251.69	745138.67	826538.67	912878.67
(ii) अन्य सामान्य सेवाएं	235.81	55382.84	64362.27	73300.63	81598.78	93068.15	104465.39
2. सामाजिक सेवाएं	**26.25**	**29115.93**	**34226.12**	**38039.47**	**42914.92**	**48120.72**	**53580.26**
3. आर्थिक सेवाएं	**965.02**	**579805.35**	**642947.52**	**717200.08**	**793128.05**	**932086.26**	**989767.24**
(i) कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	7.78	11253.92	12927.30	13802.52	14283.27	14650.56	14868.33
(ii) ग्रामीण विकास	...	70.84	72.36	73.75	75.59	75.59	75.59
(iii) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	...	3894.02	4438.40	4522.08	4624.02	9871.01	16642.89
(iv) जल और विद्युत विकास	5.59	62804.02	63856.08	62949.87	63035.12	65058.78	66011.71
(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5.59	468.86	497.56	529.71	577.71	679.35	1001.87
(ख) ऊर्जा	...	62335.16	63358.52	62420.16	62457.41	64379.43	65009.84
(v) उद्योग और खनिज	34.34	56777.72	56898.22	60915.39	64696.40	68445.64	73311.13
(vi) परिवहन	830.40	239584.02	275945.11	324650.12	377794.59	439075.36	500935.31
(क) रेलवे	817.93	150389.30	174521.19	123059.04	231712.23	263712.23	308712.23
(ख) अन्य परिवहन सेवाएं	12.47	89194.72	101423.92	201591.08	146082.36	175363.13	192223.08
(vii) संचार	49.98	10844.39	13380.02	14755.66	16213.40	19512.25	22369.38
(क) डाक सेवाएं	49.98	2724.34	2870.61	3139.58	3312.54	3621.79	3983.22
(ख) दूरसंचार सेवाएं	...	4742.39	4742.39	4742.39	4719.38	5665.17	5665.17
(ग) अन्य संचार सेवाएं	...	3377.66	5767.02	6873.69	8181.48	10225.29	12720.99
(viii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण		18656.14	21094.05	24173.76	27362.18	31502.61	36820.87
(ix) सामान्य आर्थिक सेवाएं	36.93	175920.28	194335.98	211356.93	225043.48	283894.46	258732.03
(x) संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरण	...	...	...	...	...	1778.88	3547.44
कुल जोड़	***1488.01***	***1177931.64***	***1325662.55***	***1491791.87***	***1662780.42***	***1901592.68***	***2064239.00***
(ख) केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण							
राज्य सरकारों को	195.58	143547.65	144812.42	145812.91	147166.80	151025.27	154506.79
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	...	804.21	4087.53	4057.83	4054.50	3710.67	3364.60
विदेशी सरकारों को	0.01	4977.77	6538.77	7819.26	9210.62	12202.48	14501.41
राष्ट्रीय लघु बचत निधि के अधीन राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	...	517276.72	517221.27	519145.07	543498.81	567852.55	596897.88
अन्य लिखतों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि का निवेश	...	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	...	...
सरकारी क्षेत्र के उद्यम, रेलवे विकास और राजस्व प्रारक्षित निधि, प्रारक्षित निधि, पत्तन न्यास, नगरपालिकाएं तथा सांविधिक निकाय, सहकारी और शैक्षणिक संस्थाएं, विस्थापित व्यक्तियों और निजी संस्थाओं आदि को	24.58	80210.26	80096.39	82921.52	95760.77	96837.74	108771.39
सरकारी कर्मचारियों को	0.51	895.10	729.86	578.37	451.61	326.61	201.61
जोड़	**220.68**	**749211.71**	**754986.24**	**761834.96**	**801643.11**	**831955.32**	**878243.68**
जोड़-पूंजी परिव्यय तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण	**1708.69**	**1927143.35**	**2080648.79**	**2253626.83**	**2464423.53**	**2733548.00**	**2942482.68**
बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत नकद शेष	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**20000.00**
कुल जोड़	*1708.69*	*1927143.35*	*2080648.79*	*2253626.83*	*2464423.53*	*2733548.00*	*2962482.68*
पूंजी परिव्यय तथा दिए गए ऋण की तुलना में देनदारियों का आधिक्य	856.71	2589808.62	2989642.93	3415501.65	3777797.39	4158365.58	4475698.77
जोड़	**2565.40**	**4516951.97**	**5070291.72**	**5669128.48**	**6242220.92**	**6891913.58**	**7438181.45**

अनुबंध - 5(iii)

सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2014-15 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए)

	श्रेणी	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (वर्ष के दौरान आवेदित राशि से भिन्न)	वर्ष के दौरान आवेदित		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण विवरण
						चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट इत्यादि को मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के लिए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	78,057.62 (38)	71,837.54 (35)	6,220.08 (3)	549.51 (1)	...	...	77,508.11 (37)	204.17	52.24	....
2.	शेयर पूंजी की वापसी अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी/जुटाए गए बांडों/ऋणों, ऋण पत्रों की वापसी अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	31,813.66 (30)	27,834.19 (27)	3,979.47 (3)	793.50 (2)	....	....	31,020.16 (28)	87.99	86.99	....
3.	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी ऋणदात्री संस्थाओं, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, आदि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की वापसी अदायगी, ऋणों पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों, इत्यादि का भुगतान और उधार के आधार पर सामग्री और उपस्कर की आपूर्तियों हेतु किए गये करारों के लिए भुगतान करने के लिए कंपनियों, निगमों/ पत्तन न्यास आदि को प्रदान की गई गारंटियां।	1,95,037.46 (255)	1,52,962.11 (219)	42,075.35 (36)	9,475.76 (1)	...	....	1,85,561.70 (254)	730.03	631.33	....
4.	कंपनियों/निगमों के पक्ष में, उधार के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्तियां/सेवाएं करने के लिए उनको बैंकों द्वारा जारी प्राधिकार पत्रों पर विचार करते हुए बैंकों को प्रदान की गई प्रति गारंटियां।	610.36 (8)	610.36 (8)	....	....	....	....	610.36 (8)	30.52	5.18	....
5.	कंपनियों/निगमों द्वारा वसूले जाने वाले देयों/भाड़ा प्रभारों का बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए रेलवे/राज्य बिजली बोर्डों को प्रदान की गई गारंटियां।	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2014-15 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए)

श्रेणी	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (वर्ष के दौरान आवेदित राशि से भिन्न)	वर्ष के दौरान आवेदित		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. विदेशों में भारतीय कंपनियों को दी गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां।	....	....	....	....	....	....	....	...	...	....
7. विदेशों में विदेशी कंपनियों को दी गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां।	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
8. अन्य	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
कुल जोड़	3,05,519.10 (331)	2,53,244.20 (289)	52,274.90 (42)	10,818.77 (4)	...	...	2,94,700.33 (327)	1,052.71	775.74	....

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

टिप्पणीः

1 उपर्युक्त आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित हैं। ये आंकड़े बाद के रिकार्ड मिलान के कारण परिवर्तनों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं।

2 ब.अ. 2015-16 में सूचित 31.03.2014 को अंतिम शेष में भिन्नता अर्थात ₹ 3,741.51 करोड़ और 1.4.2014 के आरंभिक शेष, जैसा ऊपर बताया गया है, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और रिकार्डों में मिलान की वजह से है।

3 वर्ष 2014-2015 के लिए निवल गारंटी संचय ₹ 41,456.13 करोड़ (कॉलम 4-5-6) है जो वर्ष 2014-2015 (सं.अ.) के लिए बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का 0.33 प्रतिशत है।

4 ₹ 65,786.31 करोड़ की गारंटियों को वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए वचनबद्ध/अनुमोदित किया है जोकि अनुमानित स.घ.उ. के 0.5% के भीतर है।

अनुबन्ध - 5 (iv)

परिसम्पत्ति रजिस्टर

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अधीन

(रिपोर्टिंग वर्ष 2014-15, के अंत की स्थिति के अनुसार)

लागत (करोड़ रुपए)

	2014-15 के आरंभ में परिसम्पत्तियां	वर्ष 2014-15 के दौरान अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	वर्ष 2014-15 के अंत में परिसम्पत्तियों का संचयी योग
भौतिक परिसम्पत्तियां:			
भूमि	130375.93	2736.14	133112.07
भवन			
कार्यालय	28672.99	953.87	29626.86
रिहायशी	16296.84	190.14	16486.98
सड़कें	10270.99	362.70	10633.69
पुल	11734.04	32.04	11766.08
सिंचाई परियोजनाएं	1286.40	14.98	1301.38
विद्युत परियोजनाएं	361.56	22.10	383.66
अन्य पूंजीगत परियोजनाएं	3001.95	197.01	3198.96
मशीनरी और उपस्कर	28105.54	1089.32	29194.85
कार्यालय उपस्कर	3693.61	401.96	4095.57
वाहन	1768.69	188.87	1957.57
जोड़	**235568.53**	**6189.13**	**241757.66**
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
इक्विटी निवेश			
शेयर	155707.82	6958.63	162666.45
बोनस शेयर	427.17	0.00	427.17
ऋण और अग्रिम			
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ऋण	4092.80	-3.52	4089.28
विदेशी सरकारों को ऋण	8073.79	1699.94	9773.73
कम्पनियों को ऋण	65721.67	4651.88	70373.55
अन्य को ऋण	55753.87	-4784.37	50969.50
अन्य वित्तीय निवेश			
रेलवे	201700.25	30120.83	231821.08
अन्य	191328.35	8147.48	199475.83
जोड़	**682805.72**	**46790.87**	**729596.59**
कुल जोड़	**918374.25**	**52980.00**	**971354.25**

टिप्पणियां:

1. *राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली के अनुसार इस प्रकटन विवरण में मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग की परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं।*

2. *संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित ये आंकड़े अन्य बातों के साथ-साथ परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन और आंकड़े संग्रहित करने में सुधारों से संबंधित किसी चालू परिसमापन/न्याय निर्णयन/प्रशासनिक निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं।*

3. *₹ 2 लाख की अधिकतम मूल्य वाली उपर्युक्त आस्तियों को ही दर्ज किया गया है।*

अनुबंध - 6

केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
बाजार ऋण								
3.00% ऋण, 1951-54	15.09.1951	86.73	...	...	...	...	...	...
3.00% ऋण, 1953-55	15.07.1953	114.60	...	...	...	...	...	...
2.25% ऋण, 1954	15.11.1954	35.06	...	...	...	...	...	...
3.50% ऋण, 1954-59	15.12.1954	12.87	...	...	...	...	...	...
4.50% ऋण, 1955-60	15.09.1955	9.06	...	...	...	...	...	...
2.50% ऋण, 1955	01.10.1955	60.45	...	...	...	...	...	...
3.00% विजय ऋण, 1957	01.09.1957	114.07	...	...	...	...	...	...
4.50% ऋण, 1958-68	01.06.1958	5.85	...	...	...	...	...	...
3.00% द्वितीय विजय ऋण, 1959-61	15.08.1959	113.66	...	...	...	...	...	...
2.75% ऋण, 1960	15.07.1960	45.63	...	...	...	...	...	...
4.00% ऋण, 1960-70	15.09.1960	63.30	...	...	...	...	...	...
2.50% ऋण, 1961	01.08.1961	57.01	...	...	...	...	...	...
2.75% ऋण, 1962	15.11.1962	75.87	...	...	...	...	...	...
3.00% ऋण, 1963-65	01.06.1963	116.17	...	...	...	...	...	...
3.00% ऋण, 1964	15.06.1964	30.33	...	...	...	...	...	...
3.00% निधियन ऋण, 1966-68	01.10.1966	110.12	...	...	...	...	...	...
3.00% प्रथम विकास ऋण, 1970-75	15.10.1970	115.06	...	...	...	...	...	...
2.75% ऋण, 1976	16.09.1976	14.77	...	...	...	...	...	...
12.00% सरकारी स्टॉक, 2008	02.05.2008	...	...	...	...	...	...	...
11.50% ऋण, 2008	23.05.2008	...	...	...	...	...	...	...
12.00% सरकारी स्टॉक, 2008	19.06.2008	...	...	...	...	...	...	...
10.80% ऋण, 2008	22.07.2008	...	...	...	...	...	...	...
12.22% सरकारी स्टॉक, 2008	24.07.2008	...	...	...	...	...	...	...
11.40% सरकारी स्टॉक, 2008	31.08.2008	...	...	...	...	...	...	...
12.25% सरकारी स्टॉक, 2008	08.09.2008	...	...	...	...	...	...	...
6.65% सरकारी स्टॉक, 2009	05.04.2009	...	...	...	...	...	...	...
11.99% सरकारी स्टॉक, 2009	07.04.2009	...	...	...	...	...	...	...
11.50% ऋण, 2009	15.05.2009	...	...	...	...	...	...	...
7.00% ऋण,2009	25.05.2009	...	...	...	...	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2009	06.12.2009	...	...	...	...	...	...	...
12.29% सरकारी स्टॉक, 2010	29.01.2010	...	...	...	...	...	...	...
7.50% ऋण, 2010	12.05.2010	...	...	...	...	...	...	...
7.55% सरकारी स्टॉक,2010	14.05.2010	...	...	...	...	...	...	...
11.50% ऋण, 2010	11.06.2010	...	...	...	...	...	...	...
12.25% सरकारी स्टॉक,2010	02.07.2010	...	...	...	...	...	...	...
11.30% सरकारी स्टॉक,2010	28.07.2010	...	...	...	...	...	...	...
8.75% ऋण, 2010	13.12.2010	...	...	...	...	...	...	...
12.32% सरकारी स्टॉक,2011	29.01.2011	...	...	...	...	...	...	...
6.57% सरकारी स्टॉक,2011(पीपी)	24-02-2011	...	...	...	...	...	...	...
8.00% ऋण 2011	27.04.2011	...	...	...	...	...	...	...
10.95% सरकारी स्टॉक,2011	30.05.2011	...	...	...	...	...	...	...
9.39% सरकारी स्टॉक,2011	02.07.2011	...	...	...	...	...	...	...
11.50% ऋण 2011	05.08.2011	...	...	...	...	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2011	08.08.2011	...	...	...	...	...	...	...
12.00% ऋण 2011	21.10.2011	...	...	...	...	...	...	...
11.50% सरकारी स्टॉक,2011	24.11.2011	...	...	...	...	...	...	...
6.85% सरकारी स्टॉक,2012	05.04.2012	...	26000.00	...	...	...	...	...
7.40% सरकारी स्टॉक,2012	03.05.2012	...	33000.00	...	...	...	...	...
10.25% ऋण 2012	01.06.2012	...	1574.13	...	...	...	...	...
6.72% सरकारी स्टॉक,2007/12	18.07.2012	...	541.81	...	...	...	...	...
11.03% सरकारी स्टॉक,2012	18.07.2012	...	13500.00	...	...	...	...	...
9.40% सरकारी स्टॉक,2012	11.09.2012	...	11000.00	...	...	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2012	10.11.2012	...	5000.00	...	...	...	...	...
9.00% ऋण 2013	24.05.2013	...	1751.33	1751.33	...	...	...	...
9.81% सरकारी स्टॉक, 2013	30.05.2013	...	11000.00	11000.00	...	...	...	...
12.40% सरकारी स्टॉक, 2013	20.08.2013	...	11983.91	11983.91	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
7.27% सरकारी स्टॉक, 2013	03.09.2013	...	42000.00	42000.00	...	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2013	10.09.2013	...	4000.00	4000.00	...	...	...	...
5.32% सरकारी स्टॉक, 2014	16.02.2014	...	5000.00	5000.00	...	...	...	...
6.72% सरकारी स्टॉक, 2014	24.02.2014	...	15273.60	15273.60	...	...	...	...
7.37% सरकारी स्टॉक, 2014	16.04.2014	...	37000.00	37000.00	35751.20	...	...	...
6.07% सरकारी स्टॉक, 2014	15.05.2014	...	40000.00	40000.00	27958.20	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2014	20.05.2014	...	5000.00	5000.00	5000.00	...	...	...
10.00% ऋण, 2014	30.05.2014	...	2333.26	2333.26	1403.63	...	...	...
7.32% सरकारी स्टॉक, 2014	20.10.2014	...	18000.00	18000.00	13000.00	...	...	...
10.50% ऋण, 2014	29.10.2014	...	1755.10	1755.10	1025.36	...	...	...
7.56% सरकारी स्टॉक, 2014	03.11.2014	...	41000.00	41000.00	40845.08	...	...	...
11.83% सरकारी स्टॉक, 2014	12.11.2014	...	11500.00	11500.00	5042.46	...	...	...
10.47% सरकारी स्टॉक, 2015	12.02.2015	...	6430.00	6430.00	3769.40	...	...	...
10.79% सरकारी स्टॉक, 2015	19.05.2015	...	2683.45	2683.45	999.37	999.38	...	...
11.50% ऋण, 2015	21.05.2015	...	3560.50	3560.50	1899.16	1899.16	...	...
6.49% सरकारी स्टॉक, 2015	08.06.2015	...	40000.00	40000.00	39500.14	36105.05	...	...
7.17% सरकारी स्टॉक, 2015	14.06.2015	...	56000.00	56000.00	55449.93	33071.82	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2015	02.07.2015	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	...	...
11.43% सरकारी स्टॉक, 2015	07.08.2015	...	12000.00	12000.00	7204.30	7204.30	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2015 II	10.08.2015	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	...	...
7.38% सरकारी स्टॉक, 2015	03.09.2015	...	58000.00	58000.00	54386.74	42648.75	...	...
9.85% सरकारी स्टॉक, 2015	16.10.2015	...	10000.00	10000.00	7437.78	7437.79	...	...
7.59% सरकारी स्टॉक, 2016	12.04.2016	...	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00	50462.81	...
10.71% सरकारी स्टॉक, 2016	19.04.2016	...	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	8464.95	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2016	07.05.2016	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	...
5.59% सरकारी स्टॉक, 2016	04.06.2016	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	...
12.30% सरकारी स्टॉक, 2016	02.07.2016	...	13129.84	13129.84	13129.84	13129.85	13129.85	...
7.02% सरकारी स्टॉक, 2016	17.08.2016	...	60000.00	60000.00	60000.00	52200.00	38093.26	...
8.07% सरकारी स्टॉक, 2017	15.01.2017	...	69000.00	69000.00	69000.00	69000.00	69000.00	...
7.49% सरकारी स्टॉक, 2017	16.04.2017	...	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2017	02.07.2017	...	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
8.07% सरकारी स्टॉक, 2017	03.07.2017	...	...	50000	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00
7.99% सरकारी स्टॉक, 2017	09.07.2017	...	71000.00	71000.00	71000.00	71000.00	71000.00	71000.00
7.46% सरकारी स्टॉक, 2017	28.08.2017	...	57886.80	57886.80	57886.80	57886.80	57886.80	57886.80
6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2018	...	10886.80	10886.80	10886.80	10886.80	10886.80	10886.80
7.83% सरकारी स्टॉक, 2018	11.04.2018	...	64000	64000.00	73000.00	73000.00	73000.00	73000.00
8.24% सरकारी स्टॉक, 2018	22.04.2018	...	56000.00	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00
10.45% सरकारी स्टॉक, 2018	30.04.2018	...	3716.00	3716.00	3716.00	3716.00	3716.00	3716.00
5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
12.60% सरकारी स्टॉक, 2018	23.11.2018	...	12631.88	12631.88	12631.88	12631.88	12631.88	12631.88
5.64% सरकारी स्टॉक, 2019	02.01.2019	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	02.02.2019	...	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00
7.28% सरकारी स्टॉक, 2019	03.06.2019	...	...	...	53000	53000.00	53000.00	53000.00
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
6.90% सरकारी स्टॉक, 2019	13.07.2019	...	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00
10.03% सरकारी स्टॉक, 2019	09.08.2019	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00
8.19% सरकारी स्टॉक, 2020	16.01.2020	...	14000	74000.00	74000.00	74000.00	74000.00	74000.00
10.70% सरकारी स्टॉक, 2020	22.04.2020	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
7.80% सरकारी स्टॉक, 2020	03.05.2020	...	60000.0	60000.00	60000.00	75000.00	75000.00	75000.00
8.27% सरकारी स्टॉक, 2020	09.06.2020	...	...	...	...	61000.00	73000.00	73000.00
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2020	21.12.2020	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
8.12% सरकारी स्टॉक, 2020	10.12.2020	...	...	13000	76000.00	76000.00	76000.00	76000.00
11.60% सरकारी स्टॉक, 2020	27.12.2020	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.80% सरकारी स्टॉक, 2021	11.04.2021	...	68000	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00
7.94% सरकारी स्टॉक, 2021	24.05.2021	...	49000.00	49000.00	49000.00	49000.00	49000.00	49000.00
10.25% सरकारी स्टॉक, 2021	30.05.2021	...	26213.32	26213.32	26213.32	26213.32	26213.32	26213.32
8.79% सरकारी स्टॉक, 2021	08.11.2021	...	56000	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00
8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00
8.35% सरकारी स्टॉक, 2022	14.05.2022	...	44000.00	44000.00	44000.00	77000.00	77000.00	77000.00
8.15% सरकारी स्टॉक, 2022	11.06.2022	...	...	70000	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00

(करोड़ रुपए)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	59000.00	59000.00	59000.00	66000.00	66000.00	66000.00
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00
6.30% सरकारी स्टॉक, 2023	09.04.2023	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
7.16% सरकारी स्टॉक, 2023	20.05.2023	...	...	...	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
8.83% सरकारी स्टॉक, 2023	25.11.2023	...	...	...	33000.00	83000.00	83000.00	83000.00
7.68% सरकारी स्टॉक, 2023	15.12.2023	...	...	...	...	...	53000.00	53000.00
7.35% सरकारी स्टॉक, 2024	22.06.2024	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	39000.00	39000.00
8.40% सरकारी स्टॉक, 2024	28.07.2024	...	...	...	...	76000.00	90000.00	90000.00
9.15% सरकारी स्टॉक, 2024	14.11.2024	...	48000	92000.00	92000.00	92000.00	92000.00	92000.00
7.72% सरकारी स्टॉक,2025	25.05.2025	...	...	...	...	...	86000.00	86000.00
8.20% सरकारी स्टॉक, 2025	24.09.2025	...	...	59000	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
7.59% सरकारी स्टॉक,2026	11.01.2026	...	...	...	...	...	23000.00	23000.00
8.33% सरकारी स्टॉक, 2026	09.07.2026	...	...	60000	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
10.18% सरकारी स्टॉक, 2026	11.09.2026	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
8.15% सरकारी स्टॉक, 2026	24.11.2026	...	...	...	...	65489.20	86489.20	86489.20
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	53000.00	53000.00	72000.00	89000.00	89000.00	89000.00
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	72000	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	25000	35000.00	74000.00	88000.00	88000.00	88000.00
6.01% सरकारी स्टॉक, 2028	25.03.2028	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
8.60% सरकारी स्टॉक, 2028	02.06.2028	...	...	...	...	84000.00	84000.00	84000.00
6.13% सरकारी स्टॉक, 2028	04.06.2028	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
7.59% सरकारी स्टॉक, 2029	20.03.2029	...	...	...	...	...	33000.00	33000.00
7.88 % सरकारी स्टॉक, 2029	19.03.2030	...	...	...	...	...	89000.00	89000.00
9.20% सरकारी स्टॉक, 2030	30.09.2030	...	...	...	17000.00	61884.55	61884.55	61884.55
8.97% सरकारी स्टॉक, 2030	05.12.2030	...	19000.00	73000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	62000.00	76000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	13000.00	13000.00	60000.00	87000.00	87000.00	87000.00
7.95% सरकारी स्टॉक, 2032	28.08.2032	...	59000.00	59000.00	59000.00	59000.00	89000.00	89000.00
8.24% सरकारी स्टॉक, 2033	10.11.2033	...	...	...	...	25000.00	87000.00	87000.00
7.50% सरकारी स्टॉक, 2034	10.08.2034	...	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00
7.73% सरकारी स्टॉक, 2034	19.12.2034	...	...	...	...	...	20000.00	20000.00
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2035	25.01.2035	...	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
7.40% सरकारी स्टॉक, 2035	09.09.2035	...	42000.00	42000.00	52000.00	52000.00	52000.00	52000.00
8.33% सरकारी स्टॉक, 2036	07.06.2036	...	59000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00
6.83% सरकारी स्टॉक, 2039	19.01.2039	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
8.30% सरकारी स्टॉक, 2040	02.07.2040	...	72000.00	72000.00	72000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.83% सरकारी स्टॉक, 2041	12.12.2041	...	18000	60000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.30% सरकारी स्टॉक, 2042	31.12.2042	...	...	9000	56000.00	90000.00	90000.00	90000.00
9.23% सरकारी स्टॉक, 2043	23.12.2043	...	...	...	39472.28	76472.28	79472.28	79472.28
8.17% सरकारी स्टॉक, 2044	01.12.2044	...	...	...	...	21000.00	74000.00	74000.00
8.13% सरकारी स्टॉक, 2045	22.06.2045	...	...	...	...	...	48000.00	48000.00
7.72 % सरकारी स्टॉक, 2055	22.06.2046	...	...	...	...	...	9000.00	9000.00
3.00% ऋण, 1896-97		8.93	...	...	...	...	...	...
3.00% रूपांतरण ऋण, 1946		248.92	...	...	...	...	...	...
ऋण परिपक्व परंतु वर्ष के अंत तक धारकों द्वारा संग्रहित नहीं		6.49	439.00	413.09	194.95	19.08	19.08	19.08
जांच/मिलान के तहत अंतर			3.06	0.92	3.41	6.13	6.13	6.13
2015-16 में प्रतिभूति के निर्गम में अंतरण		...	...	...	...	...	...	17821.02
2016-17 में अनुमानित उधार		...	...	...	...	...	...	600000.00
अंतरण के जरिए निर्गम		...	...	...	...	...	36321.02	75000.00
अंतरण के जरिए चुकौतियां		...	...	...	...	...	-36321.02	-75000.00
206-17 के स्टॉक से खरीद वापसी								
बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत जारी किए गए ऋण		**...**	**2737.00**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
7.55% सरकारी स्टॉक, 2010(आरआई)	14.05.2010	...	2420.00	...	...	...	...	...
12.25% सरकारी स्टॉक, 2010(आरआई)	02.07.2010	...	...	...	...	...	...	...
11.30% सरकारी स्टॉक, 2010(आरआई)	28.07.2010	...	317.00	...	...	...	...	...
6.57% सरकारी स्टॉक, 2011(आरआई)	24.02.2011	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-चालू ऋण (एमएसएस के अन्तर्गत ऋणों को छोड़कर)		1444.95	2496143.79	2963499.80	3414158.03	3864252.14	4275706.91	4702377.06

अनुबंध - 6क

विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां

(करोड़ रुपए)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	2434.02	2434.02	2434.02	2434.05	2434.05	2434.05
8.33% सरकारी स्टॉक, 2032	21.09.2032	...	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48
जोड़		**...**	**20808.75**	**20808.75**	**20808.75**	**20808.78**	**20808.78**	**20808.78**

अनुबंध - 6ख

मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड

(करोड़ रुपए)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस 2023	05.06.2023	...	...	...	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस 2023	05.06.2023	...	...	...	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस 2023	05.06.2023	...	...	...	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस 2023	05.06.2023	...	...	...	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस 2023	05.06.2023	...	...	...	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस 2023	05.06.2023	...	...	...	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस 2023	05.06.2023	...	...	...	582.59	582.59	582.59	582.59
आईआईएनएसएससी	05.06.2023	...	...	...	92.00	90.53	64.84	64.84
आईआईबी की वापसी खरीद		...	...	...	...	...	-6500.00	-6500.00
जोड़		**...**	**...**	**...**	**6674.59**	**6673.12**	**147.43**	**147.43**

अनुबंध - 6ग

विपणन प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियाँ

(करोड़ रुपए)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
7.27% सरकारी स्टॉक, 2013	03.09.2013	...	4000.00	4000.00	...	...	...	...
7.37% सरकारी स्टॉक, 2014	16.04.2014	...	5000.00	5000.00	5000.00	...	...	...
7.38% सरकारी स्टॉक, 2015	03.09.2015	...	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	...	...
7.49% सरकारी स्टॉक, 2017	16.04.2017	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2018	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
5.87% सरकारी स्टॉक, 2022	28.08.2022	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
5.97% सरकारी स्टॉक, 2025	25.09.2025	...	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95
जोड़		**...**	**76817.95**	**76817.95**	**72817.95**	**67817.95**	**64817.95**	**64817.95**

अनुबंध -6घ

डाक विभाग को भारत सरकार के विशेष बॉंड (बाजार ऋणों को सरकारी लेखे से पोलिफ का प्रतिभूतिकरण)

(करोड़ रुपए)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
8.01% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2021	31.03.2021	...	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
पीएलआई भारत सरकार विशेष अस्थायी दर वाले बॉंड 2022	30.03.2022	...	...	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
8.20% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	28.03.2023	...	...	...	6893.68	6893.68	6893.68	6893.68
8.08% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	31.03.2023	...	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
जोड़		**...**	**7000.00**	**14000.00**	**20893.68**	**20893.68**	**20893.68**	**20893.68**

अनुबंध -6ङ

तेल विपणन कम्पनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

(करोड़ रुपए)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
7.47% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2012	09.09.2012	...	5762.85	...	...	...	...	...
7.44% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2015	07.03.2015	...	1750.00	1750.00	1750.00	...	...	...
7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2015	23.03.2015	...	1750.00	1750.00	1750.00	...	...	...
8.13% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	16.10.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	28.11.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	10.11.2023	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
8.01% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	15.12.2023	...	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	12.02.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.09.2024	...	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33
6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	...	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	...	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	29.03.2026	...	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00
6.90% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	04.02.2026	...	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00
8.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	23.03.2026	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
जोड़			**140186.02**	**134423.17**	**134423.17**	**130923.17**	**130923.17**	**130923.17**

सरकार द्वारा की गई वापसी खरीद		*5762.98*	*6032.30*

अनुबंध -6च

उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

(करोड़ रुपए)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड,2022	10.12.2022	...	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51
6.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड,2022	24.12.2022	...	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42
6.65% भारत सरकार विशेष बॉण्ड,2022	24.12.2022	...	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92
8.30% भारत सरकार विशेष बॉण्ड,2023	07.12.2023	...	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00
7.95%भारत सरकार विशेष बॉण्ड,2026	18.02.2026	...	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87
जोड़		**...**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**

अनुबंध -6छ

भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

(करोड़ रुपए)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
8.15% भारत सरकार विशेष बॉण्ड,2022	16.10.2022	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड,2024	15.12.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.23% भारत सरकार विशेष बॉण्ड,2027	12.02.2027	...	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00
जोड़		**...**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**

अनुबंध -6ज

यूटीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

(करोड़ रुपए)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
6.10% भारत सरकार विशेष बॉण्ड,2011	23.07.2011	...	362.00	...	...	...	...	...
जोड़		**...**	**362.00**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**

अनुबंध -6झ

आईआईबीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

(करोड़ रुपए)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
11.50% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.03.2021	...	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
जोड़		**...**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

अनुबंध -6ञ

आईएफसीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

(करोड़ रुपए)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.10.2021	...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
जोड़		**...**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**

अनुबंध -6ट

एसबीआई राइटस इश्यू को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

(करोड़ रुपए)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
8.35% एसबीआई अधिकार प्रतिभूति, 2024	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01
जोड़		**...**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**

अनुबंध - 7क

राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग
31 मार्च, 2016 के अनुसार

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2014-2015	संशोधित अनुमान 2015-2016	बजट अनुमान 2016-2017
क. निधियों के स्रोत			
लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियां			
बचत जमा राशियां			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	398992.56	405411.48	434070.08
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	6418.92	28658.60	2051.53
बचत प्रमाण-पत्र			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	188173.62	183325.88	191283.89
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	-4847.74	7958.01	-15356.25
लोक भविष्य निधि			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	271183.09	319549.12	365715.51
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	48366.03	46166.39	40472.85
कुल जमा राशि	**908286.48**	**991069.48**	**1018237.61**
ख. निधियों का उपयोग			
31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशियों के प्रति केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	64569.19	64569.19	64569.19
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	...	...	...
1.4.1999 से संग्रहणों में से केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	34293.84	36441.67	61669.15
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	3450.31	27000.00	9000.00
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-1302.48	-1772.52	-3267.34
1.4.1999 से संग्रहणों में से राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	519145.06	543498.80	572544.13
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	48128.29	59190.47	26375.25
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-23774.55	-30145.14	-34402.70
प्रतिभूतियों के मोचन से प्राप्त राशियों में से केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	130302.34	160380.34	188570.81
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	30078.00	28190.47	16375.25
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	...	...	...
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. को 15 वर्ष के लिए 9 प्रतिशत ऋण (2023)			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	1500.00	1500.00	...
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	...	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	-1500.00	...
कुल निवेश	**806390.00**	**887353.28**	**901433.74**
संचित अधिशेष आय(-)/ व्यय (+) लेखा	90707.56	103716.20	116803.88
नकद शेष	11188.92	...	-0.01
जोड़	**908286.48**	**991069.48**	**1018237.61**

अनुबंध - 7ख

राष्ट्रीय लघु बचत निधि

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2014-2015		बजट अनुमान 2015-2016		संशोधित अनुमान 2015-2016		बजट अनुमान 2016-2017	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
क. संग्रहण, उन्मोचन और निवेश								
अथशेष	858349.27	...	907257.01	...	908286.48	...	991069.48	...
1 संग्रहण और संवितरण								
(i) बचत जमा	215120.60	208701.68	223031.20	204006.03	302824.40	274165.80	292749.95	290698.42
(ii) बचत पत्र	23381.44	28229.18	21843.43	27843.43	37482.79	29524.78	31902.10	47258.35
(iii) लोक भविष्य निधि	66231.78	17865.75	65801.12	26801.11	69877.22	23710.83	76008.74	35535.89
वर्ष में कुल संग्रहण और संवितरण	304733.82	254796.61	310675.75	258650.57	410184.41	327401.41	400660.79	373492.66
जोड़ (1)	1163083.09	254796.61	1217932.76	258650.57	1318470.89	327401.41	1391730.27	373492.66
2 निवेश :								
(i) 01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार	...	749810.43	...	807577.10	...	806390.00	...	887353.28
(ii) 31.3.1999 को बकाया राशि के एवज में केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	...	...	...	...	...	...	...	...
(iii) 1.4.1999 से संग्रहणों के एवज में केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियोंमें निवेश	1302.48	3450.31	1427.48	7000.00	1772.52	27000.00	3267.34	9000.00
(iv) 1.4.1999 से जारी राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	23774.55	48128.29	26497.53	36835.00	30145.14	59190.47	34402.70	26375.25
(v) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों का पुनर्निवेश	...	30078.00	...	16835.00	...	28190.47	...	16375.25
(vi) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फायनेंस कंपनी लिमिटेड को 15 वर्षीय 9% ऋण	...	...	...	...	1500.00	...	...	...
वर्ष में कुल निवेश	25077.03	81656.60	27925.01	60670.00	33417.66	114380.94	37670.04	51750.50
जोड़ (2)	25077.03	831467.03	27925.01	868247.10	33417.66	920770.94	37670.04	939103.78
ख. एनएसएसएफ की आय और व्यय								
3 ब्याज से आयः								
(i) 31.3.1999 को बकाया राशि के एवज में केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	5811.23		5811.23		5811.23		5811.23	
(ii) 1.4.1999 से संग्रहणों के एवज में केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	3273.14		3478.23		3667.82		5698.49	
(iii) 1.4.1999 से निर्गमित राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	50471.28		50065.48		51757.55		52843.90	
(iv) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों के एवज में केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	11887.24		15687.83		14744.65		17347.75	
(v) भारतीय आधारभूत संरचना वित्त कम्पनी लि.को 15-वर्षीय, 9 प्रतिशत ऋण (2023)	270.00		135.00		135.00		...	
3.1 राष्ट्रीय लघु बचत निधि की अन्य आयः								
अन्य प्राप्तियां	306.24		315.00		342.63		325.00	
जोड़ (3)	72019.13		75492.77		76458.88		82026.37	

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2014-2015		बजट अनुमान 2015-2016		संशोधित अनुमान 2015-2016		बजट अनुमान 2016-2017	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
4 ब्याज भुगतानः								
बचत जमा राशियां		28684.88		33000.00		30500.00		31715.00
बचत पत्र		24687.93		29000.00		25500.00		26522.00
लोक भविष्य निधि		21490.11		24000.00		24000.00		26400.00
जोड़ (4)		74862.92		86000.00		80000.00		84637.00
5 प्रबंधन लागतः								
डाक विभाग को एजेंसी प्रभारों का भुगतान		6670.03		6836.87		7214.01		8047.05
* सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी प्रभारों का भुगतान		...		...		105.00		115.00
एजेंटों को एजेंसी कमीशन का भुगतान		1787.67		1900.00		2113.51		2280.00
मुद्रण की लागत		30.00		35.00		35.00		35.00
जोड़ (5)		8487.70		8771.87		9467.52		10477.05
6 राष्ट्रीय लघु बचत निधि की कुल आय और व्यय (3)+(4)+(5)	72019.13	83350.62	75492.77	94771.87	76458.88	89467.52	82026.37	95114.05
7 वर्ष में निवल आय (-)/व्यय (+)		11331.49		19279.10		13008.64		13087.68

* *लघु बचत योजना चलाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी प्रभारों का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 2015-16 से इसे एनएसएसएफ के व्यय के रूप में एनएसएसएफ में दर्शाया जाता है।*

अनुबंध- 8

वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी

(करोड़ रुपये)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य (टीपीसी)	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि (वर्ष)	वार्षिकी भुगतान
1. सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय					
	एनएचडीपी चरण-I	**2353.70**	**8635.08**		**575.67**
	पनगढ़-पलसित (किमी. 517-581)	350.00	1665.00	15	111.00
	पलसित-दांकुनी दुर्गापुर एक्सप्रैसवे (किमी. 581-646)	432.40	1199.94	15	80.00
	अंकापली-टूनी ((किमी.359.2-300)	283.20	884.43	15	58.96
	टूनी-धर्मवरम (आं.प्र-16) (कि.मी. 300-253)	231.90	837.36	15	55.82
	धर्मवरम-राजामुंद्री (आं.प्र-15) (कि.मी. 253-200)	206.00	888.57	15	59.24
	नेल्लोर बाइपास	143.20	388.80	15	25.92
	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम	332.00	1515.30	15	101.02
	ताम्बरम-तिंडीवनम	375.00	1255.68	15	83.71
	एनएचडीपी चरण-II	**6851.91**	**20853.99**		**1204.73**
	गोरखपुर बाइपास (किमी. 251.70-279.80)	600.24	1701.00	17.5	97.20
	एनएस-1/बीओटी/म.प्र.-उ.प्र./ग्वालियर झांसी (किमी 16 से रा.रा. 75 के किमी. 96.127)	604.00	1830.15	17.5	104.58
	एनएस-1/बीओटी/म.प्र.1/ग्वालियर बाइपास (रा.रा.-3 के किमी 103 से रा.रा. 75 के किमी. 16)	300.93	928.55	17.5	53.06
	लखनादोन-म.प्र./महा. सीमा,एमपी एनएस-1 (रा.रा.डिवी.7 का किमी. 547.4-596.75) म.प्र. एनएस.1/बीओटी/म.प्र.-2 में	263.17	784.70	17.5	44.84
	लखनादोन-म.प्र./महा. सीमा (रा.रा.डिवी.7 का किमी. 596.75-653.225)म.प्र. एनएस.1/बीओटी/म.प्र.-3 में	407.60	1239.00	17.5	70.80
	बिहार में एनएच डिवी.-57 पर कोसी सेतू और एप्रोच (किमी.165-155) (बीआर-5)	418.04	1084.60	17	63.80
	बारा-उरई (रा.रा.डिवी.2 पर किमी 449 से किमी 422 तक और किमी 255 से 220 तक)	465.00	1344.75	15	89.65
	उ.प्र. में झांसी-ललितपुर (रा.रा-डिवी.26 का किमी 49.79-99) एनएस-1/बीओटी/उ.प्र.-3	355.06	1048.25	17.5	59.90
	उ.प्र. में झांसी-ललितपुर (रा.रा-25 और 26 का किमी 49.79-99) एनएस-1/बीओटी/उ.प्र.-3	276.09	838.25	17.5	47.90
	कोलकाता-कुरनूल (आं.प्र-5)किमी 135.740- 211)	592.00	2034.72	18	113.04
	महा./आं.प्र सीमा से इस्लाम नगर (एनएस-2/ बीओटी/आ.प्र-6)किमी 175/0 से किमी 230/0	360.42	1133.28	18	62.96
	इस्लाम नगर से कडताल (एनएस-2/बीओटी/ आं.प्र-7) किमी 230 से 278	546.83	1597.32	18	88.74

(करोड़ रुपये)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य (टीपीसी)	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि (वर्ष)	वार्षिकी भुगतान
	कडताल से अरमुर (एनएस-2/बीओटी/आं.प्र-7) किमी 278/0 से किमी 308/0	271.73	856.80	18	47.60
	कडलूर येल्लारेड्डी से गुण्डला पंचमपल्ली (एनएस-2/बीओटी/आं.प्र-2) (अमूर-कालकल्लू गांव) आं.प्र-2)	490.00	1950.48	18	108.36
	आं.प्र/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग तथा देवनहल्ली से मीनुकुंटी गांव	402.80	1185.84	18	65.88
	पालनपुर से स्वरूपगंज (राज.-42 किमी और गुज.-34 किमी)	498.00	1296.30	15	86.42
	जम्मू-कश्मीर (एएसबी के जरिए वित्तपोषित किया जाता है)	**7060.46**	**28324.08**		**1798.48**
	जम्मू-ऊधमपुर	1813.76	6864.60	17	403.80
	काजीगुंड-बनिहाल	1987.00	7350.00	15	490.00
	चेनानी-नशरी	2159.00	9525.60	15	635.04
	श्रीनगर-बनिहाल	1100.70	4583.88	17	269.64
	एनएचडीपी चरण-III	**8947.00**	**22893.29**		**1626.23**
	बरही-हजारीबाग-रांची-माहुलिया	625.07	1986.48	15.5	128.16
	रा.रा-डिवी.1का अमृतसर-वाघा सीमा खण्ड 455.400 किमी.से 491.62 किमी.	205.88	664.20	18	36.90
	पटना-मुजफ्फरपुर (वार्षिकी)	671.30	2365.00	12.5	189.20
	त्रीची-कराइकुडी को दो लेन बनाना तथा त्रीची बाइपास	374.00	554.97	13	42.69
	हरिद्वार-देहरादून	478.00	1862.70	17.5	106.44
	छपरा-हाजीपुर को चार लेन (वार्षिकी) का बनाना	575.00	1635.75	12.5	130.86
	मुकामा-मुंगेर को 2 लेन (वार्षिकी) का बनाना	351.54	1038.44	13	79.88
	मुजफ्फरपुर-सोनबरसा को 2 लेन का बनाना	511.54	1834.00	17.5	104.80
	डिंडीगुल-पेरिगुलाम-थेनी-कुमीली को 2 लेन को बनाना	485.00	738.00	18	41.00
	2 लेन पूर्णिया खगरिया एनएच-डिवी.31	664.00	1624.00	14.5	112.00
	4 लेन कृष्णनगर-बहरामपुर एनएच डिवी.34	702.16	1530.00	12.5	122.40
	4 लेन बरासत-कृष्णानगर एनएच डिवी.34	867.00	2145.42	14.5	147.96
	4 लेन रीगस सीकर	333.51	544.33	14.5	37.54
	4 लेन रांची जमशेदपुर	1479.00	3330.00	12.5	266.40
	कृष्णागिरि-त्रिवेन्द्रम	624.00	1040.00	13	80.00
	एनएचडीपी चरण-IV	**3704.04**	**12987.00**		**811.00**
	नागपुर-बैतुल को चार लेन (वार्षिकी) का बनाना	2498.76	9596.40	16.5	581.60
	लखनऊ-रायबरेली	635.90	1461.60	14.5	100.80
	रायबरेली-जौनपुर	569.38	1929.00	15	128.60
	एसएआरडीपी-एनई	**762.00**	**3062.22**		**194.76**
	शिलांग-बाइपास (वार्षिकी)	226.00	596.88	12	49.74
	जोराहाट-बारापानी (वार्षिकी)	536.00	2465.34	17	145.02
	कुल एनएचडीपी-(I)	**29679.11**	**96755.66**		**6210.87**

(करोड़ रुपये)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य (टीपीसी)	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि (वर्ष)	वार्षिकी भुगतान
गृह मंत्रालय					
दिल्ली पुलिस	धीरपुर, नई दिल्ली में आवासीय परिसर का विकास	790.58	₹1,897.12 करोड़ की वचनबद्धता [(i) कुल 24 वार्षिकियां, जिनमें प्रत्येक ₹62.75 करोड़ की है। निर्माण अवधि के दौरान जिनकी छमाही राशि ₹1,506 करोड़ +(ii) ₹158.06 करोड़ प्रत्येक के दो निर्माण आधारित एकमुश्त भुगतान है। कुल ₹316.12 करोड़ +(iii) 75 करोड़ की उपयोगिता परिवर्तन की लागत अनन्तिम]	वाणिज्य प्रचालन की तारीख से 12 वर्ष	125.50
दिल्ली पुलिस	जय सिंह रोड़, संसद मार्ग,नई दिल्ली में नए पुलिस मुख्यालय का विकास	202.00	₹1,178.80 करोड़ की वचनबद्धता [(i)कुल 26 वार्षिकियां, जिनमें प्रत्येक ₹39 करोड़ की है, निर्माण अवधि के दैरान जिनकी छमाही राशि ₹1,014.00 करोड़ + (ii) ₹40.40 करोड़ प्रत्येक के दो निर्माण आधारित एक मुश्त भुगतान है। कुल ₹ 80.80 करोड़ +(iii) आंतरिक साजसज्जा और 100 प्रतिशत वातानुकूलन समेत उपयोगिता परिवर्तन की लागत 84.01 करोड़ रुपए (अनन्तिम)]	वाणिज्य प्रचालन से 13 वर्ष	78.00
	गृह मंत्रालय - (II)	**992.58**	**3075.93**		**203.50**
	कुल जोड़ (I+II)	**30671.69**	**99831.59**		**6414.37**

टिप्पणीः अनुमोदित वार्षिकी संविदाओं के कारण देनदारियां मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हैं

अनुबन्ध - 9

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। वर्ष 2015-2016 तथा 2016-2017 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2014-2015	बजट अनुमान 2015-2016	संशोधित अनुमान 2015-2016	बजट अनुमान 2016-2017
क. ऋण	33,533.89	34,373.35	34,580.00	44,789.00
ख. नकद अनुदान	1,441.84	1,773.77	2,506.36	2,175.21
ग. वस्तु अनुदान सहायता	158.04	...	430.39	686.82
घ. जोड़ (क+ख+ग)	**35,133.77**	**36,147.12**	**37,517.36**	**47,651.03**
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	20,600.86	23,200.00	23,095.35	25,694.58
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	**14,532.91**	**12,947.12**	**14,422.01**	**21,956.45**
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	3,765.64	3,998.12	3,873.85	4,058.50
ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	**10,767.27**	**8,949.00**	**10,548.16**	**17,897.95**

वित्त मंत्रालय द्वारा द्विपक्षीय भागीदारों के साथ विकास सहयोग हेतु आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के संबंध में 8 दिसम्बर, 2015 को जारी नए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान द्विपक्षीय भागीदारों के अलावा अन्य देशों से भी ओडीए स्वीकृत की जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि सामान्य मार्ग से सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त, विशेष ऋणों (अर्थात् ऐसे ऋण जिनके लिए वित्तीय सहायता करने वाले देश से निष्पादनकारी एजेंसी के प्रापण के लिए शर्तें रखी गई हैं) के रूप में द्विपक्षीय सहायता की पेशकश को स्वीकृत किया जाए)।

सरकार द्वारा द्विपक्षीय विकास सहायता भी प्राप्त की जा सकती है, यदि यह सहायता किसी बहुपक्षीय एजेंसी के जरिए अथवा सह-वित्तपोषण से दी जाती है तथा बहुपक्षीय एजेंसी द्वारा उसके अपने नियमों और प्रक्रियाओं के तहत प्रस्तावित कार्यक्रम/परियोजना क्रियान्वित किया जाना हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं भागीदार बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के बीच उनकी नीतियों के भाग के रूप में बनाई जाएं। ऐसे सह-वित्तपोषित कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं कार्यक्रम/परियोजना चलाने वाली बहुपक्षीय एजेंसी को प्रयोज्य प्रक्रियाओं द्वारा अभिशासित होंगी।

विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा दी जा रही सहायता का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(क) द्विपक्षीय

I. फ्रांस

1. फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से प्रदान की जा रही है, और भारत में एजेंसी फॉर डवलपमेंट द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र वैश्विक सार्वजनिक सामान के स्थायी प्रबंधन और जैव-विविधता का परिरक्षण हैं। एएफडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं-"कोची मेट्रो परियोजना" और "जोधपुर हेतु शहरी जलापूर्ति योजना का पुनर्संगठन। 2015-16 के दौरान, भारत सरकार और एएफडी (फ्रांस) के बीच 200 मिलियन यूरो के "बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना-II" नामक एक नए करार पर हस्ताक्षर हुए हैं।

एएफडी ने संअ. 2015-16 में ₹ 663 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 2015-16 में ₹ 326 करोड़ संवितरित किए हैं।

II. जर्मनी

संघीय गणराज्य जर्मनी 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय कार्यक्रमों का केएफडब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये कार्यान्वयन किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संपोषणीय प्रयोग, स्थायी आर्थिक विकास। केएफडब्ल्यू सहायता के माध्यम से चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- 'तमिलनाडु में सम्पोषणीय नगरपालिका अवसंरचना वित्तपोषण' और 'शूगटोंग-कर्चम पनबिजली परियोजना-एचपी'।

2015-16 के दौरान भारत सरकार और केएफडब्ल्यू (जर्मनी) ने 247 मिलियन यूरो के तीन करारों नामशः हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंट्रा ट्रांसमिशन, हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी जलवायु प्रूफिंग पर हस्ताक्षर किए हैं।

2015-16 के दौरान ऋण प्राप्ति संअ. 2015-16 के ₹971 करोड़ के मुकाबले ₹724 करोड़ और अनुदान के रूप में ₹21.58 करोड़ है। ब.अ. 2016-17 का अनुमान ₹1,268 करोड़ है।

III. जापान

जापान 1958 से भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापानी द्विपक्षीय ऋण सहायता, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है।

2. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, जेआईसीए ने दो नई परियोजनाएं अर्थात् 'पुणे में मुला-मुथा नदी का प्रदूषण कम करने की परियोजना और ओडिशा ट्रांसमिशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट परियोजना हस्ताक्षरित की है। ब.अ. 2016-17 में सरकारी ऋणों के लिए 2016-17 में संवितरण का अनुमान ₹12,250 करोड़ है।

IV. रूसी परिसंघ

वर्तमान वचनबद्धता के अन्तर्गत, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में संपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था जिसमें 4 % प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, 2600 मिलियन अमरीकी डालर के सरकारी ऋण की व्यवस्था बढ़ाकर रूसी परिसंघ से आपूर्ति और सेवा पर आने वाली लागत 85% भाग तक कर दी गई है। 31-12-2014 से यूनिट-I का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो गया है। कुडनकुलम में (यूनिट 3 और 4) अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए जुलाई, 2012 में तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के प्रोटोकाल करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें रूसी परिसंघ ने 4 % प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, 4200 मिलियन अमरीकी डालर का सरकारी ऋण प्रदान किया। रुसी परिसंघ ने ₹3.28 करोड़ संवितरित किए हैं। ब.अ. 2016-17 का अनुमान ₹2000 करोड़ है।

V. यूनाइटेड किंगडम (यूके)

यूनाइटेड किंगडम (यूके) 1958 से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान करता आ रहा है। यह सहायता स्वास्थ्य, शिक्षा, स्लम विकास आदि के क्षेत्रों में मुख्यतः मिलेनियम विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्राप्त की जाती है। वर्ष 2015-16 के दौरान डीएफआईडी से कुल संवितरण ₹ 224 करोड़ बैठता है।

VI. संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए)

भारत को संयुक्त राज्य अमरीका की द्विपक्षीय सहायता 1951 में शुरू हुई। यह सहायता मुख्यतया अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएड) के मार्फत संचालित होती है। वर्ष 2015-16 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका से सहायता का कुल संवितरण अनुदान के रूप में ₹ 5 करोड़ है।

ख. बहुपक्षीय

I. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एडीबी 1966 में स्थापित एक मुख्य वित्तीय संस्था है और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। हमारे संसाधनों को विस्तृत करने के लिए 1986 में एडीबी से उधार लेने का निर्णय लिया गया था।

एडीबी की परियोजनाएं शहरी, परिवहन, विद्युत, ग्रामीण विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं। सरकारी खाते पर वर्तमान एडीबी ऋणों की संख्या 71 है। सरकारी खाते पर एडीबी सहायता के जरिए चल रही प्रमुख परियोजनाएं हैं- 'राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम; और बिहार राज्य राजमार्ग परियोजना। 2015-16 के दौरान एडीबी से संवितरण संअ. 2015-16 के ₹7,845 करोड़ के मुकाबले ₹5,899 करोड़ है। बअ 2016 का अनुमान ₹9,760 करोड़ है।

एडीबी भारतीय रिजर्व बैंक की रुपए प्रतिभूतियां रखता है, जिनका समय-समय पर भारत में इसके रुपए व्यय को पूरा करने के लिए इसके द्वारा नकदीकरण किया जा सकता है।

II. यूरोपीय संघ(ईयू)

यूरोपीय संघ भारत को अनुदानों के रूप में विकास सहायता प्रदान करता रहा है। यह वर्तमान में पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्राथमिकता प्राप्त सेक्टरों में अनुदान दे रहा है। भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रम जिन्हें अन्य विकास भागीदारों के साथ यूरोपीय संघ से सहायता प्राप्त हुई है/हो रही है इनमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/बाल प्रजनन स्वास्थ्य (आरसीएच) शामिल हैं। 2015-16 के दौरान इसने ₹288 करोड़ संवितरित किए हैं।

III. वैश्विक निधि संगठन

वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया से मुकाबला करने के लिए है। वैश्विक निधि/जीएफएटीएम एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिए समर्पित है। इस संगठन ने जनवरी 2002 में प्रचालन शुरू किया था। भारत में जीएफएटीएम से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है।

इस समय वैश्विक निधि की सहायता से निष्पादित की जा रही 9 परियोजनाएं हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान वैश्विक निधि के साथ 550.87 मिलियन अमरीकी डालर के तीन नए करार हस्ताक्षरित किए गए थे जो इस प्रकार हैं- 'इंक्रिजिंग एक्सेस एण्ड प्रोमोटिंग कम्प्रेहेंसीव केयर', 'सपोर्ट एंड ट्रिटमेंट, गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-3" और 'तपेदिक"। 2015-16 के दौरान, जीएलएफ द्वारा अनुदान के रूप में ₹1,210.92 करोड़ संवितरित किए गए हैं।

IV. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में सहायता दी है।

आईएफएडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं-समेकित आजिविका सहायता परियोजना और झारखंड जनजातीय सुधार एवं आजीविका परियोजना। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आईएफएडी संअ. 2015-16 के ₹ 332 करोड़ के मुकाबले ऋण के रूप में ₹ 164.86 करोड़ संवितरित किए हैं। ब.अ. 2016-17 का अनुमान ₹ 431 करोड़ है।

V. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का समग्र मिशन स्थायी मानव विकास में क्षमता विकास के जरिए कार्यक्रम वाले देशों की सहायता करना है। वर्तमान देश कार्यक्रम (सीपी) में चार यूएनडीएएफ निष्कर्षों अर्थात् समावेशी विकास, अभिशासन, स्थायी विकास और महिला-पुरूष समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह देश कार्यक्रम आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों पर केंद्रित है। 2013-2017 हेतु भारतीय देश कार्यक्रम के लिए कुल संसाधन आबंटन 243.4 मिलियन अमरीकी डालर बैठता है।

VI. विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी तथा आईडीए के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करता रहा है।

VI(क). अंतरराष्ट्रीय पुनर्निमाण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआर डी ऋण हालांकि गैर रियायती हैं, वाणिज्यिक संसाधनों हेतु अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर दिया जाता है। आईबीआरडी सॉवरेन ऋणों को मुख्यतया अवसंरचना परियोजनाओं और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों और गैर ऋण सेवाओं के जरिए सम्पोषणीय विकास को बढ़ावा देकर गरीबी कम करना है।

वर्तमान संवितरण ऋणों की संख्या 34 है। 951.50 मिलियन अमरीकी डालर की 4 नई परियोजनाएं 2015-16 में हस्ताक्षरित की गई थी, जो इस प्रकार हैं- 'पंजाब ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र सुधार परियोजना', 'तमिलनाडु संपोषणीय शहरी विकास परियोजना', तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना-II' और 'राष्ट्रीय जलमार्गों की प्रस्तावित क्षमता वर्धन की तैयार'।

आईबीआरडी की सहायता के जरिए चल रही कुछ परियोजनाएं हैं-राष्ट्रीय राजमार्ग आंतर संपर्कता सुधार परियोजना, जल क्षेत्र सुधार परियोजना, पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़क परियोजना। 2015-16 के दौरान आईबीआरडी ने संअ. 2015-16 के ₹6,085 करोड़ के मुकाबले ₹3,189.50 करोड़ का ऋण और ₹48 करोड़ अनुदान के रूप में संवितरित किए हैं। ब.अ. 2016-17 में ₹7,954 करोड़ का अनुमान है।

आईबीआरडी मुख्यतः विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू और पीएसबी को भी सॉवरेन गारंटी ऋण प्रदान करता है।

VI(ख). अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक की रियायती शाखा है और बैंक के गरीबी कम करने के मिशन को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आईडीए अपने सदस्य देशों को रियायती ऋण देता है। आईडीए से लिए गए ऋण की वापसी अदायगी इस समय 25 वर्ष है जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि शामिल है। आईडीए की निधियां मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाती हैं जो एमडीजी प्राप्त करने में योगदान करती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, द्वितीय तकनीकी/इंजीनियरिंग शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना, माध्यमिक शिक्षा परियोजना और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना जैसे भारत के फ्लैगशिप विकास कार्यक्रमों को आईडीए ऋणों जो अधिकांश एसडीआर में होता है किन्तु अमरीकी डालर में संवितरित और पुनः अदा किया जाता है, द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

वर्तमान संवितरण ऋणों की संख्या 58 है। 67.30 मिलियन एसडीआर और 883.4 मिलियन अमरीकी डालर के 5 नए करार भारत और आईडीए के बीच 2015-16 में हस्ताक्षरित किए गए थे जो इस प्रकार हैं-'राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना; आंध्र प्रदेश समावेशी विकास परियोजना; 'इंहैंसिंग टीचर इफेक्टीवनेस इन बिहार आपरेशन; 'राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना-' और 'आंध्र प्रदेश आपदा रिकवरी परियोजना'।

आईडीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ मुख्य परियोजनाएं इस प्रकार हैं-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, तृतीय प्राथमिक शिक्षा परियोजना, उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना। आईडीए द्वारा 2015-16 में संअ. 2015-16 के ₹9,136 करोड़ के मुकाबले ₹5,802 करोड़ का संवितरण किया गया है। बअ 2016-17 का अनुमान ₹9,878 करोड़ है।

अनुबन्ध-10

बजट अनुमान 2016-2017 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	जोड़ (4 से 9)	हिस्सा (प्रतिशत)*	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (10+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	7729.34	5990.02	-0.23	3851.29	3077.09	-0.01	20647.50	4.398	3989.86	**24637.36**
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	2459.74	1906.23	-0.07	1225.62	979.24	0.00	6570.76	1.431	1298.20	**7868.96**
3.	असम	3.311	5944.68	4606.96	-0.18	2962.05	2366.60	-0.01	15880.10	3.371	3058.17	**18938.27**
4.	बिहार	9.665	17352.86	13447.97	-0.53	8646.40	6908.25	-0.01	46354.94	9.787	8878.77	**55233.71**
5.	छत्तीसगढ़	3.080	5529.93	4285.54	-0.17	2755.40	2201.49	0.00	14772.19	3.166	2872.19	**17644.38**
6.	गोवा	0.378	678.67	525.95	-0.02	338.16	270.18	0.00	1812.94	0.379	343.83	**2156.77**
7.	गुजरात	3.084	5537.12	4291.11	-0.17	2758.98	2204.35	0.00	14791.39	3.172	2877.64	**17669.03**
9.	हरियाणा	1.084	1946.25	1508.29	-0.06	969.76	774.81	0.00	5199.05	1.091	989.75	**6188.80**
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1280.14	992.08	-0.04	637.86	509.63	0.00	3419.67	0.722	655.00	**4074.67**
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	3328.73	2579.67	-0.10	1658.61	1325.18	0.00	8892.09	0.000	0.00	**8892.09**
11.	झारखंड	3.139	5635.87	4367.63	-0.17	2808.18	2243.66	-0.01	15055.16	3.198	2901.22	**17956.38**
12.	कर्नाटक	4.713	8461.88	6557.71	-0.26	4216.29	3368.71	-0.01	22604.32	4.822	4374.52	**26978.84**
13.	केरल	2.500	4488.58	3478.52	-0.14	2236.52	1786.93	0.00	11990.41	2.526	2291.59	**14282.00**
14.	मध्य प्रदेश	7.548	13551.93	10502.36	-0.41	6752.51	5395.08	-0.01	36201.46	7.727	7009.93	**43211.39**
15.	महाराष्ट्र	5.521	9912.59	7681.97	-0.30	4939.14	3946.25	-0.01	26479.64	5.674	5147.45	**31627.09**
16.	मणिपुर	0.617	1107.78	858.50	-0.03	551.97	441.01	0.00	2959.23	0.623	565.19	**3524.42**
17.	मेघालय	0.642	1152.67	893.28	-0.03	574.34	458.88	0.00	3079.14	0.650	589.68	**3668.82**
18.	मिजोरम	0.460	825.90	640.05	-0.03	411.52	328.79	0.00	2206.23	0.464	420.94	**2627.17**
19.	नागालैण्ड	0.498	894.13	692.92	-0.03	445.52	355.96	0.00	2388.50	0.503	456.32	**2844.82**
20.	ओडिशा	4.642	8334.40	6458.92	-0.25	4152.78	3317.96	-0.01	22263.80	4.744	4303.76	**26567.56**
21.	पंजाब	1.577	2831.40	2194.25	-0.09	1410.80	1127.19	0.00	7563.55	1.589	1441.54	**9005.09**
22.	राजस्थान	5.495	9865.91	7645.79	-0.30	4915.88	3927.66	-0.01	26354.93	5.647	5122.96	**31477.89**
23.	सिक्किम	0.367	658.92	510.65	-0.02	328.32	262.32	0.00	1760.19	0.369	334.76	**2094.95**
24.	तमिलनाडु	4.023	7223.03	5597.64	-0.22	3599.01	2875.52	-0.01	19294.97	4.104	3723.15	**23018.12**
25.	तेलंगाना	2.437	4375.47	3390.86	-0.13	2180.16	1741.90	0.00	11688.26	2.499	2267.09	**13955.35**
26.	त्रिपुरा	0.642	1152.67	893.28	-0.03	574.34	458.88	0.00	3079.14	0.648	587.87	**3667.01**
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	32244.19	24988.32	-0.98	16066.29	12836.55	-0.04	86134.33	18.205	16515.58	**102649.91**
28.	उत्तराखंड	1.052	1888.80	1463.76	-0.06	941.13	751.94	0.00	5045.57	1.068	968.89	**6014.46**
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	13149.75	10190.68	-0.40	6552.12	5234.98	-0.01	35127.12	7.423	6734.15	**41861.27**
	जोड़	**100.00**	**179543.33**	**139140.91**	**-5.45**	**89460.95**	**71476.99**	**-0.15**	**479616.58**	**100.00**	**90720.00**	**570336.58**

***** *चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।*

@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

संशोधित अनुमान 2015-2016 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	जोड़ (4 से 9)	हिस्सा (प्रतिशत)*	सेवा कर (0044)	जोड़ (10+12)	सं.अ. 2015-16 में देय 2014-15 (वास्तविक सं.अ.) का अंतर	कुल जोड़ (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	7088.80	5046.14	-0.21	3508.82	2804.39	-0.01	18447.93	4.398	3788.16	**22236.09**	-342.30	**21893.79**
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	2255.90	1605.86	-0.07	1116.63	892.45	0.00	5870.77	1.431	1232.57	**7103.34**	-27.76	**7075.58**
3.	असम	3.311	5452.04	3881.02	-0.16	2698.65	2156.87	-0.01	14188.41	3.371	2903.56	**17091.97**	-307.09	**16784.88**
4.	बिहार	9.665	15914.81	11328.91	-0.47	7877.53	6296.03	-0.01	41416.80	9.787	8429.90	**49846.70**	-924.02	**48922.68**
5.	छत्तीसगढ़	3.080	5071.66	3610.25	-0.15	2510.38	2006.39	0.00	13198.53	3.166	2726.99	**15925.52**	-209.05	**15716.47**
6.	गोवा	0.378	622.43	443.08	-0.02	308.09	246.24	0.00	1619.82	0.379	326.45	**1946.27**	-22.51	**1923.76**
7.	गुजरात	3.084	5078.25	3614.94	-0.15	2513.64	2009.00	0.00	13215.68	3.172	2732.16	**15947.84**	-257.41	**15690.43**
8.	हरियाणा	1.084	1784.96	1270.62	-0.05	883.52	706.15	0.00	4645.20	1.091	939.72	**5584.92**	-88.70	**5496.22**
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1174.06	835.75	-0.03	581.14	464.47	0.00	3055.39	0.722	621.88	**3677.27**	-66.10	**3611.17**
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	3052.88	2173.18	-0.09	1511.12	1207.74	0.00	7944.83	0.000	0.00	**7944.83**	-131.35	**7813.48**
11.	झारखंड	3.139	5168.81	3679.41	-0.15	2558.46	2044.83	-0.01	13451.35	3.198	2754.55	**16205.90**	-237.15	**15968.75**
12.	कर्नाटक	4.713	7760.63	5524.38	-0.23	3841.36	3070.17	-0.01	20196.30	4.822	4153.36	**24349.66**	-366.32	**23983.34**
13.	केरल	2.500	4116.61	2930.40	-0.12	2037.64	1628.56	0.00	10713.09	2.526	2175.74	**12888.83**	-198.16	**12690.67**
14.	मध्य प्रदेश	7.548	12428.86	8847.45	-0.37	6152.05	4916.96	-0.01	32344.94	7.727	6655.54	**39000.48**	-602.64	**38397.84**
15.	महाराष्ट्र	5.521	9091.12	6471.49	-0.27	4499.93	3596.52	-0.01	23658.78	5.674	4887.22	**28546.00**	-440.05	**28105.95**
16.	मणिपुर	0.617	1015.98	723.22	-0.03	502.89	401.93	0.00	2643.99	0.623	536.61	**3180.60**	-38.18	**3142.42**
17.	मेघालय	0.642	1057.14	752.53	-0.03	523.27	418.22	0.00	2751.13	0.650	559.87	**3311.00**	-34.54	**3276.46**
18.	मिजोरम	0.460	757.46	539.19	-0.02	374.93	299.66	0.00	1971.22	0.464	399.66	**2370.88**	-22.77	**2348.11**
19.	नागालैण्ड	0.498	820.03	583.73	-0.02	405.90	324.41	0.00	2134.05	0.503	433.25	**2567.30**	-26.58	**2540.72**
20.	ओडिशा	4.642	7643.72	5441.16	-0.22	3783.50	3023.92	-0.01	19892.07	4.744	4086.18	**23978.25**	-404.50	**23573.75**
21.	पंजाब	1.577	2596.76	1848.49	-0.08	1285.34	1027.30	0.00	6757.81	1.589	1368.66	**8126.47**	-117.57	**8008.90**
22.	राजस्थान	5.495	9048.31	6441.01	-0.27	4478.74	3579.59	-0.01	23547.37	5.647	4863.96	**28411.33**	-495.40	**27915.93**
23.	सिक्किम	0.367	604.32	430.18	-0.02	299.13	239.07	0.00	1572.68	0.369	317.83	**1890.51**	-20.23	**1870.28**
24.	तमिलनाडु	4.023	6624.45	4715.59	-0.19	3278.98	2620.69	-0.01	17239.51	4.104	3534.92	**20774.43**	-420.57	**20353.86**
25.	तेलंगाना	2.437	4012.87	2856.55	-0.12	1986.29	1587.53	0.00	10443.12	2.499	2152.48	**12595.60**	-244.88	**12350.72**
26	त्रिपुरा	0.642	1057.14	752.53	-0.03	523.27	418.22	0.00	2751.13	0.648	558.15	**3309.28**	-43.26	**3266.02**
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	29572.07	21050.79	-0.87	14637.61	11698.96	-0.02	76958.54	18.205	15680.62	**92639.16**	-1665.50	**90973.66**
28.	उत्तराखंड	1.052	1732.27	1233.11	-0.05	857.44	685.30	0.00	4508.07	1.068	919.91	**5427.98**	-94.79	**5333.19**
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	12060.02	8584.89	-0.35	5969.48	4771.04	-0.01	31385.07	7.423	6393.70	**37778.77**	-614.84	**37163.93**
	जोड़	**100.00**	**164664.36**	**117215.85**	**-4.84**	**81505.73**	**65142.61**	**-0.13**	**428523.58**	**100.00**	**86133.60**	**514657.18**	**-8464.22**	**506192.96**

* *चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।*

@ *आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।*

अनुबन्ध-10 ख

वास्तविक 2014-2015 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	व्यय कर (0028)	जोड़ (4 से 10)	हिस्सा (प्रतिशत)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (11+13)	सं.अ. 2014-15 के अनुसार राज्यों के हिस्से की सुपुर्दगी	सं.अ. 2015-16 में देय 2014-15 (वास्तविक सं.अ) का अंतर (14-15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.044	4750.57	3129.93	13.92	2243.38	1465.64	15.05	0.14	11618.63	4.108	2146.00	**13764.63**	14106.93	-342.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.328	385.31	253.86	1.13	181.96	118.88	1.22	0.01	942.37	0.332	173.43	**1115.80**	1143.56	-27.76
3.	असम	3.628	4261.88	2807.96	12.49	2012.61	1314.87	13.51	0.13	10423.45	3.685	1925.02	**12348.47**	12655.56	-307.09
4.	बिहार	10.917	12824.42	8449.43	37.59	6056.13	3956.58	40.64	0.38	31365.17	11.089	5792.84	**37158.01**	38082.03	-924.02
5.	छत्तीसगढ़	2.470	2901.56	1911.71	8.50	1370.21	895.19	9.20	0.09	7096.46	2.509	1310.69	**8407.15**	8616.20	-209.05
6.	गोवा	0.266	312.47	205.88	0.92	147.56	96.41	0.99	0.01	764.24	0.270	141.05	**905.29**	927.80	-22.51
7.	गुजरात	3.041	3572.32	2353.64	10.47	1686.97	1102.13	11.32	0.11	8736.96	3.089	1613.68	**10350.64**	10608.05	-257.41
8.	हरियाणा	1.048	1231.11	811.12	3.61	581.37	379.82	3.90	0.04	3010.97	1.064	555.83	**3566.80**	3655.50	-88.70
9.	हिमाचल प्रदेश	0.781	917.46	604.47	2.69	433.25	283.05	2.91	0.03	2243.86	0.793	414.26	**2658.12**	2724.22	-66.10
10.	जम्मू और कश्मीर	1.551	1821.99	1200.43	5.34	860.41	562.12	5.77	0.05	4456.11	0.000	0.00	**4456.11**	4587.46	-131.35
11.	झारखंड	2.802	3291.57	2168.66	9.65	1554.39	1015.51	10.43	0.10	8050.31	2.846	1486.74	**9537.05**	9774.20	-237.15
12.	कर्नाटक	4.328	5084.19	3349.74	14.90	2400.93	1568.57	16.11	0.15	12434.59	4.397	2296.97	**14731.56**	15097.88	-366.32
13.	केरल	2.341	2750.02	1811.86	8.06	1298.65	848.43	8.72	0.08	6725.82	2.378	1242.25	**7968.07**	8166.23	-198.16
14.	मध्य प्रदेश	7.120	8364.01	5510.66	24.52	3949.77	2580.46	26.51	0.25	20456.18	7.232	3777.96	**24234.14**	24836.78	-602.64
15.	महाराष्ट्र	5.199	6107.37	4023.87	17.90	2884.11	1884.24	19.35	0.18	14937.02	5.281	2758.77	**17695.79**	18135.84	-440.05
16.	मणिपुर	0.451	529.80	349.06	1.55	250.19	163.45	1.68	0.01	1295.74	0.458	239.26	**1535.00**	1573.18	-38.18
17.	मेघालय	0.408	479.28	315.78	1.41	226.33	147.87	1.52	0.01	1172.20	0.415	216.79	**1388.99**	1423.53	-34.54
18.	मिजोरम	0.269	316.00	208.20	0.93	149.23	97.49	1.00	0.01	772.86	0.273	142.61	**915.47**	938.24	-22.77
19.	नागालैण्ड	0.314	368.86	243.03	1.08	174.19	113.80	1.17	0.01	902.14	0.318	166.12	**1068.26**	1094.84	-26.58
20.	ओडिशा	4.779	5613.99	3698.80	16.45	2651.11	1732.02	17.79	0.17	13730.33	4.855	2536.23	**16266.56**	16671.06	-404.50
21.	पंजाब	1.389	1631.69	1075.04	4.78	770.54	503.41	5.17	0.05	3990.68	1.411	737.10	**4727.78**	4845.35	-117.57
22.	राजस्थान	5.853	6875.64	4530.04	20.15	3246.91	2121.27	21.79	0.20	16816.00	5.945	3105.64	**19921.64**	20417.04	-495.40
23.	सिक्किम	0.239	280.76	184.98	0.82	132.58	86.62	0.89	0.01	686.66	0.243	126.94	**813.60**	833.83	-20.23
24.	तमिलनाडु	4.969	5837.18	3845.86	17.11	2756.52	1800.88	18.50	0.17	14276.22	5.047	2636.53	**16912.75**	17333.32	-420.57
25.	तेलंगाना	2.893	3398.46	2239.09	9.96	1604.87	1048.49	10.77	0.10	8311.74	2.939	1535.32	**9847.06**	10091.94	-244.88
26.	त्रिपुरा	0.511	600.28	395.50	1.76	283.47	185.20	1.90	0.02	1468.13	0.519	271.12	**1739.25**	1782.51	-43.26
27.	उत्तर प्रदेश	19.677	23114.97	15229.40	67.75	10915.67	7131.41	73.25	0.68	56533.13	19.987	10441.11	**66974.24**	68639.74	-1665.50
28.	उत्तराखंड	1.120	1315.69	866.85	3.86	621.31	405.92	4.17	0.04	3217.84	1.138	594.48	**3812.32**	3907.11	-94.79
29.	पश्चिम बंगाल	7.264	8533.17	5622.12	25.01	4029.65	2632.65	27.04	0.25	20869.89	7.379	3854.75	**24724.64**	25339.48	-614.84
	जोड़	**100.00**	**117472.02**	**77396.97**	**344.31**	**55474.27**	**36242.38**	**372.27**	**3.48**	**287305.70**	**100.00**	**52239.49**	**339545.19**	**348009.41**	**-8464.22**

***** *तेरहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 32% निश्चित किया गया है।*

@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

अनुबन्ध - 11

जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)

(एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्ट वर्ष 2014-15, के अंत की स्थिति के अनुसार)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादास्पद राशियां (करोड़ रुपए)					विवादरहित राशियां (करोड़ रुपए)					कुल जोड़
		1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	**जोड़**	1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	**जोड़**	
	आय एवं व्यय पर कर	**206611.00**	**252105.00**	**21251.00**	**17879.00**	**497846.00**	**39249.00**	**18797.00**	**5478.00**	**3033.00**	**66557.00**	**564403.00**
0020	निगम कर	144001.00	64570.00	11026.00	1334.00	220931.00	25111.00	11590.00	3899.00	2143.00	42743.00	263674.00
0021	निगम कर को छोड़कर आय पर कर	62610.00	187535.00	10225.00	16545.00	276915.00	14138.00	7207.00	1579.00	890.00	23814.00	300729.00
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	**35626.46**	**60475.54**	**17710.49**	**3298.01**	**117110.50**	**2914.15**	**4215.41**	**5600.42**	**6517.99**	**19247.97**	**136358.47**
0037	सीमा शुल्क	2782.42	5552.16	2144.67	357.81	10837.06	580.82	1344.56	1657.62	1125.98	4708.98	15546.04
0038	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	11454.50	19189.36	7812.60	2796.82	41253.28	1162.23	1856.66	3128.01	4105.07	10251.97	51505.25
0044	सेवा कर	21389.54	35734.02	7753.22	143.38	65020.16	1171.10	1014.19	814.79	1286.94	4287.02	69307.18
	जोड़	**242237.46**	**312580.54**	**38961.49**	**21177.01**	**614956.50**	**42163.15**	**23012.41**	**11078.42**	**9550.99**	**85804.97**	**700761.47**

अनुबन्ध - 12

कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि

(एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्ट वर्ष 2014-15 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए)

विवरण	लंबित धनराशि					जोड़
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	
राजकोषीय सेवाएं	**1380.99**	**1219.70**	**1263.35**	**1986.59**	**29331.55**	**35182.17**
ब्याज प्राप्तियां	**1339.87**	**1219.70**	**1263.35**	**1986.59**	**29331.55**	**35141.05**
जिसमें						
राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से	121.75	8.43	8.52	30.87	1007.60	1177.17
रेलवे से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से	0.34	0.34	0.34	0.14	3.15	4.30
सरकारी क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से	1217.78	1210.93	1254.49	1955.58	28320.80	33959.58
लाभांश एवं लाभ	**41.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.12**
सामान्य सेवाएं	**5568.22**	**3752.88**	**3117.82**	**4101.08**	**3020.22**	**19560.22**
पुलिस प्राप्तियां	5568.22	3752.88	3117.82	4101.08	3020.22	19560.22
आर्थिक सेवाएं	**3598.15**	**7822.82**	**4337.97**	**276.08**	**209.90**	**16244.92**
पेट्रोलियम उपकर/रायल्टी	25.69	9.33	3.34	1.58	1.68	41.62
संचार (लाइसेंस शुल्क) प्राप्तियां	3572.46	7813.49	4334.63	274.50	208.22	16203.30
अन्य प्राप्तियां	**5646.58**	**7207.63**	**13226.43**	**622.99**	**10270.53**	**36974.16**
जोड़	**16193.93**	**20003.03**	**21945.57**	**6986.74**	**42832.20**	**107961.47**

टिप्पणी:

1. ये आंकड़े संबंधित मंत्रालयों की रिपोर्टों से संकलित हैं, विभाग किसी चालू संराधन/परिसमापन/विवादों के परिणामों और आंकड़ों के संग्रहण संबंधी सुधारों से प्रभावित हो सकते हैं।

अनुबंध 13

2016-17 के दौरान देय बाजार ऋण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	ऋण का नाम	परिपक्वता की तारीख		राशि
	बाजार ऋण			
1	7.59% सरकारी स्टॉक, 2015	12.04.2016		50462.81
2	10.71% सरकारी ऋण, 2015	19.04.2016		8464.95
3	भारत सरकार परिवर्तनीय दर बॉण्ड, 2016	07.05.2016		6000.00
4	5.59% सरकारी स्टॉक, 2015	04.06.2016		6000.00
5	12.30% सरकारी ऋण 2016	02.07.2016		13129.85
6	7.08% सरकारी स्टॉक, 2016	17.08.2016		38093.26
7	8.07% सरकारी स्टॉक, 2017	15.01.2017		69000.00
8	**कुल पुनर्भुगतान**			**191150.87**
	घटाइए 2016-17 के बकाया स्टॉक से प्रतिभूतियों में अंतरित करने हेतु 2015-16 में प्रवधान			*17821.02*
9	2016-17 में की जाने वाली अदायगियां (8-9)			**173329.85**
10	2015-16 में 2016-17 के बाद बकाया स्टॉक से अंतरण के लिए प्रावधान		*18500.00*	
11	2016-17 में सरकारी स्टॉक से अंतरण/वापसी खरीद के लिए प्रावधान			
	(i) **बकाया स्टॉक से प्रतिभूतियां**		-75000.00	
	(ii) **अधिक अवधि के लिए प्रतिभूतियां**		75000.00	

अनुबंध ***14***

रेल : प्रारक्षित निधियां

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2014-15	बजट 2014-15	संशोधित 2015-16	बजट 2016-17
रेल पेंशन निधि				
जमा	29714.85	35345.91	34947.21	42971.50
नामे	28730.47	33220.00	33220.00	45500.00
निवल	984.38	2125.91	1727.21	-2528.50
रेल अवमूल्यन प्रारक्षित निधि				
जमा	8043.24	8199.12	5739.08	3413.45
नामे	7286.93	7500.00	7300.00	3160.00
निवल	756.31	699.12	-1560.92	253.45
रेल विकास निधि				
जमा	1571.18	5951.03	1416.59	2545.98
नामे	2611.07	4000.00	3045.36	2515.00
निवल	-1039.89	1951.03	-1628.77	30.98
रेल पूंजी निधि				
जमा	6280.83	7701.97	6348.55	5782.77
नामे	5449.24	6293.00	6293.00	7000.00
निवल	831.59	1408.97	55.55	-1217.23
रेल ऋण प्रारक्षित निधि				
जमा	0.00	934.16	3870.85	322.91
नामे	0.00	0.00	0.00	3000.00
निवल	0.00	934.16	3870.85	-2677.09
रेल सुरक्षा निधि				
जमा	1498.61	1648.21	2510.21	10782.61
नामे	2206.44	1645.60	2506.40	10739.26
निवल	-707.83	2.61	3.81	43.35
जोड़	**824.56**	**7121.80**	**2467.73**	**-6095.04**

केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के संबंध में विवरण

वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16

किसी भी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य, सरकारी खर्चों को वित्तपोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि मुख्यतः सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर होती है। इन दो कारकों का पता विभिन्न उपायों- विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थगनों और क्रेडिटों से चलता है। इन उपायों को समेकिंत रूप से कर कर प्रोत्साहन या "कर वरीयता" कहा जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर प्रभाव होता है और ये सरकार की महत्वपूर्ण नीति को परिलक्षित करते हैं।

कर नीति विशेष कर प्रोत्साहनों का प्रावधान करती है जिससे कर वरीयता में बढ़ोतरी होती है। इन कर वरीयता परक उपायों का राजस्व पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है तथा इन्हें वरीयता परक करदाताओं को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में देखा जा सकता है। इन्हें 'कर व्यय' भी कहा जाता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि कर नीति न केवल कारगर बल्कि पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कार्यक्रम आयोजना जिसमें राजस्व पर प्रभाव डालने वाले प्रोत्साहनों का प्रयोग करके विशिष्ट नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करना अपेक्षित होता है, उसे सुस्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए और बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे अप्रत्यक्ष परिव्ययों (या राजस्व प्रभाव) को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। राजस्व पर किसी भी रुप में प्रभाव डालने वाले कर प्रोत्साहन अपने आप में कर संविधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

यह वर्तमान विवरण केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का एक विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों के ऐसे राजस्व प्रभाव को पहली-बार संसद के समक्ष बजट 2006-07 के दौरान प्राप्ति बजट 2006-07 के अनुबंध-12 के रूप में परित्यक्त राजस्व का विवरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया और इससे राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा सम्भव हो पायी। इससे सरकार की कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के इरादे पर भी विश्वसनीयता की मुहर लगी। इस विवरण के दूसरे संस्करण को बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबन्ध-12 के माध्यम से तथा "परित्यक्त राजस्व का विवरण" नामक एक पृथक बजट प्रलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसे बजट 2008-09, से 2014-15 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 2015-16 तथा वर्तमान वर्ष में इसे "केन्द्रीय कर सिस्टम के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण" के रुप में अधिक उपयुक्त रुप से परिभाषित किया गया है क्योंकि जोकि वास्तविक रुप में विश्लेषित किया जा रहा है, राजस्व प्रभाव है।

पहले की भांति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा है। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण राजस्व प्रभाव का अनुमान अधिकांश "कर अधिमानताओं" के संबंध में किया गया है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए है और यही सब से हाल का वर्ष है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी, वित्तीय वर्ष 2014-15 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए एक प्रयास किया गया है।

कर व्ययों का अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किया गया हैः

(क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व प्राप्तियों को दर्शाना है जो छूटों, कटौतियों, भारित कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटा कर उगाहे जा सकेंगे। ये अनुमान अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये जाते हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। जिस सीमा तक आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर वरीयता के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है उसी सीमा तक राजस्व फलितार्थ भिन्न हो सकते हैं।

(ख) प्रत्येक कर रियायत के प्रभाव का निर्धारण, यह मानते हुए कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेगें, पृथक रूप से किया जाता है । तथापि अनेक कर रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अतः, कर प्रोत्साहनों की अन्योन्य क्रिया मिश्रित प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकलित राजस्व प्रभाव से भिन्न हो सकता है।

हालांकि राजस्व प्रभाव की मात्रा को कर व्यय के संदर्भ में बताया गया है किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राजस्व की इस मात्रा को सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है। इसके बजाय इन्हें कतिपय क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु लक्षित व्यय के रुप में देखा जा सकता है। कुछेक मामलों में कर व्यय के माध्यम से ऐसी अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप ऐसे प्रोत्साहनों के न मिलने पर संभवतः नहीं हो पाते या इतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाते। विभिन्न कर प्रोत्साहनों की कारण कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस विवरण के संबंधित भाग में किया गया है।

प्रत्यक्ष कर

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातों; संतुलित क्षेत्रीय विकास; आधारभूत ढांचागत सुविधाओं की स्थापना; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; तथा सहकारी क्षेत्र तथा व्यक्तियों द्वारा बचत और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में, त्वरित मूल्यह्रास की भी व्यवस्था की जाती

है। इन कर लाभों में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में उपर्युक्त क्षेत्रों नामतः (क) कंपनियां; (ख) फर्मों, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय आदि तथा; (ग) व्यष्टियों एवं अविभाजित हिन्दू परिवारों के लिए पृथक रुप से कर प्रोत्साहनों का राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। धर्मार्थ या सामाजिक प्रयोजन की गतिविधियों में संलिप्त संस्थाओं का ब्यौरा भी भाग (घ) में दिया गया है। शीर्ष जिनके अंतर्गत राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है, वे मोटे तौर पर कंपनियों एवं फर्मों आदि दोनों के लिए समान हैं। तथापि, व्यष्टियों के मामले में, कतिपय अन्य शीर्षों को भी सम्मिलित किया गया है क्योंकि ये उनसे ही संबंधित है। कॉरपोरेट क्षेत्र हेतु विवरण अलग-अलग लाभ के स्लैबों में कंपनियों हेतु प्रभावी कर दरों के फैलाव का भी विश्लेषण करते हैं। प्रभावी कर दरों का क्षेत्रवार विश्लेषण करने का भी प्रयास किया गया है।

क. कारपोरेट सेक्टर

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2014-15 (अर्थात कर निर्धारण वर्ष 2015-16) के लिए 30 नवम्बर, 2015 तक 582,889 कम्पनियों से इलेक्ट्रोनिक रूप में प्रस्तुत आयकर विवरणियां प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक कंपनी द्वारा अपनी विवरणी इलैक्ट्रौनिक माध्यम से दाखिल करना अपेक्षित होता है। ये विवरणियां वित्त वर्ष 2015-16 में अनुमानित की गई कुल कंपनी विवरणियों का लगभग 90% बैठती हैं । प्राप्त सूचना के आधार पर इन कम्पनियों से वित्त वर्ष 2014-15 में उनकी आय पर 2,98,2005 करोड़ रूपए (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित) का कम्पनी कर देय है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान लाभांश वितरण कर के रूप में 32,262.95 करोड़ रूपए संदेय है।

कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए इन 5,82,889 कम्पनियों[1] के आंकड़ों को विश्लेषण हेतु डाटाबेस से हटा दिया गया था तथा इनका ब्यौरा इस विवरण के परिशिष्ट तथा सारणी 1 से 5 तक में दिया गया है। **सारणी-1** में इन कम्पनियों के मुनाफों की सीमाओं की जानकारी दी गई है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आएं हैः

- 310730 कम्पनियों (53.31 प्रतिशत) ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कर देने से पहले 9,29,941 करोड़ रूपये का लाभ तथा 1208,658 करोड़ रूपये की कुल आय (कर योग्य आय)[2] की जानकारी दी है।
- 2,54,079 कम्पनियों (43.59 प्रतिशत) ने 1,76,006 करोड़ रूपये के नुकसान होने की सूचना दी है।
- 18080 कम्पनियों (3.10 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की जानकारी दी है।

इन **सम्पूर्ण नमूना आंकड़ों की प्रभावी कर दर[3] 24.67 प्रतिशत[4] थी** (जबकि 2013-14 में यह दर 23. 22 प्रतिशत सूचित की गई थी) जबकि सांविधिक कर दर 10 करोड़ तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 32.445 प्रतिशत तथा 10 करोड़ रू. से अधिक आय वाली कंपनियों के मामले में 33.99 प्रतिशत थी जिसके फलस्वरुप औसत सांविधिक दर 33.84[5] प्रतिशत[5] थी। कम्पनियां, जिनका कर से पहले लाभ (जिसे इसके बाद पीबीटी के रूप में कहा जाएगा), 500 करोड़ रूपये तथा इससे अधिक था, का कुल पीबीटी में 60.63 प्रतिशत हिस्सा था तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला कुल कम्पनी आयकर 56.21 प्रतिशत था। तथापि, उनकी प्रभावी कर दर 22.88 प्रतिशत थी, जबकि उन कम्पनियों जिनकी पीबीटी एक करोड़ रूपए तक था, की प्रभावी कर दर 29.37 प्रतिशत थी। छोटी कंपनियों हेतु प्रभावी कर की यह दर 29.37 है जो कम्पनियों में सांविधिक दर के निकट है वह लाभ संबद्ध कटौतियों के धीरे-2 कम होने तथा कम्पनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक दर की उगाही कर परिणाम है। 24.67 प्रतिशत के संपूर्ण नमूने की प्रभावी दर हालांकि वित्त वर्ष 2013-14 की प्रभावी दर 23.22 प्रतिशत से आंशिक रुप से अधिक है। ऐसा विभिन्न लाभ जुड़ी कटौतियों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने तथा कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने के कारण है।

एक करोड़ रुपये तक कर पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों के बारे में कर पूर्व लाभ की कुल आय का अनुपात कुल सैम्पल (76.94 प्रतिशत) के मुकाबले काफी अधिक (95.39 प्रतिशत) है। यह छोटी कंपनियों के लिए काफी उच्चतर 29.37 प्रतिशत की औसत प्रभावी कर दर से भी प्रदर्शित होता है। बड़ी कम्पनियों की तुलना में अपेक्षतया छोटी कम्पनियों के मामले में करों से पहले मुनाफों का यह कम अन्तर प्रदर्शित करता है जो बड़ी कम्पनियों को उपलब्ध कराई जा रही उच्च कर रियायतों के कारण है।

---

[1] *वित्त वर्ष 2013-14 के लिए नमूना आकार 564787 था।*

[2] *आयकर विवरणी में 'कुल आय' कराधेय आय को निरूपित करती है जैसा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ निकाला जाएगा।*

[3] *कम्पनियों के मामले में प्रभावी कर दर, करों से पूर्व (पीबीटी) कुल लाभों को संदत्त कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर व अनुषंगी लाभकर शामिल नहीं है।) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।*

[4] *लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 27.34 प्रतिशत थी।*

[5] *10 करोड़ तक की आयवाली कंपनियों के मामले में 32.445 प्रतिशत की कर दर तथा 10 करोड़ रु. से अधिक आयवाली कंपनियों के मामले में 33.99 प्रतिशत की कर दर का औसत निकास कर औसत सांविधिक कर पर निकाली गई है।*

सारणी 1: करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली सैम्पल कम्पनियों की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2013-14) (सैम्पल आकार-582889)

क्रम सं.	करों से पूर्व लाभ	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (% में)	करों से पूर्व लाभ के अनुपात में कुल आय का प्रतिशत (% में)	प्रभावी कर दर (% में) (लाभ के अनुपात में कर)
1	शून्य से कम	2,54,079	0.00	0.58	0.47		
2	शून्य	18,080	0.00	6.54	2.81		
3	0-1 करोड़ रूपए	2,76,531	2.73	3.38	3.25	95.39	29.37
4	1-10 करोड़ रूपए	26,983	6.76	7.54	7.40	85.44	26.99
5	10-50 करोड़ रूपए	5,130	9.17	9.08	9.48	76.26	25.52
6	50-100 करोड़ रूपए	894	5.16	5.01	5.26	74.83	25.14
7	100-500 करोड़ रूपए	895	15.55	14.56	15.12	72	23.97
8	500 करोड़ रूपए से अधिक	297	60.63	53.31	56.21	67.66	22.88
9	सभी कंपनियां	**582889**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**76.94**	**24.67**

सारणी 2 में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूप रेखा दी गयी है। इस बात पर गौर किया गया कि 20 प्रतिशत तक की औसत प्रभावी दर वाली 3,37,053 कम्पनियों का हिस्सा कर-पूर्व कुल लाभ का 36.49 प्रतिशत तथा कुल कर योग्य आय का 14.59 प्रतिशत और कुल संदत्त कर का 13.73 प्रतिशत बैठता था। दूसरे शब्दों में अधिकांश कम्पनियों (3,37,053) अर्थात कुल कम्पनियों के 57.82 प्रतिशत हिस्से ने अपने लाभों की तुलना में कर की काफी कम राशि का योगदान दिया। आश्चर्य की बात है किन्तु कुल लाभ का 6.52 प्रतिशत तथा कुल करों का 13. 89 प्रतिशत वाली 52,899 कम्पनियों की प्रभावी कर दर 33.84 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के लगभग बराबर थी । यह कम्पनियों में कर देयता के असमान वितरण को दर्शाता है। यह मुख्यतः संविधान में विभिन्न कर तरजीहों के कारण हैं।

सारणी 2 : नमूना कम्पनियों की प्रभावी कर-दर* की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2014-15) (नमूना आकार-582889)

क्रम सं.	प्रभावी कर दर (% में)	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)
1	शून्य से कम तथा शून्य	**3,06,990**	**10.11**	**0.63**	**0.49**
2	0-20	30,063	26.38	13.96	13.24
3	20-25	15,088	10.82	10.45	10.26
4	25-30	23,835	13.47	15.59	15.66
5	30-33.	1,35,934	32.70	45.80	46.46
6	<33.	52,899	6.52	13.56	13.89
7	अनिर्धारित (पीबीटी=0))	18,080	0.00	0.00	0.0
	कुल	**582889**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

* प्रभावी कर दर में अधिभार तथा शिक्षा उपकर शामिल है।

सारणी 3 में सरकारी कम्पनियों (केवल पीएसयू) की प्रभावी कर दर की तुलना निजी कम्पनियों से की गयी है। हालांकि दोनों श्रेणियों की दर सांविधिक दर के मुकाबले कम है, फिर भी निजी क्षेत्र की कम्पनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की तुलना में अपने मुनाफे की बहुत बड़ी राशि कर के रूप में देती हैं।

सारणी 3 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर* (वित्त वर्ष 2014-15) (नमूना आकार-582889)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	सार्वजनिक	218#	21.37	20.23	25.03
2	निजी	582671	78.63	79.77	23.36
	योग	**582889**	**100.00**	**100.00**	**24.67**

** प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।*

 # कर-निर्धारिती कम्पनियों (पीएसयू) द्वारा उनकी विवरणियों में दी गई सूचना पर आधारित।

सारणी 4 में सैम्पल कम्पनियों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र की प्रभावी कर दरों के मध्य में तुलना दर्शायी गई है। विनिर्माण क्षेत्र की प्रभावी दर (22.06 प्रतिशत) सेवा क्षेत्र की उच्च प्रभावी कर दर 26.73 प्रतिशत की तुलना में कम है । इन दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर 33. 84 प्रतिशत है जो कि औसत सांविधिक दर से काफी कम है।

सारणी 4 : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर* (वित्त वर्ष 2014-15) (नमूना आकार - 582889)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	1,28,095	44.05	39.38	22.06
2	सेवा	4,54,794	55.95	60.62	26.73
	योग	**5,82,889**	**100.00**	**100.00**	**24.67**

** प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।*

सारणी 5 वित्त वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान हुए कर व्यय के संबंध में कम्पनी करदाताओं पर प्रमुख कर व्ययों के ब्यौरे देती है। यह विश्लेषण 30 नवम्बर, 2015 तक दाखिल की गई कम्पनी विवरणियों पर आधारित है जो वित्त वर्ष 2015-16 में अपेक्षित विवरणियों का 90 प्रतिशत है। तथापि, कम्पनियों द्वारा विवरणी दाखिल करने की देय तिथि 30 नवम्बर या उससे पूर्व है तथा विश्लेषित अधिकांश कर रियायतों द्वारा ऐसे प्रोत्साहन के दावे के प्रयोजनार्थ विवरणी का देय तिथि से पूर्व दाखिल किया जाना अपेक्षित होता है। अतः नमूना आंकड़ों में कर व्यय में किसी भी प्रकार से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन कम्पनियों द्वारा उठाई गई प्रत्येक कर रियायत से होने वाले कर प्रभाव की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 33.84 प्रतिशत की औसत सांविधिक कारपोरेट कर की दर को लागू करके की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्रास वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती तथा जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन हेतु पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय के कारण हुए राजस्व प्रभाव की गणना, कम्पनियों के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास /कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य मूल्यहास/कटौती के अन्तर से की गई है। इसके पश्चात कर व्यय के आंकड़े पर आने के लिए इस अन्तर पर औसत कारपोरेट कर की 33.84 प्रतिशत की दर, लागू की गई है।

कर व्यय का एक और पहलू कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब होता है, जब कर दाता को कर सांविधि के अन्तर्गत उच्चतर कटौतियों की अनुमति दिए जाने के कारण, वह लघु अवधि के लिए कटौती के रूप में एक भत्ते (उदाहरण मूल्यह्रास भत्ता) का दावा करते हुए अपनी कर देयता को अस्थिगत कर सकता है, जहां वह उसी मूल्य ह्रास के दावे को अपने लेखे में कई वर्षों में दिखा रहा होता है। चूंकि मूल्य ह्रास से इस तरह रोकड़ प्राप्त नहीं होता, इसे कर आस्थगन कहते है। दूसरी ओर, कर सांविधि के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों पर लगने वाला न्यूनतम वैकल्पिक कर, कम्पनी द्वारा अपने शेयर धारकों को दिए गए लाभ (कुछ समायोजनों के अधीन) पर देयता (वर्ष 2014-15 के सम्बंध में बुक लाभ पर अधिभार और उपकर सहित 20.99 प्रतिशत की दर से) लगाता है यदि यह देयता सामान्य दरों पर संगणित कर देयता से अधिक है। न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अधिक देयता की अनुमति, क्रेडिट (10 वर्ष तक) के रूप में उस अगले वर्ष तक दी जाती है जिसमें सामान्य कर देयता, न्यूनतम वैकल्पिक कर से अधिक हो। अतः न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अदा किया गया अतिरिक्त कर, भावी कर देयता का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्य ह्रास के दावों के कारण कर आस्थगन की अवधि को सीमित करता है तथा इसी दावे को लम्बी अवधि में बांटते हुए लाभ से जुड़ी कटौतियों जैसी अन्य कटौतियों के, कर प्रभाव को कम करता है।

वित्त वर्ष 2014-15 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2015-16 का कर व्यय परिलक्षित किया गया है। वर्ष 2015-16 के सम्बंध में आंकलन, संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2015-16 में परिलक्षित कॉरपोरेट कर वृद्धि द्वारा 2014-15 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को गुणा करते हुए किया गया है। सारणी 5, वित्त वर्ष 2014-15 के संबंध में कर व्यय की शर्तों के अनुसार कारपोरेट कर दाताओं पर प्रमुख कर व्यय और वित्त वर्ष 2015-16 का परिलक्षण दर्शाती है।

सारणी 5: वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान कार्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (सैम्पल आकार - 582889)

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरुप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2014-15)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2015-16)
1.	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10 क और 10 कक)	16685.53	17619.92
2.	बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास (धारा 32)	41530.56	43856.27
3.	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा (2कख)	8401.97	8872.48
4.	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	747.34	789.19
5.	विशिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	1790.57	1890.84
6.	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	992.26	1047.83
7.	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान पर कटौती (धारा 80छछक)	2.84	3.00
8.	राजनीतिक दलों को अंशदान देने पर कटौती (धारा 80छछख)	111.67	117.93
9.	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	4225.3	4461.92
10.	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	396.3	418.49
11.	दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	1745.33	1843.07
12.	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झक)	9621.02	10159.80
13.	विद्युत संयंत्र के पुनरूद्धार में लगी कंपनियों के लाभ में कटौती (धारा-80-झक)	134.98	142.54
14.	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झकख)	1548.30	1635.01
15.	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	3119.70	3294.41
16.	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	23.87	25.20
17.	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झख)	2.96	3.12
18.	वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से औद्योगिक क्षेत्रों के होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	45.07	47.60
19.	खनिज तेलों और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	3227.32	3408.05
20.	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	105.42	111.33
21.	शीत श्रृंखला सुविधा के प्रचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	3.3	3.48
22.	खाद्य अनाजों की संभाल, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय		

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरुप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2014-15)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2015-16)
	से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	22.05	23.28
23.	फलों एवं सब्जियों के संसाधन, परिरक्षण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा-80 झख)	270.23	285.36
24.	ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सालय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	1.67	1.77
25.	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	718.34	758.57
26.	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)	959.20	1012.92
27.	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)	2885.65	3047.25
28.	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)	1305.7	1378.82
29.	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80-ञञक)	5.4	5.70
30.	नये कामगारों के नियोजन के संबंध में कटौती (80 ञञकक)	91.38	96.50
31.	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती (80-ठक)	0.0	0.00
32.	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों कन्वेंशन सेंटर के सम्बंध में कटौती (धारा 80-झघ)	1.07	1.13
33.	**कुल योग**	1,00,722.31	1,06,362.76
34.	**घटा** न्यूनतम वैकल्पिक कर के कारण अतिरिक्त करदेयता = **46510.50**		
	न्यूनतम वैकल्पिक कर के लेखे के दावे द्वारा कमी = **10,855.40**		
	न्यूनतम वैकल्पिककर के परिणामस्वरूप निबल अतिरिक्त कर = **35655.10**	35655.10	37651.78
	कुल	65,067.21	68,710.98

यद्यपि पिछले वर्ष के विवरण में 2014-15 के लिए प्रक्षेपित कर व्यय (न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान के कारण अतिरिक्त कर को छोड़कर) 98,407.60 करोड़ रूपए होने का अनुमान लगाया गया था, जो अब वास्तविक गणना के पश्चात 1,00,722.3 करोड़ रूपए है। एमएटी के परिणामस्वरूप संग्रहित अतिरिक्त कर को ध्यान में रखते हुए, कर प्रोत्साहन का वास्तविक राजस्व प्रभाव 62398.6 करोड़ रूपए के प्रक्षेपित कर व्यय के लिए 65,067.20 करोड़ रूपए थोड़ा अधिक है। इसका एक कारण यह है कि इस वर्ष एमएटी के तरीके द्वारा संग्रहीत अतिरिक्त कर देयता वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 6900.6 रूपए से काफी अधिक 10,885.40 करोड़ रूपए है।

बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास उस लेखा शीर्ष के लिए है जिसके अंतर्गत कर प्रोत्साहन की सर्वाधिक राशि (41530.56 करोड़ रूपए) प्रदान की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में, विद्युत के उत्पादन, ट्रान्समिशन तथा वितरण से जुड़े उपक्रमों आधारभूत संरचना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास से जुड़े उपक्रमों तथा आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थित इकाइयों द्वारा ली गई कटौती कुल कर प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

कम्पनियों की प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरणी के परिशिष्ट की सारणी में दिया गया है। निम्न रेंज में चीनी सीमेंट क्षेत्र की प्रभावी कर दर क्रमशः 6.95 प्रतिशत तथा 9.01 प्रतिशत है। इसी तरह पट्टे कंपनियों की प्रभावी कर दर भी 1.53 प्रतिशत पर से कम है।

ख. गैर-कारपोरेट (फर्म/ए.ओ.पी/बीओआई) सेक्टर

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा साझेदारी फर्मों, तथा व्यक्तियों के संघ (एओपी) अथवा व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी बड़े व्यवसाय संचालित किए जाते हैं। इन पर कर व्यय कंपनियों जितना अधिक नहीं है। वित्त वर्ष 2014-15 की आय के लिए आयकर विभाग ने 30 नवम्बर तक इलैक्ट्रानिक माध्यम से दायर की गई 7,59,875 विवरणियां प्राप्त की हैं। कर व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग के डेटाबेस से 7,59,875 फर्मों/एओपी/बीओपी/बीओआई से संबंधित डेटा चुना गया। वित्त वर्ष 2014-15 में फर्मों/एओपी/बीओआई की समष्टि द्वारा संदत्त कर बड़े हिस्से का कारण है।

इस डेटा का विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:

- नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कर पूर्व लाभ के रूप में 1,23,806.90 करोड़ रुपए की सूचना दी

तथा 1,07,532.69 करोड़ रुपए की कुल आय (कराधेय आय) की घोषणा की। 93,511 विवरणियों में हानि दर्शाई गई जो नमूने का 12.30 प्रतिशत है।

- इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए संदेय आयकर के रूप में (शिक्षा उपकर सहित) 32573.95 करोड़ रुपए सूचित किया है। उनके मामले में प्रभावी कर[6] दर 26.31 प्रतिशत बनती है।

नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावाकृत प्रत्येक कर रियायत पर, राजस्व प्रभाव की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 30.90 प्रतिशत (30 प्रतिशत जमा 3 प्रतिशत अधिभार) की आयकर दर लागू की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्रास; वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती; जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन की पात्र परियोजनाओ/स्कीमों पर कटौती और व्यय के कारण कर व्यय की गणना, फर्मों/एओपी/बीओआई के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गे मूल्य ह्रास/कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य मूल्यह्रास/कटौती के अन्तर से की जाती है। इसके पश्चात् 30.90 प्रतिशत की आयकर दर को, इस अन्तर पर लागू किया गया है ताकि प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व भार का आकलन किया जा सके।

वित्त वर्ष 2014-2015 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन के लिए राजस्व प्रभाव के आधार पर, वित्त वर्ष 2015-2016 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान किया गया है। 2015-2016 के लिए अनुमान को वर्ष 2015-2016 में संग्रहित वास्तविक आयकर के 2014-2015 के संशोधित अनुमानों के अनुसार वास्तविक आय कर संग्रहणों के अनुपात की गणना और 2014-2015 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय के उसी अनुपात को लागू करके तैयार किया गया है। सारणी 6 वित्त वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के दौरान कर व्यय के सम्बन्ध में गैर कार्पोरेट कर दाताओं के बारे में मुख्य कर व्यय को दर्शाती है। उच्चतम कर व्यय सहकारी सोसाइटियों के लाभों की कटौती के कारण है जोकि इस क्षेत्र में कुल राजस्व प्रभाव का 44.95 प्रतिशत है। उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में उपक्रमों द्वारा व्युत्पन्न लाभों की कटौती के कारण कर व्यय कुल कर व्यय का 14.44 प्रतिशत था।

गैर कार्पोरेट क्षेत्र अर्थात फर्मो, एओपी/बीओआई के सम्बन्ध में कुल कर व्यय 4319.78 करोड रुपए है जो कि पिछले वर्ष के राजस्व प्रभाव के विवरण में अनुमान की गई राशि से 5141 करोड रुपए कम है। कर व्यय में कटौती का कारण है- गैर कार्पोरेट संगठनों पर वैकल्पिक न्यूनतम कर का उद्ग्रहण और कटौतियों को धीरे धीरे समाप्त करना।

सारणी 6 : वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-2016 के दौरान फर्मों/एओपी/बीओआई करदाताओं हेतु प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (नमूना आकार-759875)

क्रम सं.	प्रोत्साहन कटौती का स्वरुप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2014-15)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2015-16)
1	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क एवं 10कक) विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क एवं 10कक)	337.74	356.65
2	बढ़ा हुआ मूल्यह्रास (धारा 32)	687.03	725.51
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा 2कख)	23.31	24.62
4	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	4.59	4.84
5	निर्दिष्ट कारबार के संबंध में कटौती (35 कघ)	72.44	76.49
6	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	87.93	92.85
7	राजनीतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछग)	13.80	14.58
8	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	36.84	38.90
9	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	67.03	70.79

[6] फर्मों/एओपी/बीओआई के मामले में प्रभावी कर दर कर पूर्व कुल लाभों के प्रति कुल अदा किए गए करों (शिक्षा उपकर सहित) का अनुपात है और इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

क्रम सं.	प्रोत्साहन कटौती का स्वरुप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2014-15)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2015-16)
10	दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	1.34	1.42
11	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	162.76	171.87
12	विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	5.31	5.60
13	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झकख)	20.39	21.54
14	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	27.31	28.84
15	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	1.62	1.71
16	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	0.97	1.02
17	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	172.88	182.56
18	शीत श्रृंखला सुविधा के परिचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	0.19	0.21
19	खाद्य अनाजों के प्रबंधन, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	2.26	2.38
20	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	23.27	24.58
21	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	75.64	79.88
22	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	150.36	158.78
23	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	116.44	122.96
24	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	281.59	297.36
25	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्था के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80 ञञक)	4.22	4.46
26	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती (80ठक)	0.24	0.25
27	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों और सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	0.62	0.66
28	सहकारी समितियों के लाभों की कटौती (धारा 80त)	1941.65	2050.39
29	**योग**	**4,319.78**	**4,561.69**

ग. व्यष्टि करदाता

आयकर अधिनियम के अध्याय ज्ञ्-क में मुख्यतः कतिपय भुगतानों और कतिपय आय पर कटौती का प्रावधान है। व्यष्टि / हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनको व्यापक श्रेणी की कर प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं। तथापि, 50 प्रतिशत व्यष्टि करदाता अपनी आय मुख्यतः वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ से जुड़ी कटौतियों (अर्थात कतिपय व्यवसाय आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-वेतनभोगी व्यष्टियों का समूह दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा करता है।

व्यष्टि करदाताओं को प्रदान किए गए विभिन्न कर लाभों के कारण परित्यक्त राजस्व के अनुमान सारणी 7 में दिए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI- क के विभिन्न खंडों के अंतर्गत कर प्रभाव का अनुमान 30 नवम्बर, 2015 तक आयकर विभाग के पास व्यष्टियों

द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल 2,25,29,732 विवरणियों में कर प्राथमिकताओं के लिए विभिन्न दावों के आधार पर किया गया है। अध्याय VIक- के अलावा वित्त वर्ष 2014-15 में व्यष्टि करदाताओं पर अन्य मुख्य कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (60 या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यष्टि) के लिए 3 लाख रुपए की उच्च बुनियादी छूट सीमाओं तथा अति वरिष्ठ नागरिकों (अस्सी या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यष्टि) के लिए 5,00,000 रू. की बढ़ाई गई छूट सीमा के कारण था।

2,25,29,732 आयकर विवरणियों के नमूनों के आंकड़ों के आधार पर करदाताओं की पूरी संख्या के लिए कर व्यय का अनुमान निम्नप्रकार से किया गया हैः-

(i) यथोक्त (सारणी 7 की क्रम सं0 25 एवं 26) उच्च बुनियादी छूट सीमाओं के कारण राजस्व प्रभाव का परिकलन प्रति वरिष्ठ नागरिक एवं अति वरिष्ठ नागरिक के कर व्यय को उनकी संबंधित संख्या से गुणा करके किया गया है। उनकी संबंधित संख्या का अनुमान उनके द्वारा दाखिल नमूना विवरणियों की प्रतिशतता का परिकलन करके किया गया है। इसके पश्चात इस प्रतिशतता को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या के अनुमान पर लागू किया गया है। 30 नवम्बर, 2015 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल कुल नमूना विवरणियों की संख्या 2,25,29,732 है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए दाखिल 3,56,71,213 विवरणियों के अनुमान की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि मानकर वित्त वर्ष 2014-15 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या 3,74,54,773 होने का अनुमान है। नमूना विवरणियों के अनुसार 10.17 प्रतिशत विवरणियां वरिष्ठ नागरिकों द्वारा तथा 0.59 प्रतिशत विवरणियां अति वरिष्ठ नागरिक द्वारा दाखिल की गई। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध उच्चतर छूट सीमा के राजस्व प्रभाव का परिकलन 2,50,000 रुपए की सामान्य छूट सीमा और उच्चतर बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 3,00,000 रू.) के बीच अन्तर और न्यूनतम 10 प्रतिशत की कर दर और उपकर को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए कर व्यय 5,150/- रु. है। अति वरिष्ठ नागरिक के लिए छूट सीमा 5,00,000/- रु. है और 25,750 (अधिभार सहित) की राशि का ऐसी आय पर संगणित कर साठ वर्ष से कम व्यष्टि द्वारा देय है। इसे प्रत्येक अति वरिष्ठ नागरिक के लिए राजस्व प्रभाव लिया गया है। इसके बाद प्रत्येक ऐसे करदाता (वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक) के कारण कर व्यय 2,50,000/- रू. की सामान्य छूट सीमा से ऊपर ऐसे करदाताओं की संख्या के कुल अनुमान पर प्रक्षेपित किया गया है।

(ii) विशेष रूप से धारा 80-झक, 80-झकख 80-झख, 80-झग और 80-झघ (सारणी 7 की क्रम सं. 14 से 18) के अंतर्गत कटौती के मामले में राजस्व प्रभाव या कर व्यय का परिकलन यह मानकर किया गया है कि वास्तविक आंकड़ा इन धाराओं के अंतर्गत व्यष्टियों द्वारा किए गए कुल दावों को दर्शाता है क्योंकि वित्त वर्ष 2014-15 की आय के लिए सभी लेखा-परीक्षित कर विवरणियां अनिवार्य ई- फाइलिंग के अधीन थी।

(iii) अन्य सभी मामलों में, सभी करदाताओं के लिए कर व्यय का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है-

(क) पहले प्रत्येक आय स्लेब, जिसके लिए नमूना विवरणियों में पृथक कर दर है, के लिए प्रति करदाता किसी विशेष प्रोत्साहन के लिए औसत कर व्यय की गणना की जाती है।

(ख) उसके बाद, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या में उस आय स्लेब में व्यष्टि करदाताओं की अनुमानित संख्या को प्रत्येक प्रोत्साहन के लिए औसत कर व्यय से गुणा किया किया जाता है।

इससे किसी विशेष प्रोत्साहन हेतु उस आय स्लेब के लिए कर व्यय प्राप्त होता है। सभी खंडों के लिए कर व्यय के जोड़ से उस विशेष कर प्रोत्साहन के कारण सभी लोगों के लिए कर व्यय प्राप्त होता है।

(iv) वित्त वर्ष 2014-15 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कर व्यय का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2015-16 के लिए अनुमान, वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान के अनुसार संग्रहीत वैयक्तिक आयकर के अनुपात को वर्ष 2014-15 में संग्रहीत वास्तविक वैयक्तिक आयकर की गणना करके उस अनुपात को 2014-15 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय पर लागू करके किया गया है। धारा 87क के अन्तर्गत जो छूट दी जाती है उसका राजस्व प्रभाव इस परिकल्पना पर आधारित है कि सभी करदाताओं के मामले में वार्षिक वृद्धि दर 5 प्रतिशत हो सकती है।

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार, सारणी 7 वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान व्यक्तिक कर दाताओं, के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव दर्शाती है।

सारणी-7 वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16

के दौरान व्यष्टि / हिन्दु अविभाजित परिवार करदाताओं हेतु प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृत्ति	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2014-15)	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2015-16)
1	कतिपय निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	39,682.59	44650.85
2	कतिपय पेंशन निधियों में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	102.37	115.18
3	नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	432.78	486.96

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृत्ति	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2014-15)	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2015-16)
4	आर जी ई एस एस में निवेश के कारण कटौती (धारा 80 गगछ)	9.93	11.18
5	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (80घ)	1,064.91	1198.24
6	विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (80घघ)	208.13	234.19
7	विनिर्दिष्ट बीमारियों के चिकित्सा उपचार हेतु व्यय के कारण कटौती (80घघख)	110.98	124.87
8	उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80ड.)	352.95	397.14
9	गृह ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80 ड. ड.)	90.98	102.38
10	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थानों को दान के कारण कटौती (80छ)	433.64	487.93
11	आवास हेतु चुकाए गए किराए के कारण कटौती (80छछ)	151.08	169.99
12	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान के कारण कटौती (80छछक)	50.35	56.66
13	राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के कारण कटौती (80छछग)	45.39	51.07
14	अवसंरचना सुविधाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, विद्युत उत्पादन के कार्य में लगे एवं दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झक)	55.61	62.57
15	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झकख)	1.21	1.36
16	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास खाद्यान्न के प्रबंधन, भण्डारण एवं परिवहन के एकीकृत करोबार तथा जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झख)	63.6	71.56
17	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झग)	114.48	128.81
18	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों, सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	0.44	0.50
19	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्था के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के कारोबार से लाभों की कटौती (80 ञञक)	6.80	7.65
20	पाठ्य पुस्तकों के अलावा कतिपय अन्य पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (80थथख)	10.72	12.06
21	पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (80ददख)	0.93	1.05
22	बचत खाता में ब्याज के कारण कटौती (80 ननक)	730.92	822.43
23	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (80प)	163.21	183.64
24	धारा 87क के अन्तर्गत छूट	3,397.43	3822.79
25	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	1528.62	1720.00
26	अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	396	445.58
	योग	**49,206.05**	**55,366.64**

विभिन्न बचत पत्रों में निवेश किए जाने के लिए कर प्रोत्साहन, आवास ऋण की वापसी तथा बच्चों के लिए शिक्षा शुल्क के भुगतान के माध्यम से जो राजस्व प्रभाव पड़ता है, (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत आते हैं) वह व्यक्ति करदाताओं के मामले में सबसे बड़ा एकल कर व्यय होता है। इसके बाद आवासीय व्यक्तियों जिनकी आय 5 लाख रुपए तक होती है, के मामले में कर से दी जाने वाली छूट और कर बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर की जाने वाली कटौती का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों

के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमा के कारण होने वाला कर व्यय भी काफी अधिक होता है। जहां तक लाभपरक कटौतियों का संबंध है, सबसे अधिक कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख और धारा 80झग के कारण है।

(घ) धर्मार्थ सत्ताएं:

आय कर अधिनियम में धर्मार्थ प्रवृत्ति के कार्यों में शामिल सरकारी वित्त पोषित सत्ताओं सहित विभिन्न सत्ताओं के लिए छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, कतिपय कार्यकलापों जोकि सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करती है में शामिल सत्ताओं को विशेष छूट भी उपलब्ध है। ये सत्ताएं दान, स्वैच्छिक अशंदान भी प्राप्त करती है और धर्मार्थ प्रकृति के कार्यकलापों से इनकी अन्य आय भी है। ऐसी सत्ताओं की कुल प्राप्तियों को उन उद्देश्यों, जिनके लिए इन्हें स्थापित किया गया है, हेतु प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। इन सत्ताओं को आय कर विवरणी दायर करनी अपेक्षित होती हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 30 नवम्बर, 2015 तक ऐसी सत्ताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर विवरणियों की कुल संख्या 1,19,317 है। भारत में धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कुल राशि 2,36,326 करोड़ रूपये है।

अप्रत्यक्ष कर

क. उत्पाद शुल्क

उत्पाद शुल्क को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाया जाता है। कई मामलों में विभिन्न वित्त अधिनियमों के द्वारा यह निर्धारित होता है कि यह शुल्क किस दर से लगाया जाएगा। इन विभिन्न अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरों को उत्पाद शुल्क की ''टैरिफ दरों'' के नाम से जाना जाता है। केन्द्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5 क (1) के अंतर्गत यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह जनहित में छूट संबंधी अधिसूचनाएं जारी कर सकती है जिससे कि इन अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट टैरिफ दरों से कम दर पर शुल्क दरों का निर्धारण किया जा सकता है। इन छूट अधिसूचनाओं द्वारा विनिर्दिष्ट दरों को ''लागू दरों'' के नाम से जाना जाता है।

1.2 कर प्रोत्साहन पर पड़ने वाले राजस्व प्रभाव को, छूट संबंधी अधिसूचना के न होने पर भुगतान किए जाने वाले शुल्क और इस अधिसूचना के कारण भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किा गया है -

- ऐसे मामलों में, जहां कि शुल्क की टैरिफ दर और लागू दर को मूल्यानुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है वहां पर;
- कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभावउमाल का मूल्य X (शुल्क की टैरिफ दर- शुल्क की लागू दर)
- ऐसे मामलों में, जहां कि टैरिफ दर मूल्यानुसार आधारित है लेकिन लागू दर छूट अधिसूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट दर से वसूला जाता है वहां पर **कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव =(माल का मूल्य ज़ शुल्क की टैरिफ दर) – (माल की मात्रा ज़ विनिर्दिष्ट शुल्क की लागू दर)**
- ऐसे मामलों में, जहां कि टैरिफ दर और लागू दर मूल्यानुसार और विशिष्ट दर का योग (कम्बिनेशन) बनता है वहां पर कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव की गणना तदनुसार की जाती है।
- सभी मामलों में जहां कि शुल्क की टैरिफ दर लागू दर के बराबर होती है वहां पर कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव शून्य होगा।

1.3 उक्त धारा 5 क (1) के अंतर्गत सामान्य छूट अधिसूचनाओं को जारी करने की शक्ति के अलावा केन्द्र सरकार के पास यह भी शक्ति है कि वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 क (2) के अंतर्गत कतिपय आपवादिक परिस्थितियों में मामले दर मामले के आधार पर उत्पाद शुल्क से छूट देने के लिए विशेष आदेश जारी कर सकती है। हालांकि, उस सामान्य छूट से भिन्न जो कि केन्द्र सरकार की वित्तीय नीति का अभिन्न हिस्सा होती हैं, ऐसे छूट आदेशों को जारी करने का मुख्य उद्देश्य इन अपवादित परिस्थितियों का समाधान करना होता है। इस प्रकार इस विशेष छूट आदेशों के जारी किये जाने के कारण होने वाले राजस्व प्रभाव की गणना, कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़ों के रूप में नहीं की जा रही है।

1.4 देश भर के सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की स्वचालित व्यवस्था (एसीईएस) शुरू की गई है । वर्ष 2014-15 के कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़े एसीईएस के आंकड़ों पर आधारित हैं जिसमें अन्य बातों के अलावा निर्धारितियों द्वारा भरे गये रिटर्नों में दिये गये आंकड़े भी लिए गये हैं। क्षेत्र आधारित छूट योजनाओं को लागू किये जाने के कारण राजस्व प्रभाव को संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों से अलग-अलग प्राप्त किया गया था।

1.5 इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 के कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव अनंतिम रूप से 1,84,764 करोड़ रूपये था झ1,67,480 करोड़ रूपये (सामान्य छूट) ॐ 17,284 करोड़ रूपये (क्षेत्र आधारित छूट)ट। वित्तीय वर्ष 2014-15 के कर प्रोत्याहनों का राजस्व प्रभाव पूरे वर्ष के वास्तविक आंड़ों पर आधारित है, जोकि अब उपलब्ध्ा है और 1,84764 करोड़ रूपए के अनुमानित राजस्व प्रभाव की तुलना मं 1,96,789 करोड़ रूपएझ(1,76,811(सामान्य छूट) ॐ 19,978 करोड़ रूपए (क्षेत्र आधारित छूट)ट होता है ।

1.6 वित्त वर्ष 2015-16 के कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव की गणना वर्ष के एक भाग अर्थात् अपैल से दिसम्बर, 2015 तक के एससीईएस

आकडों के आधार पर की गई तथा इसके पश्चात् इसके आधार पर पूरे वर्ष 2015-16 का अनुमान लगाया गया । तदनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के संबंध में कर प्रोत्साहनों का 2,24,940 करोड़ रूपये राजस्व प्रभाव अनुमानित है इ2,05,820 करोड़ रूपये (सामान्य छूट) और 19,120 करोड़ रूपये (क्षेत्र आधारित छूट)

1.7 2,24,940 करोड़ रूपए के आकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष 1,96,789 करोड़ रूपए के कर प्रोत्साहन आंकड़ों के संशोधित राजस्व प्रभाव में 14.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

1.8 जहां तक क्षेत्र आधारित छूटों का संबंध है इस समय दो प्रकार की छूट योजनाएं चल रही हैं-

(i) धनवापसी पर आधारित (उत्तर-पूर्व तथा जम्मू एवं कश्मीर) और

(ii) पूर्ण छूट (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड)।

1.9 धनवापसी आधारित छूट के मामले में राजस्व प्रभाव की संगणना, व्यक्तिगत इकाईयों को वास्तव में स्वीकृत सभी धन वापसियों के योग के आधार पर की जाती है। जहां तक पूर्ण छूट का संबंध है, राजस्व प्रभाव की गणना सामान्य लागू दर और वास्तविक रूप से भुगतान किये गये शुल्क (शून्य) के अंतर का प्रयोग करते हुए की जाती है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ड्यूटी व्यवस्था में कर प्रोत्साहनों का समग्र राजस्व प्रभाव निम्नलिखित अनुसार है :

सारणी 8 : उत्पाद शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

क्रम सं.	छूट के ब्यौरे	राजस्व प्रभाव (करोड़ में)		
		2014-15		2015-16
		अनुमानित	संशोधित	(अनंतिम)
1	उत्तर पूर्व राज्यों, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में लागू क्षेत्र आधारित छूटें	17,284	19,978	19,120
2	अन्य	1,67,480	1,76,811	2,05,820
	कुल	**1,84,764**	**1,96,789**	**2,24,940**

1.10 वर्ष 2015-16 में 2,24,940 रु के उत्पाद शुल्क प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव होने का अनुमान है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पाद, सिमेंट, केरोसिन, एलपीजी, वाहन (ट्रैक्टर समेत) और वस्त्र पर दिए जाने वाले टैरिफ कुशन या छूट (लगभग 1.15 लाख करोड़ रू का) छूट भी शामिल है साथ ही साथ इसमें लगभग 9000 करोड़ रु की क्षेत्र आधारित छूट भी निहित है।

ख. सीमाशुल्क

2.1 वस्तुओं पर सीमाशुल्क, टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय है। निर्यात पर निर्यात शुल्क, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सीमा शुल्क, अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उदग्रहणीय है। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में निम्नलिखित के उदग्रहण का प्रावधान है :

- सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी इ्धारा 3 की उप-धारा (1)ट (जिसे सामान्यतः काउंटर वेलिंग ड्यूटी अथवा सीवी ड्यूटी कहा जाता है), और
- 4 प्रतिशत की दर पर उदग्रहणीय सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी इ्धारा 3 की उपधारा (5)ट (जिसे सामान्यतः एसएडी कहा जाता है)

2.2 इन दरों को टैरिफ दरों के रूप में जाना जाता है। तथापि केन्द्रीय सरकार को लोकहित में अधिसूचनाओं को जारी किये जाने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) के अंतर्गत छूट प्रदान करने की शक्तियां सौंपी गई हैं ताकि टैरिफ दरों से कम दर पर ड्यूटी दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित ये दरें ''प्रभावी दरों'' के रूप में जानी जाती हैं।

2.3 सीमा शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत, कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव की गणना उसी तरीके से की जाती है जैसाकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की व्यवस्था में कर प्रोत्साहनों में राजस्व प्रभाव की गणना करने में अपनाई जाती है।

2.4 विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा विनिमय (ईडीआई) स्थलों पर भारतीय सीमाशुल्क इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा विनिमय प्रणाली (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा दर्ज प्रविष्टि बिलों से उत्पन्न आंकड़े पर आधारित है। चूंकि ईडीआई प्रणाली, गैर-ईडीआई स्थलों के माध्यम से आयातों अथवा जहां ईडीआई प्रणाली पूर्णतः प्रचालित नहीं है अथवा जहां प्रविष्टि बिलों को अभी तक हाथ द्वारा दर्ज किया जा रहा है, के संबंध में डाटा हासिल नहीं करता है, तो कर प्रोत्साहनों के राजस्व

प्रभाव की कुल स्थिति तक पहुंचने के क्रम में उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। राजस्व प्रभाव डाटा आधारभूत सीमाशुल्क ड्यूटी, सीवी ड्यूटी से छूटों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाएं छूट, जो सीवी ड्यूटी के उद्ग्रहण के लिए संगत हैं, पर भी ध्यान देता है। यह एसएडी से 4 प्रतिशत की विशेष सीवीडी से छूटों पर भी ध्यान देता है।

बजट 2014-15 के प्रस्तुत किए जाने के समय तक वर्ष 2013-14 की सीमा शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के आंकड़े उपलब्ध थे। यह अपरिवर्तनीय रहा है।

2.5 वर्ष 2014-15 कर प्रोत्साहनों के अनुमानित राजस्व प्रभाव का आकलन करने के लिए उस कार्य प्रणाली का प्रयोग किया गया है जो पिछले वर्षों की जाती रही है। ईडीआई ने वर्ष 2014-15 में वास्तविक रूप से रिपोर्ट किए गए सकल सीमा शुल्क राजस्व संग्रहण का 90.35S कैप्चर किया है। ईडीआई आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 (अप्रैल से दिसम्बर, 2015) के संबंध में कर प्रोत्साहनों का अनुमानित सीमाशुल्क राजस्व प्रभाव 231472 करोड़ रूपये है। ईडीआई द्वारा कैप्चर नहीं किए गए आंकड़ों को सुस्पष्ट किए जाने के पश्चात सम्पूर्ण वर्ष 201-15 के संबंध में कर प्रोत्साहन का अनुमानित राजस्व प्रभाव 341592 करोड़ रु बैठता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 का कर प्रोत्साहन संबंधी सीमाशुल्क राजस्व प्रभाव, जो कि ईडीआई आंकड़ों पर आधारित है, अब उपलब्ध हो गया है और ईडीआई के द्वारा पकड़े न जा सकने ववाले आंकड़ों के पश्चात यह राशि 283630 करोड़ रु होती है।

2.6 वित्तीय वर्ष 2014-15 के कर प्रोत्साहन के प्रभाव में आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 62 के अंतर्गत भंडार गृह में रखे गए माल भी शामिल हैं (जो कि बंदपत्र के तहत आते हैं) इससे जब भंडार गृह में रखे गए सामानों का घरेलू उपयोग के लिए क्लीयरेंस कर दिया जाता है तो प्रत्यक्त राजस्व की गणना दोगुनी हो जाती है। इसलिए इस विवरण में भंडार गृह में जमा किए गए माल को प्रत्यक्त राजस्व की गणना में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इन सामानों के कारण जो प्रत्यक्त राजस्व की गणना होगी, वह इनके घरेलू खपत के लिए क्लीयर किए जाने के बाद की जाएगी। तद्नुसार वर्ष 2014-15 के वास्तविक आंकड़े और 2015-16 के अनुमानों को इन बंदपत्रों के आंकड़ों से बाहर रखा गया है।

2.7 वर्ष 2015-16 के कर प्रोत्साहन के अनुमानित राजस्व प्रभाव की गणना करने के लिए इसी पद्धति को अपनाया गया है। ईडीआई आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वष 2015-16 (अप्रैल से दिसंबर 2015) के कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव 2,09,038 करोड़ रु बैठत है। 2015-16 के सकल सीमाशुल्क संग्रहण की वास्तविक राशि के 90.35 प्रतिशत के आधार पर ईडीआई द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के आधार पर, ईडीआई के द्वारा संकलित न किए गए आंकड़ों को शामिल करते हुए, 2015-16 के संपूर्ण वर्ष में कर प्रोत्साहन का सीमाशुल्क राजस्व प्रभाव 3,08,487 करोड़ रु होता है। इस राजस्व प्रभाव में तथापि निर्यात संबद्ध आगत कर शामिल हैं। इन योजनाओं में से कई योजनाएं आगत कर उदासीनता का प्रावधान करती हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हम करों का निर्यात नहीं करते अतः इन योजनाओं के कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव को कर प्रोत्साहनों के अनुमानित राजस्व प्रभाव से अलग रखा गया है। निर्यात की विभिन्न संवर्धन योजनाओं से कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव की कटौती करने के पश्चात परंतुक निम्न सारणी 11 के क्रम सं. 14 में उल्लिखित प्रोत्साहनों से राजस्व प्रभाव को शामिल करते हुए वर्ष 2014-15 के संबंध में कर प्रोत्साहन का कुल राजस्व प्रभाव 301688 करोड़ बैठता है। (341592 करोड़ रूपये- 39904 करोड़ रूपये)

2.8 वर्ष 2015-16 के दौरान कर प्रोत्साहनों का अनुमानित राजस्व प्रभाव 2014-15 के प्रभाव से 7.78 प्रतिशत अधिक था। इसी अवधि के दौरान सीमा शुल्क संग्रहण में 9.7 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है।

2.9 प्रमुख जिंस समूहों और सकल राजस्व प्रभाव में उनके हिस्से के आधार पर 2014-15 और 2015-16 की अवधि में सीमा शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को निम्नलिखित रूप में दिखाया गया हैः

सारणी-9 : कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव में अपना योगदान देने वाले प्रमुख जिंस समूहों का हिस्सा

		2014-15		**2015-16 (अनुमानित)**	
अध्याय	**क्षेत्र**	**राजस्व प्रभाव (करोड़)**	**कुल राजस्व प्रभाव में हिस्से का प्रतिशत**	**राजस्व प्रभाव (करोड़)**	**कुल राजस्व प्रभाव में हिस्से का प्रतिशत**
71	बहुमूल्य रत्न और आभूषण	44926	16	61126	20
27	खनिज ईंधन और खनित तेल (कच्चा प्रट्रोलियम)	55646	20	41128	13
15	जंतु तथा वनस्पति वसा (खाद्य तेल)	42694	15	40507	13
84	मशीनरी	16586	6	17922	6
85	इलेक्ट्रिकल मशीनरी	14698	5	16574	5
54	मानव निमृत फिलामेंट	7609	3	14406	5

अध्याय	क्षेत्र	2014-15 राजस्व प्रभाव (करोड़)	2014-15 कुल राजस्व प्रभाव में हिस्से का प्रतिशत	2015-16 (अनुमानित) राजस्व प्रभाव (करोड़)	2015-16 (अनुमानित) कुल राजस्व प्रभाव में हिस्से का प्रतिशत
29	जैविक रसायन	10959	4	11009	4
7	खाद्य सब्जियां, मूल तथा कंद (दालें)	6814	2	10349	3
72	लौह और इस्पात	8766	3	9534	3
31	उर्वरक	6279	2	9131	3
28	अजैविक रसायन	4115	1	6931	2
8	खाद्य फल और नट	3971	1	6875	2
39	पलास्टिक	4485	2	4794	2
90	ऑपटिकल/फोटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट	3849	1	4630	2
88	एयरक्राफ्ट	2945	1	3516	1
26	अयस्क	3344	1	2927	1
89	जहाज, बोट और तैरने वाले उपकरण	4009	1	2906	1
73	लोहे और इस्पात की वस्तुएं	2650	1	2520	1
98	प्रोजेक्ट इम्पोर्टस बैगेज	2818	1	2361	1
44	लकड़ी	2206	1	2304	1
87	मोटर वाहन	2024	1	2189	1
	योग	**251393**	**89**	**273639**	**89**

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रत्येक अध्याय का कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव नीचे दिया गया है:-

सारणी :10 सीमाशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के अनुमान

(करोड़ रूपये में)

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2014-15	2015-16 (अनुमानित)
1	जीवित पशु	5	6
2	मांस और खाद्य मांस ऑफल	14	9
3	मत्स्य एवं क्रस्टेसियन्स, अन्य जलीय अकेशुरूकीय प्राणी	99	111
4	डेयरी उत्पाद	68	49
5	पशु आदि के अन्य उत्पाद	27	41
6	जीवित पेड़ और अन्य पौधे	3	3
7	खाद्य सब्जियां, विशिष्ट मूल और कन्द	6814	10349
8	खाद्य फल और मेवे	3971	6875
9	काफी, चाय, मेट और मसाले	1345	1436
10	अनाज	124	1172
11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद	68	54
12	तिलहन, अनाज, बीज, फल	317	385
13	लाख, गोंद और रेजिन	308	362
14	सब्जी प्लेटिंग वस्तुएं	28	41
15	जन्तु या वनस्पति वसा तथा तेल	42694	40507

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2014-15	2015-16 (अनुमानित)
16	मांस या मछली से विनिर्मित पदार्थ	9	11
17	चीनी	2379	1832
18	कोको	366	317
19	अनाज से विनिर्मित पदार्थ	73	106
20	वनस्पति से विनिर्मित पदार्थ	62	48
21	विविध खाद्य उत्पाद	485	414
22	पेय एवं स्प्रिट	421	589
23	खाद्य उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट एवं कचरे	402	506
24	तम्बाकू	92	100
25	लवण, गंधक मिट्टी एवं पत्थर	819	875
26	अयस्क	3344	2927
27	खनिज ईंधन एवं खनिज तेल	55646	41128
28	अकार्बनिक रसायन	4115	6931
29	जैव रसायन	10959	11009
30	औषधि उत्पाद	1073	1179
31	उर्वरक	6279	9131
32	टैनिंग एवं डायिंग निष्कर्ष, रंजक	631	788
33	आवश्यक तेल	475	462
34	साबुन एवं धुलाई के उत्पाद	256	263
35	प्रोटीन पदार्थ	160	153
36	विस्फोटक पदार्थ एवं माचिस	28	32
37	फोटोग्राफी सामान	63	57
38	विविध रसायनिक पदार्थ	1664	1785
39	प्लास्टिक	4485	4794
40	रबर	1899	1423
41	हाइड एवं स्किन एवं लेदर	495	505
42	चमड़े की वस्तु	48	85
43	फर स्किन	4	3
44	लकड़ी	2206	2304
45	कर्क	1	2
46	भूस के उत्पाद	0	1
47	लकड़ी की लुगदी	1237	1309
48	कागज	1702	1676
49	मुद्रित अखबारों एवं किताबें	1177	1770
50	रेशम	313	321
51	ऊन	158	180
52	सूती	605	556
53	अन्य वनस्पति फाइबर	222	338
54	मानव निर्मित सूत	7609	14406
55	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	1222	1344

अध्याय	माल का संक्षिप्त विवरण	2014-15	2015-16 (अनुमानित)
56	वैडिंग एवं गैर बुने हुए	104	125
57	कालीन	38	41
58	विशेष बुने हुए कपड़े	402	600
59	कोटेड टैक्सटाइल फेब्रिक	696	583
60	बुना हुआ कपड़ा	382	393
61	बने हुए रेडीमेड कपड़े	163	211
62	बुने हुए कपड़े	342	452
63	बने बनाये सामान	109	183
64	जूता-चप्पल	364	496
65	सिर की टोपी	2	2
66	छाता	14	13
67	पंख/कृत्रिम फूल	2	2
68	पत्थर और प्लास्टर की वस्तुएं	208	239
69	मिट्टी के उत्पाद	290	290
70	कांच और कांच के बर्तन	281	349
71	बहुमूल्य रत्न, आभूषण	44926	61126
72	लोहा और इस्पात	8766	9534
73	लोहा और इस्पात की वस्तुएं	2650	2520
74	कॉपर और उससे निर्मित वस्तुएं	1562	1680
75	निकेल और उससे निर्मित वस्तुएं	229	184
76	एल्यूमीनियम एवं उससे निर्मित वस्तुएं	1518	1874
78	शीशा एवं उससे निर्मित वस्तुएं	263	248
79	जिंक और उससे निर्मित वस्तुएं	203	234
80	टिन एवं उससे निर्मित वस्तुएं	104	85
81	अन्य बेस मेटल	135	118
82	उपकरण एवं उपस्कर	532	455
83	बेस मेटल से निर्मित विविध वस्तुएं	238	250
84	मशीनरी	16586	17922
85	इलेक्ट्रिकल मशीनरी	14698	16574
86	रेलवे या ट्रामवेज लोकोमोटिव्स रोलिंग स्टाक्स आदि	162	234
87	मोटर वाहन	2024	2189
88	एअर क्राफ्ट्स	2945	3516
89	शिप्स, बोट्स एवं फ्लाटिंग स्ट्रक्चर्स	4009	2906
90	चश्मा/फोटोग्राफी उपकरण	3849	4630
91	क्लॉक एवं वॉच	45	55
92	संगीत वाद्ययंत्र	11	11
93	हथियार और गोला बारूद	1777	1077
94	फर्नीचर	429	694
95	खिलौने और खेल	378	482
96	विविध विनिर्मित वस्तुएं	229	254

97	कला की प्राचीन वस्तुएं	75	237
98	परियोजना आयात, सामान	2818	2361
	कुल	**283630**	**308487**

इन आंकड़ों में कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़े भी शामिल है जो कि प्रतिअदायगी से पृथक अन्य विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को चलाये जाने के कारण पैदा हुए हैं। व्यक्तिगत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के राजस्व प्रभाव का ब्यौरा नीचे अलग-अलग दिया गया है। इन योजनाओं में से ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सार्टीफिकेट, टारगेट प्लस, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना, सर्वड फ्रॉम इण्डिया और फोकस मार्केट/प्रोडक्ट प्रोत्साहन योजनाएं हैं। छूट अधिसूचनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त शुल्क की गणना करते समय इन योजनाओं से होने वाले परित्यक्त राजस्व प्रभाव पर भी विचार किया जाता है। बाकी योजनाएं या तो छूट योजनाएं हैं या आदान-कर उदासीनीकरण योजनाएं हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने निर्यातकों को समस्तरीय कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराना है। चूंकि ये निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं नहीं हैं अतः इन योजनाओं से होने वाले राजस्व प्रभाव को राजस्व प्रभाव की गणना से बाहर कर दिया गया है, जैसा कि नीचे सारणी 11 में दर्शाया गया है

सारणी 11 : निर्यात प्रोत्साहन रियायतों के कारण होने वाला राजस्व प्रभाव

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**2014-15**	**2016-16 (अनुमानित)**
1	एडवांस लाइसेंस योजना	23461	25899
2	ईओयू/ईएचटी/एसटीपी	6076	5756
3	ईपीसीजी	6643	9729
4	डीईपीबी स्कीम	96	523
5	एसईजेड	4737	7591
6	डीएफआरसी	1	1
7	ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अथराइजेशन स्कीम	3650	1440
8	ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सार्टीफिकेट	167	222
9	टारगेट प्लस स्कीम	365	780
10	विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना	3401	2436
11	सर्वड फ्रॉम इण्डिया स्कीम	650	683
12	फोकस मार्केट/प्रोडक्ट स्कीम	13261	12229
13	योग	62507	67288
14	क्र.सं. 8 से 12 में प्रोत्साहन योजनाओं के परित्यक्त राजस्व को कम रखा गया	17845	16350
15	आदान कर उदासीनीकरण या छूट योजनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त राजस्व को सीमाशुल्क के सकल परित्यक्त राजस्व में से घटाया जाना है।	44663	50938

2.12 राजस्व प्रभाव के उपर्युक्त अनुमानों में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (2), जिसे अपवादिक स्वरूप के मामलों के हालात पर विचार करते हुए विशिष्ट मामलों में बढ़ाया जाता है, के अंतर्गत जारी तदर्थ छूट आदेशों के कारण हुए राजस्व प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

2.13 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए कर व्यय सार रुप में निम्नलिखित हैः

सारणी-12 वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16

के दौरान कर प्रोत्साहनों का कर प्रभाव (प्रत्यक्ष कर)

(करोड़ रुपए में)

	2014-15 में राजस्व प्रभाव	**2015-16 में प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव**

कारपोरेट आय कर	65,067.21	68,710,98
व्यक्तिगत आय कर	53,525.83	59,928.33
कुल	**1,18,593.04**	**1,28,639.31**

सारणी-13 वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16

में कर प्रोतसहनों का राजस्व प्रभाव (अप्रत्यक्ष कर)

(करोड़ रुपए में)

	2014-15 में कर व्यय	**2015-16 में कर व्यय (अनुमानित)**
उत्पाद शुल्क	1,96,789	2,24,940
सीमा-शुल्क	2,38,967	2,57,549
कुल	**4,35,756**	**4,85,489**

वर्ष 2013-2014 में केन्द्रीय करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) दोनों से कुल कर व्यय 5,54,349.04 करोड़ रुपए है और 2014-15 के लिए 6,11,128.31 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है। निष्कर्ष रूप में कुल कर व्यय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, दोनों में ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शित हो रही है।

कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव से संबंधित पूरक नोट (अप्रत्यक्ष कर)

सीमा शुल्क

सूत्र के अनुसार, कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव, राजस्व प्रभाव = मूल्य । इटैरिफ दर द्व लागू दरट, वित्तीय वर्ष 2014-15 में 2,38,967 करोड़ रु परिगणित किया गया है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2015-16 का राजस्व प्रभाव 2,57,549 करोड़ रु होने का अनुमान है।

2. बहरहाल अधिकतर मामलों में उच्च टैरिफ दर इस उद्देश्य से निर्धारित की गई है। ताकि टैरिफ कुशन सुलभ रहे और तथा यदि आवश्यक हो इसका युक्तियुक्त रूप से प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार की कुछ मामले और उनका कर प्रोत्साहन के प्रभाव में अंशदान निम्नानुसार सरांशीकृत किया जाता हैः

अध्याय	मद	राजस्व परित्यक्त (रू. करोड़ में) 2014-15	2015-16	कारण
71	हीरा सोना	44926	61126	खुरदरा हीरा बीसीडी o टैरिफ दर 10% o सामान्य प्रभावी दर- शून्य कटऔर पॉलिश किया हीरा बीसीडी o टैरिफ दर - 10% o सामान्य प्रभावी दर - 2.5% गोल्ड बुलियन उत्पादशुल्क/सीवीडी o टैरिफ दर - 12%/12.5% o सामान्य प्रभावी दर- शून्य गोल्ड डोर बीसीडी o टैरिफ दर - 10% o सामान्य प्रभावी दर- शून्य उत्पादशुल्क/सीवीडी o टैरिफ दर - 12% / 12.5% सामान्य प्रभावी दर - 8%
27	खनिज ईंधन और	55646	41128	मुख्यतः निम्नलिखित के कारण कच्चा पेट्रोलियम: बीसीडी

अध्याय	मद	राजस्व परित्यक्त (रू. करोड़ में) 2014-15	2015-16	कारण
				o टैरिफ दर 5% o सामान्य प्रभावी दर- शून्य कोयला बीसीडी ~~o टैरिफ~~ दर 10% o सामान्य प्रभावी दर - 2.5%. उत्पादशुल्क/सीवीडी ~~o टैरिफ दर 6%~~ सामान्य प्रभावी दर 2%.
15	खाद्य तेल	42694	40507	बीसीडी ~~टैरिफ दर~~ - 100% सामान्य प्रभावी दर 12.5% कच्चा तेल परिष्कृत खाद्य तेलों पर 20% उत्पादशुल्क/सीवीडी ~~टैरिफ दर - 6%~~ सामान्य प्रभावी दर- शून्य कीमतों में गिरावट के कारण कर प्रोत्साहन कारण कमी
7	दाल, खाद्य सब्जियां, जड़ें और ट्यूबर	6814	10349	बीसीडी दालें ~~टैरिफ दर - 30%~~ सामान्य प्रभावी दर- शून्य प्याज ~~टैरिफ~~ दर - 30% सामान्य प्रभावी दर- शून्य कर प्रात्साहनों के प्रभाव में बढ़ोत्तरी आयात में 8500 करोड़ रु की बढ़ोत्तरी के कारण हुई है।
72	लौह एवं इस्पात	8766	9534	बीसीडी ~~टैरिफ दर~~ - 15% सामान्य प्रभावी दर - 7.5%/10%/12.5% वर्ष 2015-16 के बजट में टैरिफ दर में बढ़ोत्तरी के कारण कर प्रोत्साहन के प्रभाव में बढ़ोत्तरी।
31	उर्वरक	6279	9131	यूरिया ~~बीसीडी~~ ~~टैरिफ दर~~ - 10% सामान्य प्रभावी दर - 5% उत्पादशुल्क/सीवीडी ~~टैरिफ दर - 12% /~~ 12.5% सामान्य प्रभावी दर -1%
88	एयरक्राफ्ट	2945	3516	बीसीडी ~~टैरिफ दर~~ - 3% सामान्य प्रभावी दर- शून्य/2.5% उत्पादशुल्क/सीवीडी ~~टैरिफ दर - 12%~~/12.5%

अध्याय	मद	राजस्व परित्यक्त (रू. करोड़ में) 2014-15	2015-16	कारण
89	जहाज, वेसल्स, बोट	4009	2906	सामान्य प्रभावी दर- शून्य सरकार उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यट बीसीडी ~~टैरिफ~~ दर - 10% सामान्य प्रभावी दर- शून्य उत्पादशुल्क/सीवीडी ~~टैरिफ दर -12%/12.5%~~ सामान्य प्रभावी दर- शून्य
73	लौह और इस्पात की वस्तुएं	2650	2520	बीसीडी ~~टैरिफ~~ दर - 15% सामान्य प्रभावी दर - 10% वर्ष 2015-16 के बजट में टैरिफ दर में बढ़ोत्तरी के कारण कर प्रोत्साहन के प्रभाव में बढ़ोत्तरी।
सभी	मुक्त व्यापार के विभिन्न करारों के अंतर्गत वरियता दरें वरीयता दर विभिन्न न्यून दरें	13653	15745	बीसीडी ~~टैरिफ~~ दर - 7.5%/10% वरीयता दर-विभिन्न न्यून दरें संप्रभू वचनबद्धता
	कुल	**188382**	**196462**	

2. उपर्युक्त सूची संकेतात्मक है और व्यापक नहीं। यदि इस सैद्धांतिक राजस्व प्रभाव को कुल राजस्व प्रभाव से हटाया जाता है तो वित्त वर्ष 2014-15 के संबंध में शेष प्रभाव 50885 करोड़ रु होता है और वित्त वर्ष 2015-16 के संबंध में अनुमानित राजस्व प्रभाव 61087 करोड़ रु होता है

उत्पाद शुल्क

फार्मूला, राजस्व प्रभाव = मूल्य । इटैरिफ ंद्वि प्रभावी दरट, के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 1,96,789 करोड़ बैठता है। इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2015-16 के संबंध में कर प्रोत्साहन का अनुमानित राजस्व प्रभाव 2,24,940 करोड़ रु है।

2. बहरहाल अधिकतर मामलों में उच्च टैरिफ दर इस उद्देश्य से निर्धारित की गई है। ताकि टैरिफ कुशन सुलभ रहे और तथा यदि आवश्यक हो इसका युक्तियुक्त रूप से प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार की कुछ मामले और उनका कर प्रोत्साहन के प्रभाव में अंशदान निम्नानुसार सरांशीकृत किया जाता हैः

अध्याय	मद	राजस्व परित्यक्त (रू. करोड़ में) 2014-15	2015-16	कारण
27	खनिज ईंधन और खनिज तेल	44731	72820	डीजल ~~टैरिफ~~ दर द्व 14% +15 रु प्रति लीटर प्रभावी दर 11.33 रु प्रति लीटर / 13.69 रु प्रति लीटर घरेलू एलपीजी ~~टैरिफ दर 14%~~ प्रभावी दर - शून्य किरोसीन पीडीएस ~~टैरिफ दर - 14%~~ प्रभावी दर - शून्य
87	मोटर वाहन	20114	18260	1200सीसी/1500सीसी इंजन की क्षमता ~~वाले पेट्रोल और डीजल वाहन~~ ~~टैरिफ दर - 24%~~ प्रभावी दर -12.5%

अध्याय	मद	राजस्व परित्यक्त (रू. करोड़ में)		कारण
		2014-15	2015-16	
25	सीमेंट	8505	11399	ट्रैक्टर्स ~~टैरिफ~~ दर - 12.5% प्रभावी दर - शून्य सीमेंट टैरिफ दर - 1000 रु प्रति टन चालू कीमत पर प्रभावी दर - 650 रु प्रति
17	चीनी	6449	5800	चीनी टैरिफ दर 12.5% 71 रु प्रति क्विंटल पर प्रभावी दर लगभग 3.5%
31	उर्वरक	5447	6558	उर्वरक टैरिफ दर 12.5% प्रभावी दर 1%
	कुल	**85246**	**114837**	

2. उपर्युक्त सूची संकेतात्मक है और व्यापक नहीं। यदि इस सैद्धांतिक राजस्व प्रभाव को कुल राजस्व प्रभाव से हटाया जाता है तो वित्त वर्ष 2014-15 के संबंध में शेष प्रभाव 111543 करोड़ रु होता है और वित्त वर्ष 2015-16 के संबंध में अनुमानित राजस्व प्रभाव 110103 करोड़ रु होता है।

परिशिष्ट

उद्योगों में नमूना कंपनियों के अधिशुल्क और शिक्षा उपकर सहित प्रभावी कर दर

(वित्त वर्ष 2014-15) (नमूना आकार – 582889)

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
1	विनिर्माण उद्योग	कृषि आधारित उद्योग	15,658	14,001.66	3195.80	22.82
2	विनिर्माण उद्योग	मोटरगाड़ी और मोटरगाड़ी के पुर्जे	4,537	45,873.60	11814.23	25.75
3	विनिर्माण उद्योग	सीमेंट	668	9,907.28	893.04	9.01
4	विनिर्माण उद्योग	हीरा-तराश	446	2,510.29	694.72	27.67
5	विनिर्माण उद्योग	औषध और औषधीय	5,400	41,120.90	8381.83	20.38
6	कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित इलैक्ट्रानिक		2,393	9,881.81	3167.58	32.05
7	विनिर्माण उद्योग	अभियांत्रिकी सामान	9,733	34,129.23	10050.25	29.45
8	विनिर्माण उद्योग	उर्वरक, रसायन, पेंटस	3,791	20,878.70	5241.11	25.10
9	विनिर्माण उद्योग	आटा और चावल मीलें	1,532	756.07	230.26	30.46
10	विनिर्माण उद्योग	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां	3,159	10,221.91	3032.32	29.66
11	विनिर्माण उद्योग	संगमरमर और ग्रेनाइट	2,029	1,036.41	339.59	32.77
12	विनिर्माण उद्योग	कागज	1,359	1,703.81	295.40	17.34
13	विनिर्माण उद्योग	पेट्रलोलियम एंव पेट्रोरसायन	664	92,573.66	17120.27	18.49
14	विनिर्माण उद्योग	विद्युत और ऊर्जा	5,140	50,215.26	7400.87	14.74
15	विनिर्माण उद्योग	मुद्रण एवं प्रकाशन	2,573	5,105.90	1502.82	29.43
16	विनिर्माण उद्योग	रबड़	912	894.54	288.48	32.25
17	विनिर्माण उद्योग	इस्पात	4,314	20,227.28	2438.40	12.06
18	विनिर्माण उद्योग	शर्करा	325	506.10	35.15	6.95
19	विनिर्माण उद्योग	चाय,कॉफी	1,027	1,350.91	300.73	22.26
20	विनिर्माण उद्योग	वस्त्र, हथकरघा,बिजली करघा	9,758	12,118.92	2682.08	22.13
21	विनिर्माण उद्योग	तम्बाकू	278	16,139.67	4426.89	27.43
22	विनिर्माण उद्योग	टायर	154	5,465.05	1429.14	26.15
23	विनिर्माण उद्योग	वनस्पति और खाद्य तेल	601	1,544.69	303.01	19.62
24	विनिर्माण उद्योग	अन्य	51,644	1,34,238.18	32175.85	23.97
25	व्यापार	श्रृंखला भंडार	690	973.35	311.44	32.00
26	व्यापार	खुदरा व्यापारी	15,930	5,583.21	1488.72	26.66
27	व्यापार	थोक व्यापारी	24,462	10,949.68	3431.62	31.34
28	व्यापार	अन्य	89,565	28,820.70	7243.91	25.13
29	आढ़तिये	सामान्य आढ़तिये	4,166	1,081.44	326.07	30.15
30	भवन निर्माता	भवन निर्माता	19,457	7,829.73	1905.84	24.34
31	भवन निर्माता	सम्पदा ऐजेंट	3,695	427.78	88.00	20.57
32	भवन निर्माता	सम्पति विकासक	29,212	15,684.53	3438.91	21.93
33	भवन निर्माता	अन्य	21,151	4,260.55	840.77	19.73
34	ठेकेदार/संविदाकार	सिविल ठेकेदार	10,696	11,957.37	3362.10	28.12

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
35	ठेकेदार/संविदाकार	उत्पादशुल्क ठेकेदार	27	12.22	3.70	30.24
36	ठेकेदार/संविदाकार	वन ठेकेदार	8	0.49	0.19	37.84
37	ठेकेदार/संविदाकार	खनन ठेकेदार	887	6,197.00	869.06	14.02
38	ठेकेदार/संविदाकार	अन्य	11,187	6,262.53	1817.68	29.02
39	व्यावसायिक	सनदी लेखाकार, लेखा परीक्षा,आदि	82	7.18	2.41	33.62
40	व्यावसायिक	फैशन रूपांकक	99	21.83	5.37	24.58
41	व्यावसायिक	विधि संव्यावसायिक	318	26.16	8.05	30.77
42	व्यावसायिक	चिकित्सा संव्यावसायिक	1,690	302.46	88.02	29.10
43	व्यावसायिक	उपचर्या-गृह	1,026	232.93	76.43	32.81
44	व्यावसायिक	विशेष अस्पताल	1,254	1,409.31	426.09	30.23
45	व्यावसायिक	अन्य	5,696	1,291.54	426.74	33.04
46	सेवा क्षेत्र	विज्ञापन अभिकरण	2,996	2,009.84	657.30	32.70
47	सेवा क्षेत्र	सौंदर्य बैठकखाना	304	29.35	11.98	40.81
48	सेवा क्षेत्र	परामर्शदात्री सेवा	18,231	16,783.91	2665.24	15.88
49	सेवा क्षेत्र	कूरियर एजेंसी	517	458.19	185.66	40.52
50	सेवा क्षेत्र	कम्प्यूटर प्रशिक्षण/शैक्षिक तथा कोचिंग संस्थान	3,456	920.89	275.41	29.91
51	सेवा क्षेत्र	फोरक्स डीलर्स	871	282.56	94.85	33.57
52	सेवा क्षेत्र	सत्कार सेवांए	4,833	1,337.25	411.14	30.75
53	सेवा क्षेत्र	होटल	6,763	2,279.74	571.15	25.05
54	सेवा क्षेत्र	आईटी समर्थित सेवाएं,बीपीओ सेवा प्रदाता	14,205	49,586.42	12512.13	25.23
55	सेवा क्षेत्र	सुरक्षा अभिकरण	1,992	777.95	269.51	34.64
56	सेवा क्षेत्र	सोफ्टवेयर विकास अभिकरण	12,059	86,182.04	18584.70	21.56
57	सेवा क्षेत्र	परिवहन संचालनकर्ता	4,542	6,700.55	1512.93	22.58
58	सेवा क्षेत्र	यात्रा अभिकर्ता, दौरा संचालक	4,449	1,131.57	364.78	32.24
59	सेवा क्षेत्र	अन्य	68,212	96,191.92	22503.95	23.39
60	वित्तीय सेवा क्षेत्र	बैंक संबद्ध कंपनियां	250	1,32,975.81	46580.71	35.03
61	वित्तीय सेवा क्षेत्र	चिटफंड	2,660	491.02	157.33	32.04
62	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय संस्थान	480	17,601.37	4413.46	25.07
63	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय सेवा प्रदाता	2,552	10,939.79	2681.54	24.51
64	वित्तीय सेवा क्षेत्र	पट्टाधारी कंपनियां	513	2,106.54	32.29	1.53
65	वित्तीय सेवा क्षेत्र	साहूकार	336	99.05	20.45	20.64
66	वित्तीय सेवा क्षेत्र	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां	8,668	61,621.35	16191.07	26.28
67	वित्तीय सेवा क्षेत्र	शेयर दलाल, उप-दलाल आदि	3,750	7,796.90	2269.16	29.10
68	वित्तीय सेवा क्षेत्र	अन्य	16,840	38,524.94	10449.77	27.12
69	मनोरंजन उद्योग	केबल टी वी उत्पादन	387	152.77	41.00	26.84
70	मनोरंजन उद्योग	फिल्म वितरण	342	1,319.96	445.44	33.75
71	मनोरंजन उद्योग	फिल्म प्रयोगशाला	36	3.16	0.84	26.64
72	मनोरंजन उद्योग	चलचित्र निर्माता	653	266.54	77.35	29.02
73	मनोरंजन उद्योग	दूरदर्शन चैनल	390	2,600.08	875.21	33.66
74	मनोरंजन उद्योग	अन्य	4,050	2,270.66	603.63	26.58
75	अन्य	अन्य	28,159	29,481.65	9143.97	31.02
	जोड़		**5,82,889**	**12,08,658**	**298205**	**24.67**